खण्ड-335, अंक-4
बुधवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(13 दिसम्बर, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय			पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	४९१–४९४
प्रश्नोत्तर	..	..	४९५–५३२
श्री प्रताप सिंह पुष्पवान, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	..	..	५३२–५३३
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	..	५३३
लखनऊ में शिया सुन्नी–दंगे से सम्बन्धित वक्तव्य की मांग	..	..	५३३–५३४
ग्राम्य विकास मंत्री, श्री छोटे लाल को विधान भवन गेट पर रोके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	..	५३४
लखनऊ के कर्फ्यू क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को पासेज दिये जाने की मांग	..	..	५३४
श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान' सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	..	..	५३४–५३६
बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से कुचल कर एक छात्र की मृत्यु से छात्रों में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५३६–५३७
बहराइच जनपद के कतिपय विकास खंडों में कमला कीड़े के प्रकोप से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५३७
वाराणसी जिले में बढ़ती हुई चोरी, डकैती तथा हत्या की घटनाएं तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५३७–५३८
बी० एन० बी० कालेज, राठ की प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों के निष्कासन से व्याप्त असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५३९
वाराणसी एंवं गोरखपुर मण्डलों के भंडार गृहों (वेयर गोदामों) में यूरिया खाद की कमी से किसानों में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५३९–५४०
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	५४०
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..	..	५४१

विषय	पृष्ठ संख्या
कानपुर के थाना घाटमपुर के इंचार्ज, श्री बाबू राम जाटव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४१–५४२
थानाध्यक्ष, निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४२–५४३
राज्य मंत्री, श्री सत्य देव त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४३–५४६
'करन्ट' साप्ताहिक के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४६–५४७
बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री एच० एस० पाठक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४७
सदन के पटल पर दो बार रखे जाने वाले उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के सम्बन्ध में आपत्ति ..	५४७–५५०
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	५५१
श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा का भारतीय सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के सम्बन्ध में सूचना	५५१
विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को शाम को ५ बजे लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना ..	५५१–५५२
कतिपय स्थायी समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५५२
दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ की गन्ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत हुई चर्चा को समाप्त किये जाने पर आपत्ति ..	५५३
मेरठ में श्री जगत सिंह के यहां डकैती की घटना तथा विधान सभा सदस्य, श्री सोहनवीर सिंह तोमर की सुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य	५५३–५५५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	५५५–५५७
प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य रुक जाने से जनता में व्यापक असंतोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	५५७–५६५
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (जारी) ..	५६५
कानपुर के घाटमपुर के थानेदार के रिलीव हो जाने के सम्बन्ध में सूचना	५६५
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	५६६–५८५

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	५८५–६११
प्रदेश में शीत लहरी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना को कार्य सूची में न लाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६१२
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	६१२–६२२
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (जारी) ..	६२२–६२६
विद्युत् कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	६२६–६३७
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६३७–६४५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६४५–६४६
लखनऊ में शिया–सुन्नी विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	६४६–६५०
सत्तियां ..	६५१–६५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २९८

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश,' डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एड़वोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री

छेदा सिंह चौहान, श्री
छोट लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
गर्दू विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहन, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री

भीमा प्रसाद, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राज भूज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रम राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जयसवाल, श्री

शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा वन राज्य मंत्री, श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना भी सदन में उपस्थित थे ।

बुधवार, १३ दिसम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में आलू का भाव

**१--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के आलू निर्यात के लिए व्यवस्था सुचारु रूप से न करने के कारण आलू के भाव स्थानीय बाजारों में भारी मात्रा में गिर गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

जी नहीं । फर्रुखाबाद जनपद में कृषकों ने अपना आलू उचित दर पर बेच लिया है । यह सही है कि बाजार में नया आलू आ जाने से पुराने आलू का मूल्य कुछ गिरा है । भाव के गिरने का कारण निर्यात की व्यवस्था न होना नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, क्या उन्हें जानकारी है कि फर्रुखाबाद में आलू की कीमत क्या है और लखनऊ में आलू की कीमत क्या है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, फर्रुखाबाद में जो आलू का भाव है वह ७० रुपये है, जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है वह २५ नवम्बर तक की है

श्री अध्यक्ष--

७० रुपये मन या कुंटल

श्री धीरेन्द्र सहाय--

७० रुपये कुंटल

श्री अध्यक्ष--

और लखनऊ में

श्री धीरेन्द्र सहाय--

लखनऊ में ८५ रुपये कुंटल है

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

वहां पर ५० पैसे किलो है और यहां पर १ रुपया किलो है

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

वहां से जो देश के कोने-कोने में दूसरे सूबों में आलू जाता है, उसके निर्यात की व्यवस्था इस वर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लखनऊ में १ रु० किलो यानि १०० रु० कुंटल और फर्रुखाबाद में ५० रु० यानि ५० पैसे किलो, कोई वहां और लखनऊ में फासला ज्यादा नहीं है, ज्यादातर आलू ट्रक से ही जाता है, तो इतने फर्क की सम्भावना नहीं है जहां तक दूसरे सूबों में भेजने की बात है, आलू जा रहा है और कोई भाव में इतना बड़ा अन्तर अभी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इनका उत्तर दीजिए, उनका कहना है, क्या आप फर्रुखाबाद के आलू के निर्यात करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

उन्होंने तो यह सवाल किया है कि दूसरे सूबों में जाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि फर्रुखाबाद में आलू सस्ता है, क्या सरकार खरीद कर उसके निर्यात की व्यवस्था करेगी, सिर्फ इतना प्रश्न है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, दूसरे सूबों में आमतौर से जो प्राईवेट व्यक्ति है, वह करते रहते हैं निर्यात और उनकी जो वैगन्स वगैरह की व्यवस्था है, उसमें हम लोग देखते रहते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधायें रहें ताकि निर्यात ठीक ढंग से चलता रहे । एक रेलवे इन्सपेक्टर की भी व्यवस्था रहती है, ताकि वह वहीं पर ही रहे क्योंकि ऐसा होता है कि व्यापारी यह करते हैं कि ज्यादा वैगन अपने नाम एलाट करवा लेते हैं और रोके रहते हैं ताकि रेट गिर जायं । (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहिये, उत्तर देने दीजिये माननीय मंत्री जी आप इतने विस्तार में न जायं आप यह कहिए कि आप निर्यात की व्यवस्था करा रहे हैं या नहीं साफ बात है ?

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आलू की लागत मूल्य क्या है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, ४०-४५ रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन लागत आती है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, फर्रुखाबाद में आलू के रेट गिरने का क्या कारण है आपने स्वीकार किया है कि ४५ रुपये लागत मूल्य आता है, तो वहां पर ५० रुपये व ४० रुपये बिक रहा है, तो लागत मूल्य से कम पर बिकने का क्या कारण है और मंत्री जी ने...

श्री अध्यक्ष--

आप तर्क मत दीजिये, प्रश्न कीजिए की क्या सरकार अपनी तरफ से कोई सपोर्ट प्राइस देने का विचार कर रही है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, चूंकि मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि वहां पर लेटस्ट रेट क्या है लेकिन सीजन पर चूंकि नया आलू आता है इसलिए कुछ भाव गिर जाते हैं इस वक्त निर्यात का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, दो बातें स्पष्ट हो गयी एक तो यह कि भाव गिर गए हैं, दूसरे माल बाहर जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि काश्तकारों को लागत के हिसाब से मूल्य मिल जाय इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, सीजन में हर वर्ष रेट गिरता है जब नया आलू आता है जब यह रेट ज्यादा गिरने की संभावना होती है, तो कोई खरीदारी करने की बात होती है नेफेड और कोंआपरेटिव फेडरेशन के जरिये खरीदारी कराने की व्यवस्था है अगर ज्यादा रेट गिरेंगे तो उसके जरिये खरीदारी करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था...

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने नकारात्मक ढंग से जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि भाव गिरने का कारण निर्यात की व्यवस्था न होना नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि ७५ रुपये से रेट ४५ पर आ गये तो इसका कारण केवल सीजन का बदलना नहीं हो सकता ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जब सीजन आता है तो रेट गिर जाता है ।

ब्लाक स्तर पर डेरियां खोले जाने की मांग

**२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)(अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर डेरियां खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह डेरियां कब तक ब्लाकों में स्थापित कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सहकारिता मंत्री)--

जो नहीं

दीन दयाल शोध संस्थान, गोंडा में ग्रामीण विकास प्रदर्शनी के आयोजन पर व्यय की गयी धनराशि

**३--फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकी नगर, गोंडा जनपद में स्थापित दीन दयाल शोध संस्थान सरकारी है अथवा गैर सरकारी ? यदि गैर सरकारी संस्थान है, तो सरकार द्वारा लगभग १० लाख रुपया स्टाल लगाने और दरजनों फ्लश लेट्रीन बनाने पर किस आधार पर खर्च किया गया ?

आवास उप मंत्री (श्री भगौती सिंह)--

गैर सरकारी है

सरकार ने कथित संस्थान में प्रश्नगत कार्यों के लिए कोई खर्च नहीं किया अन्त्योदय योजना के समारोह में राष्ट्रपति जी के आगमन के अवसर पर आयोजित ग्रामीण विकास की प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा भाग लिया गया था फ्लश लैट्रीन नहीं लगवाये गये थे ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह प्रदेश और देश भर की जानकारी है कि गोंडा में स्थित जानकी नगर में जो संस्थान कायम हुआ है, उसमें सरकारी साधनों का इस्तेमाल बुरी तरह किया गया है । श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर जो कमीशन बैठाये गए हैं वह इसी बात का पता लगाने के लिए हैं कि उन्होंने वहां सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके नेशनल लाश किया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं ? वहां किसानों के प्लाट्स पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है कि नहीं ? सीलिंग की जमीन जो विवाद ग्रस्त है, हाईकोर्ट में दबाव डालकर संस्थान को दिलवा दी गयी है कि नहीं ? इसको पता लगाने के लिए आप किसी कमीशन को बैठायेंगे ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने अनुरोध किया कि अन्त्योदय योजना के समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी गए थे और उस समय यह सारा कार्य हुआ वहां प्रदर्शनी आयोजित हुई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी० आर० ए० टाइप की लैट्रिन का निर्माण कराया गया आमतौर पर जहां महामहिम राष्ट्रपति जी जाते है वहां सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था शासन की ओर से होती है ।

श्री अध्यक्ष--

कमीशन बैठाएंगे कि नहीं ?

श्री भगौती सिंह--

ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला और अन्य जमीन इस संस्थान को दी गयी ? यदि हां, तो किस कारण दी गयी है ।

श्री भगौती सिंह--

इस प्रश्न का शासन से कोई संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका संबन्ध है ।

श्री भगौती सिंह--

इसकी विस्तृत जानकारी यहां नहीं है इसलिए इसमें समय की आवश्यकता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभिन्न शासन की संस्थाओं द्वारा जो प्रदर्शनी आयोजन में खर्चा किया गया वह धनराशि क्या है पी० आर० ए० की लैट्रीन बनाने में सरकारी व्यय कितना हुआ ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, जो खर्चा हुआ है वह विभिन्न विभागों द्वारा हुआ है, इसलिए कितना व्यय हुआ यह जानने के लिए समय की आवश्यकता है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर राष्ट्रपति या माननीय मंत्री जाते हैं, तो वहां पर सरकारी वाहन और डाक बंगलों का इस्तेमाल होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो होता ही है यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में दीन दयाल शोध संस्थान वहां की जनता के लिए क्या सेवा कर रहा है ?

श्री भगौती सिंह--

इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष

यह आप कैसे कहते हैं ग्राह्यता तो मैं तय करूंगा जब प्रश्न किया गया, तो अपेक्षा की जाती थी कि आप उसका उत्तर देंगे क्योंकि इस प्रश्न में उस संस्थान का नाम है । मंत्रि परिषद का संयुक्त दायित्व होता है, तो आपको पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए था । आप यह कह सकते थे कि इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)

आपने जो व्यवस्था दी है उसी से सम्बन्धित प्रश्न है । दीनदयाल संस्थान निजी संस्थान है उसके बारे में शासन को कैसे पूरी जानकारी हो जायगी । मेरा प्रश्न यह है कि क्या निजी संस्थान से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया) ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

जब राष्ट्रपति किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां सफाई वगैरह की व्यवस्था की जाती है। मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब राष्ट्रपति वहां गये तो क्या क्या परमानेन्ट और क्या-क्या टेम्पोरेरी व्यवस्था की गयी और जो परमानेन्ट व्यवस्था की गयी क्या उसको किसी को ट्रान्सफर किया गया ?

श्री भगौती सिंह—

जैसा मैंने अनुरोध किया वहां पर काफी भीड़ गयी थी इसलिए सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ पी० आर० ए० टाइप लेट्रिन बनायी थी। कितना खर्चा हुआ इसमें समय की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न यह भी था कि वह लैट्रिन उखाड़ दी गयी या संस्थान को ट्रान्सफर कर दी गयी ?

श्री भगौती सिंह—

इसकी जानकारी मान्यवर, नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

जबाव तो कुछ आया नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

इसको स्थगित करा दें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी पूरी जानकारी लेकर आयें।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ४९ में सूचना दे दें। मैं स्वीकार कर लूंगा।

जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग

**४—श्री ब्रज वल्लभ (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् कर्मचारियों को ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा उनके पिछले वर्ष के आन्दोलन के समय स्पष्ट आश्वासन दिये जाने के बावजूद अभी तक राज्य कर्मचारी क्यों घोषित नहीं किया जा सका ?

ग्राम्य विकास उप मन्त्री (श्री छोटे लाल)—

जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। मगर वित्तीय कठिनाइयों के कारणवश अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री बज बल्लभ--

क्या जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री छोटे लाल--

उत्तर में बतलाया गया है सिद्धान्तः इसको स्वीकार कर लिया गया है लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले लेगी ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

वे कौन सी सुविधायें हैं जो राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं और जिला परिषद् के कर्मचारियों को नहीं मिलतीं ?

श्री छोटे लाल--

जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में है । इसी तरह से दो-तीन चीजें हैं जिनसे जिला परिषद् के कर्मचारी वंचित रह जाते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इसमें कितना रुपया और व्यय करना होगा ?

श्री छोटे लाल--

३ करोड़ ३० लाख का अतिरिक्त व्यय करना होगा ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

उनकी मांगों के सम्बन्ध में जो आश्वासन पिछली दफा दिया गया था, वे क्या मांगें थीं ?

श्री छोटे लाल--

पिछले साल जिन मांगों को लेकर नवम्बर और दिसम्बर में आन्दोलन चला था उनमें मुख्यतः जैसा मैंने बतलाया यही मांग थी कि जो सहूलियतें राज्य कर्मचारियों को दी जाती हैं वे जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी दी जायं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

कितने दिनों के अन्दर इन मांगों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री छोटे लाल (जिला देवरिया)--

जैसा बतलाया गया बहुत शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

जिला परिषद् के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है लेकिन उनको एक जिले से दूसरे जिले को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं, तो क्या सरकार इस शासनादेश को वापस लेने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश में मिट्टी के तेल एवं डीजल का अभाव

*१—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री राम दत्त जोशी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री देव बहादुर सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल और डीजल का अभाव हो गया है जिससे ट्रैक्टर तथा डीजल से संचालित होने वाली गाड़ियों का चलना ठप हो गया है जिससे कृषि-कार्य में बाधा पड़ गई है ? यदि हां, तो जनहित में डीजल और मिट्टी के तेल की कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

जी हां, मांग के अनुसार पूर्ति नहीं है, परन्तु ट्रैक्टर तथा अन्य डीजल से संचालित गाड़ियों का चलना ठप नहीं हुआ है ।

भारत सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर जहां से भी सम्भव हो डीजल एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है । भारतीय तेल निगम से भी निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर डीजल एवं मिट्टी तेल की आपूर्ति की व्यवस्था करायी जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे हो गई कि प्रदेश में डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर या जो दूसरे संचार के साधन हैं, वे ठप नहीं पड़े हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र—

सभी जिलों के इस बात की जानकारी मंगायी गयी है और जिला अधिकारियों ने जो सूचना दी उसके आधार पर मैंने यह उत्तर दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरी सूचना को सही मानकर कि गोरखपुर जिले में और पूरे प्रदेश में डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर आदि बिलकुल बन्द पड़े हुए हैं । खुले बाजार में दो रुपया ढाई रुपया लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है और डीजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो क्या इस बात की फिर से जानकारी करायेंगे और जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, डीजल की स्थिति में सुधार हुआ है और नवम्बर मास में १ से ६ नवम्बर तक सप्लाई १२ हजार २१ मीट्रिक टन थी और दिसम्बर में इन्हीं

तारीखों में १ से ९ तक की सप्लाई २१,२८२ मीट्रिक टन हो गई । इस प्रकार डीजल में सुधार हुआ है । दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मिट्टी के तेल की स्थिति में सुधार का आश्वासन भारतीय तेल निगम ने दिया है । जो फीगर्स मेरे पास आई हैं उससे डीजल में सुधार हुआ है, मिट्टी के तेल में सुधार नहीं हो पाया है । इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से एक पत्र, मेरे माध्यम से तीन पत्र, मुख्य सचिव के माध्यम से एक पत्र और विशेष सचिव के माध्यम से दो पत्र पेट्रोलियम मंत्री जी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, सवाल दीगर जवाब दीगर ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । उत्तर आने दें । मन्त्री जी आपका प्रश्न है कि गोरखपुर जिले में डीजल के अभाव में ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं । तो क्या इसकी सूचना मंगा कर व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र--

हर जगह अभाव है ।

श्री हरिश्चन्द्र--

जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें ठप पड़ने की कहीं से सूचना प्राप्त नहीं हुई है । मैं पुनः गोरखपुर से इस बात की जानकारी मंगवा लूंगा ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

सारे प्रदेश में यही हाल है । मैंने स्वयं मथुरा में देखा चार-चार हजार लोग लाइन लगाये हुए हैं । परमिट के लिए अधिकारियों के पास लोग पड़े हैं । ब्लैक में किसी तरह मिल जाता है । यह अव्यवस्था सारे उत्तर प्रदेश में हो रही है । इसके लिए एक सप्ताह के अन्दर कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे अभाव समाप्त हो जाय ?

श्री अध्यक्ष--

एक सप्ताह में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र--

माननीय, पेट्रोलियम मंत्री जी का एक पत्र आश्वासन के रूप में आया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

राधेश्याम शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री ऊदल--

डीजल और मिट्टी का तेल सरकार पी गई और सीमेन्ट को सरकार खा गई और मंत्री जी के पास रिपोर्ट है कि व्यवस्था ठीक है अब इसका क्या इलाज होगा ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर देने दें। मंत्री जी आपका प्रश्न है कि एक सप्ताह के अन्दर और कौन सी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मिट्टी तेल का और डीजल आयल का अभाव दूर हो जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जो पत्र व्यवहार हुआ है उससे पूरी आशा है कि डीजल और मिट्टी के तेल में काफी सुधार हो जायगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) -

क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट जिलाधिकारियों की है, वह गलत है और अधिकांश विधायकों को जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीजल न मिलने के कारण डीजल से चलने वाली गाड़ियां ठप पड़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हर जिले में विधायकों की एक समिति बनाकर उससे जांच कराकर झूठी रिपोर्ट देने वाले जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र--

रिपोर्ट मैंने मंगा ली है, मैंने निवेदन किया कि मांग के अनुसार आपूर्ति कम हो गई है। लेकिन ठप कहीं नहीं पड़ी है।

श्री देवबहादुर सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में जहां डीजल चालित वाहन ही आवागमन के साधन हैं, वहां डीजल न मिलने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप है ? और वहां पर पिछली बार और इस बार कितना-कितना डीजल भेजा गया है और पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष और इस वर्ष कितना-कितना डीजल व मिट्टी का तेल भेजा गया है। और कमी के कारण मन्त्री जी ने अपने स्तर पर इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

डीजल की आपूर्ति प्रदेश में मई से नवम्बर, १९७७ के मध्य ४,७०,४८० मीट्रिक टन और मई से नवम्बर, १९७८ के मध्य ५,०९,९८३ मीट्रिक टन हुई है। किन्तु, १९७८ में आपूर्ति बढ़ने के बावजूद मांग में वृद्धि के कारण जैसे ३० से ४० प्रतिशत तक पम्पिंग सेट्स बढ़े आदि यह बढ़ोत्तरी भी हमारी पूर्ति नहीं कर पा रही है।

श्री देव बहादुर सिंह--

हमने पर्वतीय अन्चल के बारे में प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं आया। (उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राम दत्त जोशी--

क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि डीजल और मिट्टी के तेल का यह अभाव बम्बई में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल और किसी अन्तराष्ट्रीय संकट जैसे ईरान की घटना आदि के कारण भी है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

यह प्रश्न बड़ा जटिल है, डीजल व मिट्टी तेल की सप्लाई केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। भारतीय तेल निगम अपनी एजेन्सियों द्वारा इसकी सप्लाई करती है। ईरान में जो उपद्रव हुआ उससे वहां से कच्चा माल नहीं आ सका है और बरौनी में भी औद्योगिक अशान्ति रही है,

(व्यवधान)

किन्तु अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बरौनी की औद्योगिक अशान्ति और वहां की बाढ़ की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, उससे दिसम्बर मास में सप्लाई सुधरी है। तीन जो प्वाइन्ट हैं--मुगल सराय, इलाहाबाद और पनकी--भारतीय तेल निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश के बाहर डीजल और मिट्टी का तेल नहीं जायेगा जिससे सप्लाई बढ़ने लगी है। जिसके कारण मुझे आशा है कि जो परेशानी है, वह दूर हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मांग और पूर्ति के कारण अभाव है और जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी है। तो क्या माननीय मंत्री जी वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे और कौन-कौन से कदम वे उठायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र--

अक्तूबर में यह बात ध्यान में आते ही, सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वितरण प्रणाली को नियन्त्रित किया जाये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि भारतीय तेल निगम के उच्च अधिकारी ने पिछले सप्ताह एक वक्तव्य दिया और कहा कि तेल की सप्लाई भारतीय तेल निगम की तरफ से कम नहीं है, बल्कि कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो उस उच्च अधिकारी ने वक्तव्य दिया उसके अनुसार इन्क्वायरी कराकर जो अधिकारी यह कृत्रिम अभाव पैदा किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र--

हमें २ हजार मीट्रिक टन की शार्टेज होती जा रही है। ३६ हजार मीट्रिक टन सितम्बर में, ३४ हजार मीट्रिक टन अक्तूबर में और ३२ हजार मीट्रिक टन नवम्बर में मिला। इसी तरह से डीजल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सितम्बर, अक्तूबर के महीनों में शार्टेज रही है और दिसम्बर में इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसका मैंने उल्लेख किया है और यह केन्द्रीय सरकार और भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के बीच प्रयास करने के कारण हुआ है। पनकी से उत्तर प्रदेश के बाहर जो तेल जाता था उसकी सप्लाई बन्द कर दी गयी है जिससे इम्प्रूवमेन्ट हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

इनका सवाल है कि जो कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिसने यह किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जहां तक कृत्रिम अभाव का सवाल है, मांग के अनुसार पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं हो पायी है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि सही दाम में एजेन्सी द्वारा डीजल और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है लेकिन ज्यादा दाम देने में उपलब्ध हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र--

इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिये गये हैं और रेट्स तथा चेकिंग्स करायी गयी हैं । १२२५ चेकिंग्स हुई हैं, ३९ एफ० आई० आर० दर्ज हुई हैं, २१ गिरफ्तारियां की गयी हैं, २२ लाइसेन्स निलम्बित किए गये हैं और १४ निरस्त किये गये हैं । इस प्रकार से शासन की ओर से कड़ाई रखी जा रही है कि जमाखोरी न हो सके इसकी पूरी व्यवस्था की गयी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

श्री शिव नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जौनपुर की कैश-बुक एवं आडिट रिपोर्ट

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में स्थित श्री शिव नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुर में आडिट रिपोर्ट में इस बात का आरोप है कि विद्यालय की कैशबुक में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ व १९७५-७६ में प्रबन्धक व प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है ? यदि हां, क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि गत वर्षों से विद्यालय की कैशबुक नहीं लिखी गई है ? क्या उक्त विद्यालय में सारी कार्यवाही अनियमित व धोखा-धड़ी से भरी पड़ी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

जी हां, वित्तीय वर्ष १९७४-७५ व १९७५-७६ में कैशबुक पर प्रबंधकव प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर आडिट के समय नहीं थे । अब प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने कैशबुक पर ३०-६-७८ तक पृष्ठों के अन्त में हस्ताक्षर कर दिए हैं । आडिट के समय कैशबुक ३१-३-७६ तक लिखी गई थी और अब ३०-६-७८ तक की लिखी जा चुकी है ।

आडिट आख्या के अनुसार अध्यापकों का पी० एफ० विलम्ब से जमा करना, स्टाक पंजिका पर क्रय किए गए सामानों का न चढ़ाना, प्रभूत की आय का न होना, प्राइमरी पाठशाला को अनुदान जमा न करना तथा प्राप्त अनुदान व धन लम्बे समय तक नकद हाथ में रखना आदि अनियमिततायें हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस आडिट रिपोर्ट के अनुसार उस विद्यालय में गम्भीर अनियमितताये पाई गई हैं, तो शासन ने प्रबन्धीकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण--

जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी सूचना १९ अगस्त, १९७८ को प्राप्त हो गई थी । जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रबन्धक को इसकी अनुपालन आख्या के लिए लिखा । उन्होंने अनुपालन आख्या नहीं भेजी । इसलिए प्रबन्ध समिति को भंग करने की नोटिस दी जा चुकी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस प्रबन्धाधिकरण को निरस्त करने की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री काली चरण--

कार्यवाही तो प्रारम्भ हो गई है, वैधानिक दृष्टि से इस नोटिस के बाद प्रबन्ध समिति को भंग करना शासन के लिए अनिवार्य हो जाता है । अब इस सब कार्यवाही में ६ माह का समय तो लग ही जाता है ।

[बुधवार, १३ दिसम्बर, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लोक सभा चुनाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा दो गई जीपों की सी० आई० डी० द्वारा जांच

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत लोक सभा चुनावों के समय उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपया व्यय करके चुनाव प्रचार के लिए जीपों की व्यवस्था की गई थी उसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराई गई ? यदि हां, तो जांच किसने की, आरोप क्या थे ? जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य आरोप क्या हैं और यह जांच कब से कराई जा रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मई, १९७५ में एक प्रार्थना-पत्र यह आया था कि जीपों का उपयोग पार्लियामेन्ट के चुनाव में किया गया है । उस समय सचिव से जब राय ली गई थी, तो एक राय यह आई थी कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जाए, परन्तु उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं हुई । अक्तूबर में पुनः शासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया और शासन ने इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने का निर्णय लिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सतर्कता विभाग की जांच के पूर्व विभागीय जांच भी तो हुई होगी और उस जांच से आधार पर निश्चित रूप से आरोप सिद्ध हुए होंगे, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैंने निवेदन यह किया कि मई में ही यह एक नोट था, उस पत्रावली में, कि इसकी जांच कराई जाय, जो नहीं कराई गई थी और उसी निर्णय के अनुसार जांच कराने का आदेश हो गया था। पहले निर्णय सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का था।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि क्या विभागीय जांच भी कोई हुई आपके यहां कि नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच नहीं हुई, क्योंकि सतर्कता विभाग को जांच के लिए दे दिया था।

श्री अध्यक्ष--

जांच किससे कराई गई ?

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मौखिक उत्तर में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सतर्कता विभाग को दे रहे हैं और अनुसंधान विभाग की भी बात नहीं अनुसंधान विभाग तो क्रिमिनल जांच करता है।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्ट कर दीजिए।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने यह कहा कि जो निर्णय मई में लिया गया था, उसमें यह था कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाय। आई० जी० को बुलाकर दे दिया गया था, अब उन्होंने यह उपयुक्त समझा कि अनुसंधान विभाग द्वारा जांच करा रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

एक तो इनका क्राइम ब्रान्च है। दूसरा है विजीलेंस विभाग, जिसे ये सतर्कता कह रहे हैं। किसको इन्होंने दिया है, यह साफ तो करें।

श्री अध्यक्ष--

जिसको आप अनुसंधान कह रहे हैं, वह सतर्कता को नहीं, सी० आई० डी० को दिया है।

श्री श्याम धर मिश्र--

तो यह कहें कि सतर्कता को दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मंत्री जी ने जो कहा कि विभागीय जांच नहीं कराई। तो इस मामले में जो परम्परा है कि सी० आई० डी० को कोई मामला देने से पहले विभागीय सिफारिश और तथ्य भी प्राप्त किए जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? क्या यह सही है कि विभागीय जांच हुई और उससे यह मालूम हुआ कि इन जीपों का सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि राष्ट्रपति शासन के समय यह शिकायत आई, नियोजन सचिव, वित्त सचिव, मुख्य सचिव से राय ली गई, वित्त सचिव की राय नियोजन सचिव की राय से भिन्न थी। जीप के खरीदने में २३ फरवरी और २६ फरवरी के अन्दर जो तेजी दिखलाई गई, इस तेजी से जो खरीद की गई, इससे ऐसा आभास हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने इसका दुरुपयोग किया हो, किंतु इस पर जांच नहीं कराई। पुनः ७७ में आई० जी० को बुलाकर माननीय मंत्री जी ने जांच के लिए दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

फरवरी और मार्च के महीने में ही बजट के प्राविधान होते हैं और इसीलिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इस प्रकार की खरीद ज्यादा हुआ करती है।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

वर्ष ७४ से रोक लगी हुई थी कि किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई नई चीज न खरीदी जाय। शासन को तीन ही दिन में चिन्ता हो गई कि इसको खरीद लिया जाय। लेकिन सर्कुलर से इस पर दस्तखत कराए गए। यह खरीद जो हुई है, फरवरी में हुई है, न कि मार्च में हुई है।

श्री ऊदल---

यह जो जांच अनुसंधान विभाग को दी गई है, कोई अन्तरिम रिपोर्ट अब तक प्राप्त हुई है कि नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

अभी नहीं प्राप्त हुई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जिन जीपों का आर्डर २७ और ३० तारीख के बीच में दिया गया, उनमें पहली जीप कब प्राप्त हुई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जीपों का आर्डर और पहुंचने की बात जो है इसी की जांच कराई जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में इस प्रकार की अनेक जिओलॉजी और गुप्तचर जांच हो चुकी है और वह रद्दी की टोकरी में जा चुकी हैं, तो यह भी जांच निष्प्रभावी समझी जाय ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो जांच चल रही है तो इस सम्बन्ध में पहले क्या इस तरह का तथ्य सामने आया है कि जो जीपें सिंचाई विभाग द्वारा मंगाई गयीं उनको खुले रूप से कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयोग किया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

यह शिकायत प्राप्त हुई । जांच कराई जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जांच का कार्य आई० जी० के सुपुर्द किया गया और आई० जी० ने सतर्कता विभाग को किया । तो क्या टिप्पणी लिखी है, बताने का कष्ट करें ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैंने पत्र लिखकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि तथ्यों की जांच करायें ।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच कितने वर्षों में पूरी होने की संभावना है ? कितने वर्षों बाद कार्यवाही करेंगे, कुछ अवधि निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कई चीजें सम्बन्धित हैं । कहां-कहां से जीपें चलीं, क्या इंटरी हुई है इन तमाम मैटर्स की जांच होनी है । हम जल्दी कराने का प्रयत्न करेंगे ।

खाद्य तथा रसद कार्यालय, लखनऊ के सहायक आयुक्त (शिकायत) के द्वारा घटाई की खरीद के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

द्वितीय सत्र १९७८ के प्रथम बुधवार दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस अधिकारी के विरुद्ध लाखों रुपए के घपले की जांच चल रही है ? उस सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र---

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच का मामला प्रशासनाधिकरण को अभिदिष्ट किया जा चुका है । प्रशासनाधिकरण की जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुई है । उक्त अधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा यह विदित होने पर कि किस सीमा तक वह अधिकारी दोषी थे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रशासनाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही, उक्त अधिकारी को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित किया जाना असामयिक होगा ।

शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित ठेकेदारों के न्यायालयों में विचाराधीन वाद

*३--श्री रियासत हुसन--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित ३१ मई, १९७८ तक कितने वाद ठेकेदारों और सरकार के बीच अदालत में चल रहे हैं और कितन की डिग्री अदालत ने दे दी है तथा जिन अधिकारियों के दोष के कारण यह वाद अदालत तक पहुंचे उनके खिलाफ कौन सी विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

विवाचकों (Arbitrators) की नियुक्ति से सम्बन्धित वादों के अतिरिक्त, ३१ मई, १९७८ तक शारदा सहायक परियोजनाओं से सम्बन्धित कुल २४ वाद ठेकेदारों और सरकार के बीच न्यायालय में विचाराधीन थे। इनमें से दो विवादों में शासन के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। उक्त दो विवादों में से एक में विभाग द्वारा अपील दायर की गई है। वाद के न्यायालय में पहुंचने के सम्बन्ध में किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए किसी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि कुछ मामले आर्बिट्रेटर्स में हैं और २४ केस न्यायालय में ह, तो आर्बिट्रेटर्स के सामने कितने मुकदमें हैं और २४ मुकदमें जो कोर्ट्स में हैं, तो इसमें कितन रुपयों का इन्वाल्वमेंट है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, आर्बिट्रेटर्स वाले के सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

जो २४ मामले न्यायालयों में है उनसे कितनी धनराशि सम्बन्धित है !

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में भी सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, जब आप जवाब दे रहे हैं कि २४ मामले न्यायालय में हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर कितनी धनराशि सम्बन्धित है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, सूचना के लिए समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न स्थगित किया गया।

*४--श्री रियासत हुसैन--

[२रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री आर० जी० अग्रवाल, भतपूर्व अध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण, गोंडा एवं श्री एम० एस० निगम, अध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण, गोरखपुर का स्थानान्तरण

*५--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

१९ ८ के प्रश्न संख्या के सातवें सप्ताह के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ नत्थी (घ) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन प्रशासनिक कारणों से श्री आर० जी० अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, सिविल अभियन्त्रण, गोंडा का स्थानान्तरण १३ अक्तूबर, १९७७ से ११ जुलाई, १९७८ तक ३ महीने के अन्दर ही ३ बार किया गया और उनको चार्ज नहीं दिलाया गया तथा गोंडा, फैजाबाद, खुर्जा और गोरखपुर जाने-आने का यात्रिक भत्ता भी नहीं दिया गया और १ अक्तूबर, १९७७ से १५ जनवरी, १९७८ तथा १ अप्रैल, १९७८ से अब तक का वेतन न देने का क्या औचित्य है तथा क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि श्री एम० एस० निगम, अध्यक्ष, सिविल अभियन्त्रण व पालीटेक्निक, गोरखपुर का स्थानान्तरण १६ जनवरी, १९७८ से १३ अप्रैल, १९७८ तक ३ माह के अन्दर ही चार बार रोका गया तथा १ अप्रैल, १९७८ को कार्यभार से मुक्त कर देने के बाद १३ अप्रैल, १९७८ को पुनः स्थगन आदेश देने का क्या औचित्य है ?

श्री प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (कुंवर सत्यवीर)--

आर० जी० अग्रवाल के स्थानान्तरण के कारण संलग्न तालिका में अंकित है। उन्होंने अपने यात्रा भत्ता के भुगतान सम्बन्धी कोई बिल अभी नहीं दिया।

उनको १ अक्तूबर, १९७७ से १५ जनवरी, १९७८ तथा १ अप्रैल से ३० जून, १९७८ तक के वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। पहिली जुलाई, १९७८ से वह नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

श्री एम० एस० निगम का स्थानान्तरण केवल तीन बार रोका गया। श्री निगम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त स्थगन आदेश जारी किये गये।

श्री निगम १ अप्रैल, १९७८ को कार्यमुक्त नहीं हुये बल्कि १ से १३ अप्रैल, १९७८ तक अवकाश पर रहे।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

श्री श्रीनारायण--

माननीय, श्री आर० जी० अग्रवाल, सिविल अभियंत्रण विभाग के जो अध्यक्ष रहे, उनका ट्रान्सफर गोंडा, फजाबाद हुआ, वहां कहा गया कि वापस जाओ, फैजाबाद से खुर्जा हुआ, वहां कहा गया वापस जाओ, खुर्जा से गोरखपुर हुआ और वहां भी कहा गया वापस जाओ, तो ४ जगह गये और वहां से वापस आये, इसके बावजूद उनको यात्रिक भत्ता न दिया गया और न वेतन ही दिया गया, इस प्रकार साल भर हो गया, तो उनको कब तक वेतन दिया जायेगा ? दूसरी बात श्री एम० एस० निगम का तीन बार ट्रान्सफर क्यों रोका गया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कहना है कि श्री अग्रवाल का ट्रान्सफर बारबार क्यों किया गया और निगम का तीन बार ट्रान्सफर क्यों रोका गया ?

कुंवर सत्यवीर--

श्री निगम का स्थानान्तरण इस कारण रोका गया कि सिविल इवजीक्यूशन का एक प्रत्यावेदन हमको प्राप्त हुआ और दूसरे उनकी लड़की पढ़ रही थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

कुंवर सत्यवीर--

उनकी लड़की के पढ़ने के कारण उनको तीन महीने के लिए रोका गया । श्री अग्रवाल को पूरा वेतन दे दिया गया है केवल कम्पलसरी वेटिंग का बाकी है और उसके आदेश दिये जा रहे ह ।

श्री अध्यक्ष--

श्री काली चरण इस प्रश्न का उत्तर दें । उनका कहना है कि श्री अग्रवाल को गोंडा, खुर्जा, फैजाबाद और कभी बिजनौर और अंत मे देवरिया, बारबार ट्रान्सफर क्यों किया गया ? दूसरी बात माननीय राज्य मन्त्री जी ने कहा कि निगम का ट्रान्सफर एक बार रोका गया जबकि माननीय सदस्य का कहना है कि तीन बार रोका गया । एक बार रोकने का कारण बताया लेकिन दुबारा और तिबारा क्या हुआ, इसको नहीं बताया ?

श्री ऊदल--

आप शिक्षा मंत्री जी को आदेश दे रहे हैं कि वह उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष--

उन्हीं की जिम्मेदारी है ।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इस प्रश्न में दो बातें हैं । एक श्री अग्रवाल का बार-बार स्थानान्तरण करना, उनके कुछ समय का बकाया वेतन का भुगतान और श्री निगम का स्थानान्तरण रोकना । श्री अग्रवाल गोंडा सिविल अभियंत्रण के अध्यक्ष थे । इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें आयीं । यहां तक कि लड़कों में इतना असंतोष था कि उनको अनशन तक करना पड़ा इसलिए श्री अग्रवाल का स्थानान्तरण गोंडा से फैजाबाद कर दिया गया । यह स्थानान्तरण मध्य सत्र में किया गया लेकिन चूंकि छात्रों में असंतोष था इसलिए यह करना पड़ा । फैजाबाद में प्रिन्सपल ने यह समझा कि बीच में परिवर्तन से नुकसान होगा इसलिए उन्होंने प्रत्यावेदन किया और एक आदमी को दंडित करने के लिए दूसरे को दंडित करना उचित नहीं समझा गया । इसलिए इनका ट्रान्सफर गोरखपुर किया गया । वहां श्री निगम कार्य कर रहे थे । वह एन०सी०सी० के अध्यापक थे और उनकी लड़की पढ़ रही थी । वहां के प्रिन्सिपल ने भी उनके सम्बन्ध में अनुरोध किया । वहां इनका स्थानान्तरण करके खुर्जा भेजा । वहां के लड़कों ने भी लिख दिया कि इनको वहां न भेजा जाय । बस्ती में जगह खाली थी लेकिन वहां के छात्रों ने भी लिख कर दे दिया । इस तरह जब पुनः सत्र का अन्त आया, तो गोरखपुर से श्री निगम को हटा कर इनको वहां भेज दिया गया । इनके वेतन का थोड़ा सा बकाया है । यात्रा भत्ता जब बिल प्राप्त हो जायगा, तो उसका भुगतान कर दिया जायगा ।

नोट :-- तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*६--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

*७--श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नियमावली के अनुसार मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में वैयक्तिक सहायक, मुख्य सहायक, अधिष्ठान लिपिकों के स्थानान्तरण में उन्हीं नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से वैयक्तिक सहायक, मुख्य सहायक एवं अधिष्ठान लिपिक तीन वर्षों से अधिक अवधि तक लखनऊ जनपद में कार्यरत हैं और उनका स्थानान्तरण तीन वर्षों के उपरान्त भी न किए जाने का क्या कारण है तथा इन नियमों के अनुपालन न कराय जाने का दायित्व किन अधिकारियों पर है ?

सिंचाई मन्त्री श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्टोर में कथित घोटाला

*८--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मई, १९७८ में गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् के स्टोर में भारी रकम के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[७ दिसम्बर, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३२ द्वारा उत्तरित ।]

रेपसीड आयल के मूल्य के निर्धारण की मांग

*१०--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में रेपसीड आयल विभिन्न लेबलों को लगाकर निश्चित कीमत से अधिक दामों पर वर्ष १९७८ में बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो इसके रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो उक्त आयल को किस ओर निश्चित भाव बाजार में क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

प्रदेश के कतिपय जनपदों में वर्ष १९७८ में विभिन्न ब्राण्ड/मार्क के लेबिलों का रेपसीड आयल बेचा जा रहा है । चूंकि इस प्रकार के रेपसीड तेल का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं है, अतएव किसी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राप्त सूचनानुसार खुले बाजार में रेपसीड आयल अनरिफाइण्ड व रिफाइन्ड रूप में बिकता है । अनरिफाइन्ड तेल का फुटकर भाव ६·५० रु० एवं ७·२५ रु० के बीच तथा रिफाइन्ड तेल का भाव ७ रु० तथा ८ रु० के बीच है ।

बलिया जिले के बांसडीह रेवती मार्ग व रेवती लालगंज मार्ग का निर्माण

*११--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में एक सड़क बांसडीह से रेवती होती हुई लालगंज तक निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

बलिया जनपद में बांसडीह से रेवती होती हुई लालगंज तक सड़क निर्माण की स्वीकृति निम्न दो भागों में प्रदान की गई थी :--

(१) बांसडीह से रेवती मार्ग--इस मार्ग पर कार्य जनवरी, १९७७ से प्रारम्भ किया गया है तथा मार्च, १९८० तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(२) रेवती से लालगंज मार्ग--इस मार्ग पर कार्य जुलाई, १९६१ में प्रारम्भ किया गया था तथा दिसम्बर, १९७० में पूर्ण कर दिया गया ।

*१२--श्री मोती लाल देहलवी--

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाये जाने की मांग

*१३--श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने का विचार शासन का है ? क्या यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन एवं नियन्त्रण के लिये पृथक निदेशालय स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री कलीचरण--

मामला शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

*१४--श्री राम नारायन वर्मा--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, लखनऊ की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

*१५--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की राष्ट्रीय बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा ८ मास से वेतन न मिलने के कारण अक्तूबर सन् १९७८ के प्रथम सप्ताह में अनशन पर बैठीं ? यदि हां, तो ८ मास तक वेतन नहीं मिलने का कारण क्या था ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६--श्री बनारसी दास चांदना--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

*१७--श्री इश्वर दत्त पालीवाल--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

हमीरपुर जिले के अर्जुन बांध हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*१८--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जिले के अर्जुन बांध को जल सामर्थ्य वृद्धि हेतु किसानों की अधिप्राप्त की गयी जमीन का मुआवजा चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया ? क्या सरकार मुआवजा न देकर किसानों को जमीनें वापस करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, अर्जुन बांध की जल सामर्थ्य वृद्धि हेतु किसानों की अधिप्राप्त की गयी कुछ भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा सका ।

जी नहीं । अब किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*१९--श्री जगन्नाथ सिंह--

[४थे बुधवार के लिय स्थगित]

*२०--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित]

सैनिक हाई स्कूल, सरोजिनी नगर, लखनऊ के अध्यापकों व कर्मचरियों का वेतन निर्धारण

*२१--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा निदेशक ने अपने पत्रांक नियुक्ति ३१७६१/२३-४(२७)४-७७, दिनांक ५ दिसम्बर, १९७७ के द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक हाई स्कूल, सरोजिनी नगर, लखनऊ को अवगत कराया कि राजाज्ञा संख्या ३८ ९३/१५(२)१५(१९)-७६, दिनांक २९ जून, १९७८ में दिए गए सिद्धान्तों के आधार पर अपने विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन निर्धारित करें ? यदि हां, तो अब तक अवशेष वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री काली चरण--

जी हां, परन्तु राजाज्ञा २९ जून, १९७६ की है न कि १९७८ की । सहायक लेखाधिकारी, मंडलीय आडिट इकाई, कार्यालय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ से वेतन निर्धारण की शुद्धता की जांच कराकर अवशेष वेतन का बिल राजकीय कोष में ११ नवम्बर, १९७८ को प्रस्तुत किया जा सका । परन्तु उस पर कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा कालातीत होने की आपत्ति लगा दी गई, जिसके निराकरण हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को लिखा जा चुका है ।

फैजाबाद जिले के थिरुआ नाले की बाढ़ से सुरक्षा की मांग

*२२- श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में थिरुआ नाला के बाढ़ व कटान से सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद का दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ का पत्रांक ३०६०/३-डी० पी० सी०--थिरुआ-७७-७८, सचिव, राजस्व अनुभाग (१०), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को मिल गया है? क्या यह सही है कि उक्त विषय में दिनांक ६ मई, १९७८ को जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद ने एक रिमाइन्डर भी भेजा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इसे शीघ्र पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन समानता सम्बन्धी योजना

*२३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन में समानता वर्ष १९७४ से लागू करने की घोषणा की गई थी ? परन्तु वर्ष १९७७ से लागू की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

३० जून, १९७४ या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त अध्यापकों को अवकाश प्राप्ति की तिथि से राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की दर पर पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश २८ जुलाई, १९७८ को जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार पेंशन समानता सम्बन्धी योजना ३० जून, १९७४ से लागू की जा चुकी है ।

साक्षरता निकेतन, लखनऊ के निदेशक द्वारा पुस्तकों की खरीद एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को पुस्तकों की आपूर्ति

*२४--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या यह सच है कि भूतपूर्व निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ने, जो अब साक्षरता निकेतन, लखनऊ के निदेशक हैं, अपने कार्यकाल में साक्षारता निकेतन को वर्ष १९७६-७७ और १९७७-७८ में अन्य सभी प्रकाशकों एवं संस्थाओं को अधिकृत रूप से हटाकर दस-दस लाख रुपया के मूल्य की पुस्तकों के आर्डर बगैर पूर्व समीक्षा के दिए साथ ही उनको भुगतान व्यवस्था भी उसी वर्ष करा दी गई जबकि पुस्तकें बहुत बाद में मिलीं और प्रकाशित की गयी ?

*२५--क्या वर्ष १९७७-७८ के लिए खरीदी जाने वाली सभी पुस्तकें अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो क्या इसके वर्ष १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में सरकार के समक्ष प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर एक भी पुस्तक नहीं मिल पाई और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम पुस्तकों के अभाव के कारण अधूरा रह गया ?

श्री कालो चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२६--श्री राम नारायण वर्मा--

[४ बुधवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले की न्याय पंचायत क्षेत्र साखोपार के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा की मांग

*२७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद की पडरौना तहसील के साखोपार न्याय पंचायत क्षेत्र के ग्राम साखोपार, बहोरापुर, भिखू छ परा, पिपरा तिवारी आदि क्षेत्र में लगभग एक हजार एकड़ से भी अधिक भूमि असिंचित है ? यदि हां, तो सपहा राजबहा से नरसर ग्राम के पास एक अल्विका (माइनर) शीघ्र निकालने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

पडरौना तहसील के साखोपार न्याय पंचायत क्षेत्र के ग्राम-साखोपार, बहोरा-पुर, भिखूछरा, पिपरा तिवारी आदि गांवों का लगभग ६०० एकड़ रकबा नहर से दूर होने के कारण असिंचित है ।

उक्त ग्रामों के असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा नहर या राजकीय नलकूप द्वारा दी जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[४थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

ग्राम सगहट जिला वाराणसी हेतु नलकूप निर्माण की मांग

२९*--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सगहट, ब्लाक काशी विद्यापीठ, जिला वाराणसी का रकबा ५०० एकड़ है और सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो उस गांव में राजकीय ट्यूबवेल लगाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलवीर सिंह--

गांव सगहट, ब्लाक काशी विद्यापीठ जिला वाराणसी का कुल रकबा २०२ एकड़ है जिसमें से १८८ एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र है इसके लिए सिंचाई सुविधा निकटवर्तीय नलकूप मिश्रपुर से उपलब्ध है । अतः गांव सगहट के लिए कोई अतिरिक्त नलकूप लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३०--श्री बनारसी दास चांदना--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के गठन सम्बन्धी नियम

*३१--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघों के गठन सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने और उसे एक नया रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री काली चरण--

मामला शासन के विचाराधीन है ।

अवर अभियन्ताओं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

*३२--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निकट भविष्य में जो अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति की लिस्ट निकलने वाली है उसमें अनुसूचित जाति के कोटे का ध्यान रखा गया है ? यदि पिछला कोटा पूरा नहीं है तो क्या उसे ४५ प्रतिशत के हिसाब से इसमें पूरा किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है किन्तु नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनके लिए आरक्षित रिक्तियों अग्रेनीत (कैरी फारवर्ड) की जा रही है ।

*३३--श्री राजमंगल तिवारी--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

*३४--श्री मंजूर अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ३०२ अवर अभियन्ताओं के सलेक्शन ग्रेड की लिस्ट जो १९७६ में निकली थी उसमें अनुसूचित जाति के अ० अ० को कोटे के हिसाब से पदोन्नति नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

दिनांक २७-१२-७५ को ३०३ अवर अभियन्ताओं के सेलेक्शन ग्रेड की लिस्ट निकाली गयी थी ।

जी नहीं । सेलेक्शन ग्रेड में अनुसूचित जाति के आरक्षण का निर्णय शासन द्वारा दिनांक ८-४-७६ की राजाज्ञा द्वारा लागू किया गया था, जिसके पूर्व कोटे के हिसाब से पदोन्नत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३५--श्री हरि केवल प्रसाद--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित] ।

उत्तर काशी जिले की बाड़वाला कट्टा पत्थर लखवाड़ रोड को यातायात हेतु खोलने की मांग

*३६--श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद' (जिला उत्तर काशी)--

क्या सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्ता का ५ सितम्बर, १९७८ तथा ६ सितम्बर, १९७८ के पत्र जोकि क्रमशः बाढ़ वाला कट्टा पत्थर लखवाड़ रोड को आम यातायात हेतु खोलने तथा ग्राम शांखाल, कामरा, भंकोली एवं छमरोटा गांव सिंचाई खंड पुरोली, जिला उत्तर काशी के लिए नहर के स्टीमेट मंगाने के बारे में थे, मिले ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि सर्वे कराकर आवश्यक कार्यवाही करें ।

उत्तर काशी जिले के राजकीय इन्टर कालेज, भटवाड़ी ओर पुरोला में प्राध्यापकों की नियुक्ति

*३७--श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद'--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तर काशी के रा० इ० का० भटवारी में फिजिक्स तथा रा० इ० कालेज पुरोला में गणित प्राध्यापकों की नियुक्ति अब तक न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि मैदानी क्षेत्रों के लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या आप पर्वतीय क्षेत्रों के ही बेरोजगार शिक्षितों को शीघ्र नियुक्त करने की कृपा करेंगे, ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण--

दोनों विषयों के प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है । यह सही नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों के लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग में तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया गया कथित गैर तकनीकी कार्य

*३८--श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से गैर तकनीकी के कार्य हैं जो कार्यालय मुख्य अभियन्ता सिंचाई में लिपिकीय अधिकारियों द्वारा न कराके तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराए जा रहे हैं जिससे हर वर्ष ६० हजार रुपया शासकीय धन का अपव्यय हो रहा है ? इस अनावश्यक व्यय के क्या कारण है और इसे दूर करन के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग में कोई ऐसे गैर तकनीकी कार्य नहीं है जिसे लिपिकीय अधिकारियों द्वारा न कराके तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा हो । अतः इस सम्बन्ध में किसी शासकीय धन के अपव्यय होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

बाराबंकी जिले की किन्तूर पम्प नहर हेतु अधिगृहीत भूमि की वापसी की मांग

*४०--श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के ग्राम किन्तूर के किसानों ने लिफ्ट इरीगेशन शाखा किन्तूर की नहर व क्वाटर प्लाट की अर्जित भूमि की योजना के निरस्त हो जाने कारण वापसी हेतु स्थानीय विधायक द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र गत मासों में दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 24-6-76 द्वारा मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिए गए हैं कि किन्तूर पम्प नहर के लिए अध्याप्त की गयी भूमि सम्बन्धित कृषकों को वापस कर दी जाए। मुख्य अभियन्ता ने सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिए हैं ।

जौनपुर के शारदा सहायक खंड के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा के ड्रेनेज साइफन का निर्माण

*४१--श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के शारदा सहायक खंड ३६ में सुल्तानपुर शाखा के कि० मी० १६१४८ पर अनुबन्ध संख्या २ईई/वर्ष१९७६-७७ द्वारा साईफन के निर्माण में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया ? जिसमें फर्जी कार्यादेश नं० २०/११, ३७/११: २/२६, ३/२६, १/२६, ४२/११: ४/२६, २६/२६, १३/२६, २३/२६, २४/२६, २९/२६, १०/२६, १५/२६ तथा दो मास्टर रोल वाउचर नं० ३, डेटेड १३ अक्तूबर, १९७६ के द्वारा दूसरे ठेकेदारों को भुगतान किया गया ? यदि हां, तो सरकार जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा सहायक खंड ३६, जौनपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा के कि० मी० १६१·४८ पर एक ड्रेनेज साइफन बनाने हेतु अधिशासी अभियन्ता ने अनुबन्ध संख्या २/ईई/७६-७७ किया था । कार्यारम्भ करने की तिथि ३-४-७६ थी तथा कार्य तीन माह में समाप्त करना था । निर्धारित अवधि में ठेकेदार ने जब कार्य करने में अपने को असमर्थ पाया तब उसने दिनांक १८-५-७६ को लिखकर दिया कि जिन कार्यों को वह न कर सके उनको डेवीटेबुल एजेन्सी से पूरा करा सकते हैं । चूंकि सुल्तानपुर शाखा के कार्यों को पूरा कराना आवश्यक था अतः कुछ कार्य वर्क आर्डर तथा मस्टर रोल द्वारा डेवीटेबुल एजेन्सी लगाकर कराए गए । इन पर ठेकेदार ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर किए। इस प्रकार कोई भी भुगतान फर्जी नहीं हुआ है । अतः किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इन्टर कालेज, बाराबंकी में इन्टर में साइन्स की कक्षा शुरू किए जाने की मांग

*४२--श्री देव बहादुर सिंह --

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बाराबंकी में इन्टर कक्षा में साइन्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए कुछ समय पूर्व साइंस की सामग्री खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है ? और क्या वह सामग्री खरीदी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब से साइन्स की कक्षाएं शुरू करने का विचार है ? उस क्षेत्र की छात्राओं की कठिनाई को देखकर क्या आने वाले इस वर्ष से वहां इन्टर साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बार बंकी के भवन में स्थानाभाव के कारण इन्टर साइंस की पढ़ाई शुरू किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जिलेवार नलकूपों का आवंटन

*४३--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९७८-७९ में उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितने-कितने ट्यूबवेल्स एलाट किए गए हैं तथा उनके एलाटमेंट का आधार क्या है ?

श्री बलवीर सिंह--

वर्ष १९७८-७९ में उत्तर प्रदेश के हर जिले में शासन द्वारा आवंटित राजकीय नल कूपों की सूची संलग्न है । राजकीय नलकूपों का आवंटन जिले की सिंचाई की आवश्यकता, भूगर्भ जल की स्थिति तथा क्षेत्रीय विषमता के आधार पर साधारणतः किया जाता है ।

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर ६५२ पर) ।

अतारांकित प्रश्न

ललितपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें एवं उनका निर्माण कार्य

१--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जिले में प्लान, नान प्लान तथा सिक्योरिटी रोड कौन-कौन से कितने-कितने किलोमीटर तथा कब से स्वीकृत पड़े हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

२--श्री रणवीर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त सड़कों में किन-किन पर कब से निर्माण कार्य चल रहा है कौन रोड पूरे बन चुके हैं, कितने अभी अधूरे हैं और और किन-किन पर अभी कार्य चल रहा है और उनकी स्थिति इस समय क्या है ? मन्त्री जी कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि निर्माणाधीन रोड कब तक पूरे बन जायेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

निर्माण कार्य समाप्त करने की लक्षय तिथियां यह मान कर निर्धारित की गई है कि मांग के अनुसार धन उपलब्ध होता रहेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे ६५५ पृष्ठपर ।)

निजी प्राइमरी पाठशालाओं की मान्यता पर प्रतिबन्ध

३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा निजी प्राइमरी पाठशालाओं को मान्यता देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो कब से ? तथा प्रतिबन्ध लगाने का कारण क्या है ?

श्री काली चरण--

जी हां, दिनांक ३१ जनवरी, १९७५ के आदेश द्वारा । प्रतिबन्ध लगाने का कारण निजी विद्यालयों द्वारा शासकीय क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त करने हेतु विभिन्न अनियमितताओं को रोकना एवं शासन द्वारा आवश्यकतानुसार नये स्कूल खोला जाना ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हरिजन अध्यापकों की संख्या

४--श्री श्री नारायण--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा हरिजनों की संख्या क्या है ? क्या मन्त्री महोदय उनके आरक्षण की पूर्ति पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

प्रदेश में कुल २९३ राजकीय हाई स्कूल तथा २८० राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज हैं । इन विद्यालयों में एल० टी० तथा प्रवक्ता वेतनक्रमों में क्रमशः ३७९६ तथा २७२५ अध्यापक/अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, जिनमें २७३ हरिजन हैं । इन विद्यालयों में नियुक्त सी० टी० वेतनक्रम के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें उनके नियुक्त प्राधिकारी (मंडलीय अधिकारियों) से एकत्र की जा रही हैं । प्रसंगत विभिन्न पदों के लिए निर्धारित मानक/अर्हता रखने वाले हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति/प्रोन्नति इन पदों पर की जाती है और उक्त प्रकार के हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर निर्धारित आरक्षण की पूर्ति हो सकेगी ।

५--श्री श्री नारायण--

[चौथे तारांकन के लिए स्थगित]

६--श्री ओंकार नाथ--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित]

७--श्री अठई राम--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित]

अवर अभियन्ता, नेशनल हाई-वे डिवीजन, एटा के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

८--श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अवर अभियन्ता नेशनल हाई-वे डिवीजन एटा (श्री आर० एस० सिंघल) के सम्बन्ध में ३ सांसदों एवं ४ विधायकों की संस्तुति के साथ दिनांक ३० मई, १९७८ को एक शिकायती-पत्र श्री श्याम बाबू अस्थल इटावा उनको पत्र लिखा था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी तथा उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

फैजाबाद जिले में जले हुये नलकूप के मोटर

९--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९७७ से मार्च, १९७८ तक जनपद फैजाबाद में कितनी नलकूप की मोटरें जली हैं और जले मोटरों के रिवाइंडिंग पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलवीर सिंह--

जनपद फैजाबाद में १ जनवरी, १९७७ से मार्च, १९७८ तक कुल ३९४ नलकूपों की मोटरें कुछ पूर्ण एवं कुछ आंशिक रूप से जलीं जिनकी रिवाइन्डिंग मे १,०७,९८५ रु० का व्यय हुआ है।

१०--श्री मित्र सेन--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित]

जिलेवार नलकूपों का आवंटन एवं जिला फैजाबाद के लिये नलकूप का आवंटन

११--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश स्तर पर जिलावार राजकीय नलकूपों का आवंटन का आधार क्या है ? वर्ष १९७८-७९ में पूरे प्रान्त में कितने राजकीय नलकूप लगाए जा रहे हैं ? इनमें से शासन के मान दन्ड के अनुसार जनपद फैजाबाद को कितने राजकीय नलकूप मिलते हैं ? क्या इतने नलकूप फैजाबाद में लग रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

प्रदेश स्तर पर राजकीय नलकूपों का जिलेवार आवंटन जिले की सिंचाई की आवश्यकता, भूगर्भ जल की उपलब्धता, फसल चक्र एवं क्षेत्रीय विषमता के आधार पर साधारणतः किया जाता है। वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश में १२०५ राजकीय नलकूपों का आवंटन अभी किया गया है। इसमें से ४० नलकूप फैजाबाद जनपद के लिये आवंटित किये गये हैं और वर्ष १९७८-७९ में इनका निर्माण प्रस्तावित है।

आगरा जिले के फिरोजाबाद क्षेत्र के बन्द नलकूप और नलकूप निर्माण की मांग

१२--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा, क्षेत्र फिरोजाबाद के बन्द खराब राजकीय नलकूप संख्या १३, ५३, ४९ तथा ५४ को क्या पुनः छिद्रण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के जून, १९७८ में उनको प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, राजकीय नलकूप संख्या १३,४९,५३ तथा फिरोजाबाद समूह असफल हो गये हैं। इन नलकूपों के असफल होने की जांचोपरांत चालू वर्ष में पुनः निर्माण कराया जाना प्रस्तावित ।

१३--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के दक्षिणी भाग के सूखाग्रस्त गांवों में क्या २४ राजकीय नलकूप लगवाए जाने हेतु प्रश्नकर्ता ने मार्च, १९७८ से जून/जुलाई, १९७८ तक कोई पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां। आगरा जनपद के फिरोजाबाद में २४ राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक ३ जुलाई, १९७७ का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत ग्रामों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा नियमानुसार नलकूप लगाने की कार्यवाही तत्पश्चात् की जायेगी।

१४--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]।

फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग में गति अवरोधक के निर्माण की मांग

१५--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे की जनपद फैजाबाद में फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर पड़ने वाली बाजारों एवं कस्बों में गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का ११ जुलाई, १९७८ का पत्र मिला था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां, परन्तु वर्तमान नीति के अनुसार गति अवरोधकों का बनाना सम्भव नहीं है।

देवरिया जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

१६– श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में वर्ष १९७४–७५, १९७५–७६ से बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण (बी० टी० सी०) प्राप्त ९०० (नौ सौ) अध्यापक बेकार हैं ? यदि हां, तो इन्हें शीघ्र सेवा नियोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण––

जी नहीं । देवरिया जनपद में वर्ष १९७४ के बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है । वर्ष १९७५ एवं ७६ में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या लगभग ३३० है । नये पद स्वीकृत होने या पद रिक्त होने पर इन बेरोजगार अध्यापकों को सेवायोजित किया जायेगा ।

१७––श्री रवीन्द्र सिंह––

[४थे बुधवार के लिए स्थगित] ।

सीतापुर जिले में अध्यापक विहीन प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल

१८––श्री राम नरायन वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितने ऐसे प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें कोई भी अध्यापक नहीं हैं तथा जिन विद्यालयों में निर्धारित संख्या के आधार पर अध्यापकों की संख्या कम है उनमें अध्यापकों की संख्य पूर्ति के लिए सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक अध्यापकों की पूर्ति उक्त विद्यालयों में हो जायगी ?

श्री कालीचरण––

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार जनपद सीतापुर में नवम्बर, १९७८ में समायोजन हुआ है और उसके फलस्वरूप अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही हुई है । उसके आधार पर अब कोई भी प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिसमें अध्यापक न भेज दिये गये हों और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें निर्धारित संख्या के आधार पर अध्यापकों की संख्या कम हो ।

सीतापुर जिले के कतिपय ब्लाकों के प्राइमरी पाठशालाओं में चालू की गयी बालाहार योजना

१९– श्री राम नरायन वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक महमूदाबाद तथा ब्लाक रामपुर मथुरा की कितनी प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें बालाहार कार्यक्रम चल रहा है ? जिन विद्यालयों में बालाहार स्कीम नहीं चल रही है क्या सरकार उनमें गरीब बच्चों के लिए बालाहार प्रारम्भ कराने का विचार कर रही है ?

श्री कालीचरण––

(क) महमूदाबाद ब्लाक, जिला सीतापुर की ११ प्राइमरी पाठशालाओं में बालाहार कार्यक्रम चल रहा है ।

(ख) ब्लाक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर की प्राइमरी पाठशालाओं में बालाहार योजना इस वर्ष नहीं चल रही है ।

(ग) जनपद के अधिकारी विद्यालयों का चयन करते हैं । सीमित साधनों के अन्तर्गत यदि इन विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयेगा, तब विचार किया जायगा ।

सीतापुर जिले में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

२०--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पहला रामपुर मथुरा व महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कितनी प्राइमरी पाठशाला हैं, जिनमें भवन नहीं है ? जिन विद्यालयों में भवन नहीं हैं उनके लिए सरकार कब तक बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

जनपद सीतापुर के विकास खंड पहला में ८, रामपुर मथुरा में १३ और महमूदाबाद में १० ऐसी प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके भवन नहीं हैं। शासन ऐसे विद्यालयों के भवन का निर्माण कराये जाने के लिये प्रयत्नशील है किन्तु धनाभाव के कारण इन विद्यालयों के भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा यह बता पाना संभव नहीं है ।

२१--श्री राम नरायन वर्मा--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित] ।

राजकीय निर्माण निगम के अपरेन्टिस स्थानिक अभियन्ता तथा स्थानिक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति

२२--श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में जून, १९७८ में कितने अपरेन्टिस स्थानिक अभियन्ता तथा सहायक स्थानिक अभियन्ता रेगुलर किए गए और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जून, १९७८ में तथा किसी और तिथि में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कोई भी अपरेन्टिस स्थानिक अभियन्ता नियुक्त नहीं किया गया । अतः उनके रेगुलर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक स्थानिक अभियन्ता रेगुलर पद पर ही नियुक्त किए जाते हैं । अतः उन्हें रेगुलर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

खीरी जिले के श्री श्याम लाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की कथित जांच

२३--श्री हरी राम वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी में श्री श्याम लाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, खीरी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) द्वारा जांच चल रही है ? यदि हां, तो प्रान्तीय खण्ड में वह कैसे कार्य कर रहे हैं ? इसके विरुद्ध कितनी शिकायतें हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

जिला सुल्तानपुर का अकबरपुर--दोस्तपुर मार्ग

२४--श्री हरीराम वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर से दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर जाने वाली सड़क तारकोल से बनवाई जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

अतः इस सड़क के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

२५--श्री हरीराम वर्मा--

[६-१२-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ द्वारा उत्तारंत] ।

कानपुर जिले की नवेड़ी-कोटरा मकरन्दपुर मार्ग का निर्माण

२६--श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर --

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७४ में नवेड़ी-कोटरा मकरन्दपुर, जिला कानपुर की लिंक रोड शासन द्वारा स्वीकृत हुई थी जिसमें अभी तक कितनी सड़क बन चुकी है और कितनी शेष है ? सरकार शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इस मार्ग की कुल लम्बाई ८ किलोमीटर है । वर्ष १९७३-७४ में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत इस मार्ग पर केवल ६०० मीटर लम्बाई के लिये मिट्टी डालने का कार्य स्वीकृत हुआ था जो जून, १९७३ तक पूरा कर दिया गया था। दिसम्बर, १९७६ में इसी ६०० मीटर मार्ग में प्रथम सतह लेपन तक कार्य स्वीकृत किया गया। अभी तक ऊपरी सतह तक कुटाई हो चुकी है और केवल प्रथम सतह लेपन शेष है जिसके मार्च, १९७९ तक पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है ।

शेष ७·४० किलो मीटर मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है । अतः शेष कार्य को पूरा कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांसुरा रामपुर के भवन-निर्माण की मांग

२७--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल बांसुरा, ब्लाक रामपुर मथुरा के भवन निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्कूल का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

फैजाबाद जिले के अकबरपुर–गोहनिया मार्ग तथा नरायनपुर–महरुआ मार्ग के निर्माण की मांग

२८––श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में लिंक मार्ग योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का २६ अगस्त, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर के सरकार उन पुलों तथा मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देगी जिनके बारे में प्रश्नकर्त्ता ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

जी हां ।

प्रश्नकर्त्ता के पत्र में उल्लिखित मार्गों में से निम्नलिखित मार्गों को खाद्यान योजना–४ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है :

(१) अकबरपुर––गोहनिया मार्ग (७ कि० मी०)

(२) नरायनपुर––महरुआ मार्ग (७ कि० मी०)

अन्य मार्गों तथा पुलों के निर्माण के लिए चयन धनाभाव केकारण सम्भव नहीं हो सका ।

२९––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित]

३०––श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी––

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले की अहिरौली माइनर की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

३१––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में अहिरौली माइनर की पटरी को पक्की कराकर आवागमन हेतु सुलभ बनाने के सम्बन्ध में कटेहरी ब्लाक के प्रधानों एवं निवासियों का प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्त्ता के २३ अगस्त, १९७८ के पत्र के साथ सिंचाई मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलबीर सिंह––

जी हां ।

अहिरौली माइनर की पटरी को पक्का कराने का कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं है ।

गोरखपुर जिले के लिए स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल

३२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७८-७९ में गोरखपुर जिले में कितने जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना है ? कितने विद्यालय अब तक खोले गये हैं ?

श्री काली चरण--

जनपद गोरखपुर में वर्ष १९७८-७९ में २० प्राइमरी तथा १० जूनियर हाई स्कूलों का खोला जाना प्रस्तावित है । अतः अब तक कितने विद्यालय खोले गये इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

बदायूं जिले में सड़कों का निर्माण

३३--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८-७९ में बदायूं जनपद में विभिन्न योजनाओं में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

जहां तक कार्य पूरा कराये जाने का प्रश्न है यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बदायूं जिले के लिये स्वीकृत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल

३४--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८-७९ में बदायूं जनपद में कितने प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय खोले जा रहे हैं एवं जनपदों को विद्यालय आवंटित करने का आधार क्या है ?

श्री काली चरण--

जनपद बदायूं में वर्ष १९७८-७९ में ४५ प्राइमरी तथा ३० जूनियर हाई स्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं । मैदानी जनपदों में नवीन प्राइरी एवं जूनियर हाई स्कूल आवंटित करने का आधार अखिल भारतीय तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में इंगित असेवित क्षेत्र है ।

नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, श्री राम मूर्ति यादव के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

३५--श्री उदय नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, श्री राममूर्ति यादव द्वारा काशी कांकरीट पाईप फर्म के सहयोग से लाखों रुपए के घोटाले की विभागीय जांच हेतु दिनांक ४ अगस्त, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता ने लिखकर शासन को दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही अब तक कर चुकी है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री बलवीर सिंह--

जी हां । अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है । अभी तक हुई जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है । जांच जारी है ।

३६--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित]

३७--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित]

श्री आर० एन० टंडन, मुख्य अभियन्ता, नलकूप के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

३८--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, १९७७ को श्री आर० एन० टंडन, मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व) के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार के आरोप जांच करने हेतु सतर्कता अनुभाग को भेजे गए थे ? सतर्कता विभाग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो मन्त्री जी क्या उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

श्री आर० एन० टंडन के विरुद्ध माननीय विधायक श्री सोहन वीर सिंह तोमर के शिकायती-पत्र दिनांक २० सितम्बर, १९७७ व ३१ जनवरी, १९७८ तथा माननीय विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के शिकायती पत्र दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ पर सतर्कता विभाग द्वारा छानबीन करायी जा रही है और आख्या प्रतीक्षित है ।

सिंचाई विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं उनका स्थायीकरण

३९--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं जिन्होंने उनको दिए आरोप-पत्रों का उत्तर एक वर्ष पूर्व दे दिया था, परन्तु उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ? उनमें से कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें इसी कारण स्थायी नहीं किया गया व जिनकी प्रोन्नति रोक दी गई ?

श्री बलवीर सिंह--

सिंचाई विभाग के ६६ राजपत्रित अधिकारियों ने उनको दिए गए आरोप पत्र का उत्तर एक वर्ष पूर्व दे दिया था । जांच में अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण इनमें से २३ अधिकारियों का स्थायीकरण नहीं किया जा सका और प्रोन्नति से वंचित रह गए ।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

४०-श्री अदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग मुख्यालय, लखनऊ में अधिकतर अधिष्ठानों में पांच वर्ष से लेकर दस-दस वर्ष से लोग पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकारी आदेश पांच साल तक ही रहने के लिए बनाया गया है इसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है और ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी पांच वर्ष से लेकर दस वर्ष तक घूम फिर कर मुख्यालय में पड़े हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

राजपत्रित/अराजपत्रित अधिष्ठान में स्थानांतरण सम्बन्धी शासकीय आदेशों का यथासम्भव पालन किया जा रहा है । केवल निम्नलिखित श्रेणी में उनके सामने अंकित संख्या में कुछ अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं, जो लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं:--

समूह 'क'	..	..	५
समूह 'ख'	..	..	८
अवर अभियन्ता (सिविल)	..	..	१०
अवर अभियन्ता (यांत्रिक)	..	..	८

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग मुख्यालय, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (अनुसचिवीय तथा ड्राइंग अधिष्ठान) के बाहर स्थानांतरण हेतु ५ वर्ष की अवधि की सीमा लागू नहीं हो सकती ।

जनपद लखनऊ स्थित मण्डलों के अंतर्गत कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण सम्बन्धित शासनादेश के अनुरूप किए जाते हैं ।

एक ही जनपद में घूम फिर कर पुनः पदस्थापन की अवधि की कोई सीमा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि माननीय पुष्पवान जी कहां है और उनको जेल में बन्द क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय पुष्पवान जी की गिरफ्तारी की सूचना हमारे कार्यालय में मिल चुकी है । जब समय आएगा तो मैं सूचना दूंगा । इस प्रकार अनियमित रूप से सदन का समय नष्ट करना अनुचित है । आपको १८ महीने हो गए । इतना कब से कब ज्ञात होना चाहिए । आप मेरे कार्यालय में आकर सूचना दे देते ।

श्री पूरन चन्द्र--

एक तरफ आप कहते हैं कि मालूम होना चाहिए । दूसरी तरफ हमारे माननीय विधायक जेल में बन्द हैं । सत्ता पक्ष की सरकार ने उनको बन्द कर रखा है । हम उत्तराखंड लेकर रहेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

आज लखनऊ में जो हालत है उसके बारे में सरकार से वक्तव्य चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

उसके लिए मैं आपको अवसर दूंगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

प्रश्नों से सम्बन्धित जानकारी करना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कार्यालय में लिख कर भेज दें ।

श्री रियासत हुसैन--

नत्थी 'घ' में प्रश्न संख्या ४ पर मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

आप इतने पुराने सदस्य हैं । इसके बारे में आप मुझे लिखकर दीजिएगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं ।

लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे से सम्बन्धित वक्तव्य की मांग

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

नेता विरोधी दल को इस बात का पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में हक है । अगर कोई अत्यन्त महत्व की बात हो तो उसके बारे में वह शासन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । चूंकि ट्रेन लेट हो गई इसलिए नियमानुसार लिखकर नहीं भेज सका । हाउस आफ कामन्स में परम्परा है जिसे मैं दिखा सकता हूं । लखनऊ में शिया सुन्नी के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसके बारे में गृह मन्त्री जी, कब वक्तव्य देंगे ताकि लखनऊ में शान्ति बनी रहे और शान्तिपूर्ण मोहर्रम मना सकें ।

श्री अध्यक्ष---

नेता विरोधी दल, आज इस सम्बन्ध में ६, ७ कार्य स्थगन प्रस्ताव मुझे मिले हैं । यह जो आपने कहा कि आपको अधिकार है वह अधिकार जिस प्रकार से और मंत्रियों को है कि वह कोई वक्तव्य स्वतः दे सकते हैं उसी प्रकार आप भी कोई प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन उसके लिए कार्यक्रम में जो अवसर है वह नियमावली में दिया हुआ है । चूंकि अब आपने यह प्रश्न उठा लिया है शिया सुन्नी की स्थिति के बारे में तो माननीय गृह मन्त्री जी जो यहां उपस्थित हैं वह बतला दें कि वह शीघ्रातिशीघ्र कब सदन को उससे अवगत करा सकेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)---

सायंकाल ५ बजे जब बिजनेस समाप्त हो जाएगा, तुरन्त उसके बाद वक्तव्य दे दूंगा ।

ग्राम्य विकास मन्त्री श्री छोटे लाल को विधान भवन गेट पर रोके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

व्यवस्था का प्रश्न है । ग्राम्य विकास मंत्री श्री छोटे लाल आज जब सदन में आ रहे थे तो गेट पर उनको गार्ड ने रोक लिया । जिनको गार्ड नहीं पहचानता उनके लिए नेम प्लेट लगवा दी जाय ताकि वह उनको पहचान सकें वर्ना सचिवालय में उनको घुसने नहीं दिया जाता है जो बहुत शर्मनाक है ।

श्री अध्यक्ष---

परिचय पत्र इसीलिए दिया जाता है । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बतला दीजिए । मैं उसे देख लूंगा ।

लखनऊ के कर्फ्यू क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मचारियों को पास दिए जाने की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

इस सचिवालय में लगभग २०-२५ फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां कर्फ्यू लगा हुआ है और उनको पासेज नहीं मिल पाए हैं, जिससे उनको आने में दिक्कत हो रही है । वह समय पर नहीं आ पा रहे हैं । मैं चाहता हूं ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि उनको कर्फ्यू के पासेज मिल जायं और वे कार्यालय समय पर आ सकें ।

श्री अध्यक्ष---

यह सदन का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न प्रशासन से सम्बन्ध रखता है, सदन में इसका उठाना उचित नहीं होगा ।

श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान', सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं । सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल, दिल्ली की वायरलेस मैसेज दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक १२ दिसम्बर १९७८ को प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्री प्रताप सिंह "पुष्पवान", सदस्य, विधान सभ

(चमोली), आत्मज श्री हरी सिंह, निवासी किमाना, चमोली ८ दिसम्बर, १९७८ को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर ७०७/७८ में एम० एस०, पार्लियामेंट स्ट्रीट के आदेशानुसार सेंट्रल जेल दिल्ली में दाखिल किए गए ।

इस सम्बन्ध में नई दिल्ली से श्री एस० के० टंडन द्वारा भेजे गए तार, जो इस सचिवालय में दिनांक १२ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ है, के अनुसार उक्त माननीय सदस्य उक्त केस के सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट द्वारा भा० द० वि० की धारा १८८ के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० ७०७ के मामले में उनके समक्ष सेंट्रल तिहार जेल, नई दिल्ली में लगे कैम्प इजलास में पेश किए गए और माननीय सदस्य ने उपर्युक्त अपराध को स्वीकार किया तथा उन्हें अदालत उठने तक की सजा दी गई ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या स्वीकार किया समझ में नहीं आया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, किस तारीख को गिरफ्तारी हुई ?

श्री अध्यक्ष --

८ दिसम्बर, १९७८ को ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपका ध्यान नियम ८० की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई सदस्य गिरफ्तार होगा तो उसकी सूचना यहां तुरन्त दी जाएगी । मान्यवर, ८ तारीख को गिरफ्तार माननीय सदस्य किए गए और आज १३ तारीख है । इतना विलम्ब अक्षम्य है । आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । इस सम्बन्ध में जांच करने के बाद उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई...

श्री अध्यक्ष --

वह सही है, ८ तारीख को गिरफ्तारी हुई जैसा कि मैंने पढ़ कर सुनाया । इसकी सूचना १२ तारीख को मिली । अवश्य इसमें देरी हुई है मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए ।

श्री पूरन चन्द्र--

हम नहीं बैठेंगे । हम चिल्लायेंगे, पुकारेंगे । इस प्रकार का व्यवहार हमारे माननीय सदस्य के साथ होता है ।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठिए । आपका इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त अशोभनीय है । किसी कारण से, अज्ञान के कारण इस तरह का प्रश्न करते हैं । नियम में है कि अगर कोई सदस्य गिरफ्तार हो तो उसकी सूचना तत्काल आनी चाहिए । इससे हमारा ताल्लुक नहीं है कैसे हुआ, क्या हुआ । माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने प्रश्न उठाया है वह सही है । इसमें देरी हुई है । मैं इसके बारे में दिल्ली सरकार से जानकारी प्राप्त करूंगा और उनसे कहूंगा कि जिस मैजिस्ट्रेट ने देरी की है उसके खिलाफ, वह देखें कि क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गिरफ्तारी तिहाड़ जेल में नहीं हुई । मेरी जानकारी है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी उत्तर प्रदेश में हुई । माननीय गृह मन्त्री जी उपस्थित है । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी किस मैजिस्ट्रेट ने की और उसकी जानकारी सदन को क्यों नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष—

गृह मन्त्री जी से इसका सम्बन्ध नहीं है । दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है । जैसा कि मैंने पढ़ कर सुनाया ।

बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से कुचल कर एक छात्र की मृत्यु से छात्रों में असंतोष के विषय को नियम १०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन का ध्यान बलिया में उग्र छात्र आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । बताया जाता है कि ८-१२ को राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से कुचल कर एक छात्र की दर्दनाक मृत्यु हो गई । इस दुर्घटना के फलस्वरूप दोषी व्यक्ति को दंडित की मांग करते हुए छात्रों ने पूरे बलिया नगर के विद्यालयों में हड़ताल कर दिया और जुलूस निकाला । छात्रों का जुलूस शहर के विभिन्न भागों से होता हुआ जब राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यालय पर पहुंचा तो छात्रों व पुलिस में संघर्ष हो गया । पुलिस ने निर्मम लाठी चार्ज किया, जिसके फलस्वरूप कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए ।

छात्रों ने पुलिस ज्यादती के विरोध में बलिया बन्द का एलान किया । छात्रों के आह्वान पर पूरा बलिया पूर्णतः बन्द रहा । स्कूल कालेज अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिए गए हैं । रोडवेज की बसें भी ९-१२ से नहीं चल रही हैं । कई दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है । दफा १४४ लगा दी गई है । स्थिति अत्यन्त ही तनावपूर्ण है । यदि छात्रों की मांगों पर विवेकपूर्ण कदम न उठाया गया तो इसका प्रभाव अगल-बगल के जिलों पर भी पड़ सकता है ।

अतः सरकार शीघ्र प्रभावी कदम उठा कर स्थिति को कृपया शांत करे ।

माध्यक्ष, मैं इसके साथ यह भी सूचना देना चाहता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की बसें ९ तारीख से बन्द पड़ी हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

रवीन्द्र जी, जो आपने लिखकर दिया है उससे ज्यादा मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप बैठिए । माननीय गृह मन्त्री जी इस पर आप परसों तक जानकारी प्राप्त कर जानकारी दे दें ।

(गृह मंत्री) श्री रामसिंह—

मैं दे दूंगा ।

बहराइच जनपद के कतिपय विकास खंडों में कमला कीड़े के प्रकोप से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, बहराइच जनपद के १६ विकास खंडों में लगभग ३ हजार एकड़ क्षेत्र की फसल लाही, सरसों, मटर, आलू एवं अरहर आदि में अलग-अलग अवस्थाओं वाले कमला कीट एवं एक अन्य प्रकार के कीट का भयंकर प्रकोप हो गया है । प्रतिदिन इन कीटों का प्रजनन बढ़ता ही जा रहा है । कृषकों की लाखों की क्षति हो चुकी है । इन कीड़ों को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कीटनाशक दवा फालीडाल इस समय जनपद में उपलब्ध नहीं है । मंडलीय कृषि निदेशक 'फैजाबाद' ने स्वयं मौके का निरीक्षण करके कृषकों को बताया है कि प्राथमिक अवस्था में जब पत्तियों पर गुच्छे के रूप में कीड़े होते हैं तब बिना हाथ लगाए ही उसे तोड़ कर पत्ती सहित जमीन में गाड़कर क्षेत्र में फैलने से रोकें । 'फालीडाल, दवा के अभाव में कीटों के विस्तार से पड़ोसी जनपद गोंडा में भी इनका प्रकोप होने की सम्भावना बढ़ गई है । कृषि रक्षा इकाइयों पर पर्याप्त संख्या में 'स्प्रे मशीन' न होने के कारण प्रभावी ढंग से एक साथ फालीडाल के अलावा अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है, साथ ही अन्य दवाएं काफी मंहगी भी हैं । विभागीय जिला कर्मचारियों द्वारा कीटों पर नियंत्रण पाना असम्भव हो गया है ।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त मात्रा में फालीडाल दवा व स्प्रे मशीन बहराइच जनपद के पीड़ित विकास खंडों में उपलब्ध कराने हेतु आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन को संज्ञान में लाने की सूचना देता हूं ।

श्रीमन्, साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह जो कमला-कीट है, यह मेरा नामराशी है, मुझे बदनाम कर रहा है । अतः आप इसे समूल नाश करवाने की कृपा करें ।

वाराणसी जिले में बढ़ती हुई चोरी, डकैती तथा हत्या की घटनाएं तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी जिले में हो रही बड़े पैमाने पर डकैतियों के साथ-साथ हत्याओं और लूट तथा चोरियों की ओर माननीय सदन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल—]

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वाराणसी जिले में हाहाकार मचा है जन-जीवन आतंकित है :

१—सितम्बर, १९७८ में गांव अकोढ़ा, थाना चन्दौली में श्री शिवमूर्ति यादव की हत्या की गई और लूटा गया । गांव भरथरा, थाना रोहनियां में डकैती तथा अस्सी थाना भेलूपुर एवं आशापुर थाना आदमपुर में डकैतियां पड़ीं तथा और भी डकैतियां हुई हैं ।

२—अक्तूबर, १९७८ फूलपुर, थाना फूलपुर, रमीपुर, थाना कैन्ट, रेलवे थाना मुगलसराय, बहावलपुर, थाना अलीनगर, परियां गांव थाना भूलेपुर, गांव उमन थाना अलीनगर, सर्किट हाउस थाना कैन्ट, चकिया पेट्रोल पम्प, थाना चकिया में डकैतियां तथा हत्यायें की गयीं ।

३—नवम्बर, १९७८ में चन्दौसी, थाना मुगलसराय, कृष्णपुरी थाना दशाश्वमेध, मडयाडीह थाना मडयाड़ीह, शकुलधारा, थाना भूलूपुर, चेतगंज, थाना चेतगंज, तेलिया बांग थाना कैन्ट, गायघाट थाना कोतवाली, सराय गोवर्धन थाना चेतगंज, मुनीम गंज थाना आदमपुर, पी० डब्लू० डी० थाना कैन्ट, लालपुर थाना चोलपुर, मूर्तिगांव थाना ज्ञानपुर जिला वाराणसी में डकैतियां, चोरियां तथा हत्यायें की गई । सीमी सराय तथा गांव बसनी चंनौली थाना बड़गांव व गांव कुकुडहा थाना चौबेपुर, गांव सचंवा थाना चोलापुर तथा भंडारी गली थाना दशाश्वमेध वाराणसी में डकैतियां डाली गईं और हत्यायें की गईं ।

४—गांव नागेपुर थाना मिर्जामुराद में जुलाई, अगस्त, १९७८ में डकैती डाली गयी, दो-तीन की हत्या करके हजारों रुपये के सामान को लूट लिया गया और हाल ही में गांव भडांव थाना मिर्जामुराद में भयानक डकैती पड़ी ।

५—गांव सगहट तथा ककरहिया व गांव मटौली थाना रोहनियां में जुलाई से नवम्बर तक डकैतियां डाली गईं सगहर तथा कन्कारीहा में हत्यायें भी की गयीं और हजारों की लूट की गई ।

६—गांव चुप्पेपुर, जगदीशपुर, थाना फूलपुर में डकैतियां पड़ीं और हत्यायें क्रमशः दो एक की गयीं ।

७—गांव बहोरीपुर तथा गांव कडवापुर थाना बड़ा गांव में डकैती पड़ी और क्रमशः तीन व एक की हत्या की गयी । ये सब डकैतियां पिछड़ी हुई जातियों खासकर कुर्मियों तथा यादवों के यहां बड़े पैमाने पर डाली जा रही हैं और उनकी हत्यायें भी की जा रही हैं । इसके अलावा भी डकैतियां और चोरियां हुई हैं । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, डी० आई० जी० और एस० एस० पी०, वाराणसी को पत्र भी लिखा है । लेकिन कोई कारगर कार्यवाही न होने से पूरे वाराणसी जिले में डकैतों का आतंक छाया हुआ है । पुलिस निष्क्रिय है डकैतों को पकड़ने तथा डकैती रोकने में समर्थ नहीं है । इसलिए आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री एवं सरकार का ध्यान वाराणसी जिले में हो रही डकैतियों को रोकने तथा डकैतों के आतंक को समाप्त करने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं ताकि भय एवं आतंक का वातावरण समाप्त हो सके ।

बी० एन० बी० कालेज, राठ की प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों के निष्कासन से व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बी० एन० बी० कालेज, राठ की प्रबन्ध समिति ने अनुचित ढंग से व मनगढंत कारणों से सुयोग्य व निरपराध दस शिक्षकों को निकाल दिया है । उपरोक्त महाविद्यालय बुन्देलखंड संभाग में एकमात्र कृषि शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्थान है । इस पिछड़े क्षेत्र में और विषयों को खोलने के स्थान पर निरंकुश प्रबन्धकों ने महाविद्यालयों में चलती कक्षाओं को समाप्त करने का बहाना लेकर दस शिक्षकों को निकलाने की रोषभरी साजिश की है । उपरोक्त प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एक भूतपूर्व राजस्व मंत्री हैं जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिये इन निरपराध शिक्षकों को अपनी हठवादिता का शिकार बनाया है और जो स्वयं अपनी तानाशाही आदतों, संकीर्ण स्वार्थों व राजनतिक पक्षपात के लिये सम्पूर्ण जनपद में कुख्यात हैं ।

उपरोक्त दमन विहित कार्यवाही से जनपद के समस्त शिक्षकों में तीव्र रोष व असन्तोष व्याप्त है । सम्भाग के सभी महाविद्यालयों में सामूहिक अवकाश लेकर प्रतीकात्मक हड़ताल हो चुकी है । बुन्देलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दे रखा है, किसी भी समय सम्भाग के समस्त शिक्षण कार्य इन संस्थाओं में बन्द हो सकता है । वर्तमान सत्र जो अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है शिक्षकों व विद्यार्थियों के उग्र विरोध के कारण विस्फोटक स्थिति में बदल सकता है ।

अतः सम्भावित उग्र आन्दोलन के पूर्व ही शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस भ्रष्ट, तानाशाह व द्वेष राजनीति में दक्ष प्रबन्ध समिति को यथाशीघ्र भंग कर व निष्कासित शिक्षकों को सेवा में पुनः योजित कर जनभावना का आदर करे और बुन्देलखंड के समस्त शिक्षक समुदाय में व्याप्त असन्तोष को समाप्त करने में समयोचित पहल करें ।

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडलों के भंडार गृहों (बेयर गोदामों) में यूरिया खाद की कमी से किसानों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, प्रदेश के दो मंडल वाराणसी एवं गोरखपुर के सभी जिलों के बेयर गोदामों में यूरिया खाद न होने की वजह से रबी की फसल के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ।

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल के सभी जिलों वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, आदि के बेयर गोदामों में सम्प्रति रबी की फसल के लिए कम से कम २२ हजार टन (वाराणसी मंडल में करीब १२ हजार टन एवं गोरखपुर मंडल में करीब १० हजार टन) यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है । जबकि ११-१२-७८ तक वाराणसी में कुल एक हजार टन यूरिया पहुंची थी (जहां से गाजीपुर, बलिया, बस्ती, गोरखपुर को भी यूरिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश—]

आपूर्ति की जाती है) और देवरिया में मात्र ७७० टन यूरिया की आपूर्ति का तार ही पहुंचा था और सम्प्रति २२ हजार टन यूरिया की आवश्यकता के मुकाबले सिर्फ करीब ४,००० टन यूरिया ही दोनों मंडलों को मिलने की सूचना मिली है ।

मान्यवर, इन दोनों मंडलों के विभिन्न जिलों में बाढ़ का भीषण प्रकोप रहा है । व्यापक सर्वनाश हुआ है । और अब अगर रबी की फसल भी यूरिया खाद के अभाव में खराब हो गयी तो प्रदेश गरीब व उपेक्षित पूर्वांचल भुखमरी की स्थिति में पहुंच जायेगा ।

खाद के अभाव में रबी की फसल को खतरा उत्पन्न हो गया है और व्यापक पैमाने पर किसानों में असन्तोष तथा गुस्सा उत्पन्न हो गया है ।

अतः नियम ३०१ के अन्तर्गत आपकी अनुमति से इस लोक महत्व की सूचना द्वारा शासन से वक्तव्य की अपेक्षा है । अगर वक्तव्य दिला दें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—

सिंचाई मंत्री जी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है । कार्यवाही करके इसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दें और उसकी प्रतिलिपि मेरे कार्यालय में भी भेज दें ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के समस्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधान सभा भवन के सामने कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं । इनका यह अनशन शान्तिमय तथा प्रजातांत्रिक तरीके से है । अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कई बार शासन से पत्र व्यवहार किया परन्तु कोई परिणाम न निकला । शासन के इस रुख से उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष पैदा हो गया है । उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार से हैं सेवा मंडल तथा संचालन मंडल द्वारा समस्त कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा पदोन्नति शासन द्वारा अनुमोदित किया जाय, बैंक में कर्मचारियों को दो महीने का वेतन जो अतिरिक्त बोनस के रूप में दिया जाता था, दिया जाय । बैंक के कर्मचारियों की पदोन्नति उन्हीं कर्मचारियों में से किया जाय सीधे भर्ती द्वारा नहीं । बैंक में जो सरकारी कर्मचारी डेपुटेशन पर गये हैं उन्हें वापस बुलाया जाये ।

इनकी मांगे न्यायोचित हैं, उन्हें सरकार को बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये मान लेना चाहिये । कर्मचारियों के सामने जब कोई विकल्प अपनी मांगों के मनवाने के सम्बन्ध में नहीं रह गया तो शान्तिमय ढंग से अनशन व प्रदर्शन करना ही उचित माध्यम रह गया । मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन कमचारियों की मांगों की ओर आकृष्ट करता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि इनकी मांगें तत्काल पूरी की जावें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(रिपोर्ट का कुछ भाग पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपने पेश कर दिया, अभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वह तो जब विचार के लिये आये तब आप कुछ कह सकते हैं । अभी इतना ही काफी है कि आपने पेश कर दिया । अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

ठीक है, जैसा आप उचित समझें ।

कानपुर में थाना घाटमपुर के इंचार्ज, श्री बाबू राम जाटव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान की एक सूचना माननीय श्री राम आसरे अग्निहोत्री, सदस्य, विधान सभा ने १३ अक्तूबर, १९७८ को दी थी जिसमें उन्होंने जिला कानपुर के थाना घाटमपुर के इंचार्ज श्री बाबू राम जाटव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना और अवमान की शिकायत की थी ।

मैंने इस पर निर्णय लेने से पूर्व इस शिकायत की एक प्रतिलिपि माननीय गृह मंत्री को आवश्यक कार्यार्थ वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु भेजी थी । माननीय गृह मंत्री से जानकारी प्राप्त नहीं हुई और इससे पूर्व इस सम्बन्ध में सदन में ७ सितम्बर, १९७८ को यह प्रश्न उठाया गया और चर्चा हुई जिसके अन्त में माननीय मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया कि थाना घाटमपुर के इंचाज श्री बाबू राम जाटव का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और उनके आचरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारी द्वारा जांच भी करायी जायेगी और उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्यवाही करनी होगी, की जायेगी ।

अतः इस सम्बन्ध में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार इसे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रामआसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)--

मेरा निवेदन सुन लिया जाये...

---

†छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं, इसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप कृपया बैठें, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(श्री राम आसरे अग्निहोत्री के न बैठने पर)

आप बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह इस तरह से सदन का मजाक बनाना ठीक नहीं। एक प्रश्न पहले हो गया, उसके बाद मैं निर्णय दे चुका हूं । अब इस पर इजाजत नहीं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, उसका ट्रान्सफर उसी रोज जिले से बाहर कर दिया गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

वह सब-इन्सपेक्टर रिलीव हुआ कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह ट्रान्सफर आर्डर कार्यान्वित हुआ कि नहीं ? उस सब-इंसपेक्टर ने जगह छोड़ी कि नहीं ?

श्री राम सिंह--

मैंने आई० जी० से कह दिया कि उसे हटा दीजिए, वह रिलीव हुआ कि नहीं इसको मालूम करके बता देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आज मान्यवर, ५ दिन बीत चुके हैं । जो माननीय मंत्री जी ने जैसा उत्तर दिया है, लगता है कि उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

सदन को उठने से पूर्व आज माननीय गृह मंत्री सूचित करें कि वह सब-इन्सपेक्टर थाने से हटाया गया कि नहीं ? अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ है, तो वह आश्वासन समिति के सामने जायगा ।

थानाध्यक्ष निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना पिछले सत्र में ८ सितम्बर, १९७८ को माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने दी थी, जो कि थानाध्यक्ष, निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध थी । इसके सम्बन्ध में ८ सितम्बर, १९७८ को श्री ओझा द्वारा कोई अप्रिय घटना न घटित होने की गारन्टी मांगे जाने पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन में कहा था कि "माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इसको देख लें" । तदनुसार श्री ओझा की सूचना की प्रतिलिपि

८ सितम्बर, १९७८ की कार्यवाही के सम्बन्धित उद्धरण सहित माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु भेज दी गयी थी। साथ ही उक्त सूचना की प्रतिलिपि माननीय गृह मंत्री को इस निवेदन के साथ भेजी गयी थी कि वे मुझे इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें। अभी तक इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस मामले में की गयी कार्यवाही की सूचना मुझे शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करेंगे ताकि मैं इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकूं। अभी तक इस विषय में उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दिया है। माननीय गृह मंत्री जी यह प्रश्न बहुत पुराना है, मैंने यह अपेक्षा की थी कि श्री ओझा के इस प्रश्न पर मुझे शीघ्र अवगत करायेंगे। कृपया बताएं कि इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)--

आपने गृह मंत्री जी के पास कब भेजा था ?

श्री अध्यक्ष--

८ सितम्बर, १९७८ को श्री ओझा द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था और फिर उसकी प्रतिलिपि कार्यवाही के लिए ८ सितम्बर को ही भेज दिया था।

श्री ऊबल—

मान्यवर, जब आपने इतना पहले भेज दिया था और आपको सूचना नहीं मिली, तो हम लोगों का क्या हश्र होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया, सुरक्षा की व्यवस्था का और इसमें स्मरण-पत्र भी भेजा।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, मैं इसमें परसों तक बता दूंगा कि इसमें क्या-क्या कार्यवाही हुई है।

राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा ने नियम ६३ के अन्तर्गत माननीय सत्य देव त्रिपाठी, राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

माननीय श्री सेहरा ने कहा है कि ३० अगस्त, १९७८ को माननीय श्री सत्य देव त्रिपाठी ने सदन में अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा था कि इसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई वक्तव्य नहीं हुआ किसी भी स्थिति में अगर मेरा एक वाक्य भी हिमाचल प्रदेश की जनता, वहां के मुख्य मंत्री के विरुद्ध हो, तो बतायेंगे।

[श्री अध्यक्ष--]

माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय श्री सत्य देव त्रिपाठी का उपर्युक्त वक्तव्य तथ्यों के विपरीत है और उन्होंने सदन को गुमराह करके सदन का अपमान किया है । उनके कार्यों के बारे में हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री शांता कुमार ने पूरा विस्तृत विवरण हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि श्री सत्य देव त्रिपाठी ने हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री की कड़ी आलोचना करते हुए भाषण दिया और हिमांचल प्रदेश में उनकी गतिविधियां आपत्तिजनक थीं ।

माननीय श्री गुलाब सेहरा ने अपने इस कथन की पुष्टि में किसी समाचार पत्र की एक कतरन संलग्न की है । इससे स्पष्ट है कि माननीय श्री सेहरा द्वारा दी गई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के ऊपर आधारित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन, १९५२-६७ के पृष्ठ ४८४ पर निर्णय संख्या १३ में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि समाचार-पत्र पर आधारित किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, समाचार-पत्र की कतरन पर न हो लेकिन मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह कहा था कि मुख्य मंत्री, हिमांचल प्रदेश ने कोई पत्र नहीं भेजा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई पत्र मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में भेजा है, यह जानकारी हो जानी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल, इस प्रश्न पर, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६३, ६४ में लिखा है कि सूचना का आधार होना चाहिए । शांता कुमार जी ने क्या पत्र लिखा उसकी दो प्रतियां मेरे पास आनी चाहिए थीं जो इसका आधार है । चूंकि अखबार की कतरन उन्होंने दी है जिसके आधार पर विशेषाधिकार की सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए इसको अग्राह्य किया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, निर्णय शिरोधार्य है । मुख्य मंत्री जी जब भी आयें, केवल यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री, हिमांचल प्रदेश ने मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा ? सदन की कार्यवाही आप देख लें, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय, नेता सदन . . . ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

होने वाला हूं ।

(हंसी)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय नेता, विरोधी दल ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप मुझे अल्पसूचित प्रश्न दे दें । आप एक प्रश्न लिखकर दे दें कि क्या हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का श्री सत्य देव त्रिपाठी के बारे में कोई पत्र आया है । वह क्या है ? मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप अल्पसूचित प्रश्न दे दें मैं इसे स्वीकार किए देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह एवं श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय श्री सत्य देव त्रिपाठी, राज्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है ।

माननीय श्री मैनेजर सिंह तथा श्री कल्पनाथ सिंह ने कहा है कि ३० अगस्त, १९७८ को माननीय श्री सत्यदेव त्रिपाठी, राज्यमन्त्री ने सदन में अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने शिमला में रिज के मैदान में कोई वक्तव्य नहीं दिया । माननीय श्री मैनेजर सिंह तथा माननीय श्री कल्पनाथ सिंह का कहना है कि इस बारे में हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री शांता कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें माननीय त्रिपाठी का भाषण उल्लिखित है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि श्री त्रिपाठी ने सदन में जानबूझ कर गलत बयानी करके आदरणीय सदन को भ्रमित किया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी । माननीय सर्वश्री मैनेजर सिंह तथा कल्पनाथ सिंह की शिकायत के दो आधार प्रतीत होते हैं । एक तो ३० अगस्त, १९७८ को राज्यमंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा सदन में दिया गया भाषण और दूसरा हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शान्ता कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजी गई रिपोर्ट। किन्तु सूचना के साथ उपर्युक्त दोनों लेख्यों में से किसी भी लेख्य की प्रतिलिपियां या उनकी मूल प्रतियां संलग्न नहीं की गई हैं । इस प्रकार उक्त नियम ६४ की अपेक्षाओं का पालन न किए जाने के कारण यह सूचना नियमानुसार ग्राह्य नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आप दे रहे हैं--मूल लेख के बारे में जिसकी चर्चा आपने किया । तो मूल लेख की बात सही है । नियमावली मालूम होते हुए यदि आप यह कहें कि श्री कल्पनाथ जी मूल लेख जो माननीय मुख्य मंत्री का आये उसको दें। तो यह बताया जाय कि कौन सी विधि से मूल लेख एक माननीय सदस्य प्राप्त कर सकते हैं ? उसकी एक विधि यह हो सकती है कि मंत्रिगण दें लेकिन वह देंगे नहीं । दूसरी आपको जब सूचना दी जाय तो आप मंत्री से प्राप्त करके देख लें कि वह बात सही है कि नहीं ? इसलिए यदि इस प्रकार आप कहेंगे तो विशेषाधिकार के प्रश्न बिल्कुल केवल इस टेक्निकल प्वाइन्ट पर आपकी आज्ञा हमको प्राप्त नहीं होगी, चाहे वह सही बात ही क्यों न हो ।

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब यह होगा कि इस नियम में जो अपेक्षा की गई है कि विशेषाधिकार किसी लेख्य पर आधारित हो, उसकी पूर्ति हो, वह नहीं होगी । आप कहते हैं कि श्री शान्ता कुमार ने कोई पत्र लिखा तो मैं जानकारी के लिये मंगाऊं । तो आपको सीधा तरीका मालूम करने का यह था कि प्रश्न करके आप पूछते कि क्या हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई ऐसी सूचना या रिपोर्ट यहां के मंत्री को दिया है ? उस पर वह कहते कि नहीं ? तो प्रश्न नहीं उठता। यदि हां, कहते तो वह रिपोर्ट देते । तब विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता था । इस नियम के अनुसार वह अपेक्षित नहीं है। इसलिए तिवारी जी से कहा है कि वह आज इस प्रश्न को हमको लिखकर दे दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आप कृपा करके इस बात की इजाजत देंगे कि यदि कोई सदस्य निश्चित तौर पर श्री शान्ता कुमार के पत्र की प्रतिलिपि आपकी सेवा में उपस्थित कर दे तो आप उसको विशेषाधिकार की परिधि में मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उसको देखकर कि उसमें क्या लिखा है, क्या आरोप है, कुछ कहा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

आपने जो बात कही है वह ठीक है । देख लें, लेकिन व्यवस्था को तब तक रोक लें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आने दें तब कह सकूंगा ।

'करण्ट' साप्ताहिक के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री दीप नारायण, सदस्य, विधान सभा ने 'करण्ट' साप्ताहिक के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है ।

माननीय सदस्य की शिकायत है कि उक्त सम्पादक ने अपने साप्ताहिक के २ दिसम्बर के अंक में पेज १४ पर यह लिखा है कि :—

"तो तुम खोल कर कह दो कि राम नरेश यादव की सरकार रखने के लिए तुम्हें दस हजार मुसलमान और पन्द्रह हजार हरिजनों की बलि चढ़ानी है ।"

माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार सदन का अवमान हुआ है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अन्तर्गत उस लेख्य की प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिए जो शिकायत का आधार हो । माननीय श्री दीप नारायण पाण्डे की शिकायत का आधार 'करण्ट' साप्ताहिक के २ दिसम्बर का अंक है किन्तु माननीय सदस्य ने उस साप्ताहिक की कोई प्रति अपनी सूचना के साथ संलग्न नहीं की है । वैसे भी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनमें सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

अतः मैं माननीय श्री दीप नारायण पांडे द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

सचिवालय खरीदकर दिखला सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका अर्थ हुआ कि जितने अखबार निकलते हैं सभी को मंगवाया जाय । नियम को संशोधित करना पड़ेगा ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री एच० एस० पाठक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्यप्रकाश मालवीय, सदस्य, विधान सभा ` बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री एच० एस० पाठक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन के अवमान के एक प्रश्न की सूचना दी है । मैंने अभी इसको देखा नहीं है । इसको कल लिया जायगा ।

सदन के पटल पर दो बार रखे जाने वाले उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न लिखकर आपके सम्मुख भेजा था । उस पर इजाजत मिले तो कुछ कहूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उठाया है वह कार्यक्रम पर नहीं है । जिस समय यह अध्यादेश आयेगा तब आपत्ति करने का अवसर दिया जायगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मामला क्या है, बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

एक विश्वविद्यालय अध्य देश था । उसकी अवधि समाप्त हो गई, फिर दोबारा निकला । उस पर वैधानिक आपत्ति की है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो दूसरी बात हो गई । मेरा कहना था कि जो अध्यादेश आपने सदन की टेबिल पर रखने की इजाजत दे दी यह सदन उस सम्बन्ध में सक्षम है कि उसके बारे में जानकारी करे । यह तो किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है । अगर वह अध्यादेश रहेगा ही नहीं तो चर्चा के लिए एजेंडा पर आने का सवाल कहां पैदा होता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ जी, नियमों में यह लिखा है कि जब कोई अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाय तो तीन दिन में आपको अधिकार है कि उसके अननुमोदन का प्रस्ताव दे दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं अनुमोदन का प्रस्ताव तो रख नहीं रहा हूं । मेरा दूसरा कहना है । अगर अध्यादेश विधिवत् हो तब तो उसके अननुमोदन का प्रस्ताव रखा जा सकता है । आपकी नियमावली के अन्तर्गत, संविधान के अन्तर्गत वह अध्यादेश आ ही नहीं सकता इसलिए इस पर प्रश्न पैदा नहीं होता कि सदन की टेबिल पर रखा जाय । आप देखें श्रीमन्, ७ जुलाई को एक अध्यादेश जारी हुआ विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और ७ अक्तूबर को जबकि सदन चल रहा था दूसरा अध्यादेश जारी हुआ । इसके कारणों में नं० ५ में दिया हुआ है : "चूंकि उक्त अध्यादेश को छोटे-मोटे परिष्कारों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित विधेयक विधान मंडल के पिछले सत्र में पारित नहीं किया जा सका और उक्त अध्यादेश के प्रवर्तन में रहने की अवधि समाप्त हो रही थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक ७ अक्तूबर, १९७८ को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २३, सन् १९७८) प्रख्यापित किया गया ।"

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि यह मेरे सामने आज विचारणीय नहीं है । आपने जो आपत्ति की है किस नियम के अनुसार है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जुलाई में यह पेश किया गया, फिर सदन के टेबिल पर रखा गया ।

श्री अध्यक्ष—

जुलाई में वैधानिक आपत्ति थी तो उस समय करनी चाहिए थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उस पर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है । यह ७ अक्तूबर वाले अध्यादेश पर वैधानिक आपत्ति है । जब पिछली विधान सभा का सत्र हुआ तो उस समय सदन के सामने ७ जुलाई का अध्यादेश रखा गया । फिर ६ सप्ताह के अन्दर वह अध्यादेश इस सदन के अन्दर पारित हो जाना चाहिए था। चूंकि वह पारित नहीं हुआ इसलिए यह दूसरा अध्यादेश ७ अक्तूबर को जारी किया गया । मेरा यह निवेदन है कि जब विश्वविद्यालय विधेयक की शक्ल में यह सदन के सामने लम्बित होगा उस पर सरकार को दुबारा अध्यादेश जारी करने का अख्तियार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

नियमों में उसका हवाला है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

केवल एक नियम नहीं है । मैं कुछ उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूं । संसदीय अध्ययन समिति ने निश्चयपूर्वक इस पर अपना मत जाहिर किया है कि किन किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, मैंने आपसे कहा कि यह अध्यादेश जब सदन में आया था तब आप इस पर आपत्ति कर सकते थे कि यह संविधान के विरुद्ध है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा यह कहना नहीं है । हाउस की टेबिल पर जब यह रखा गया है कृपा कर उसकी अनुमति न दें उसे हटा दें, यह मैं नहीं कह रहा हूं । मेरा कहना दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष--

७ तारीख को यह टेबिल पर ले हो चुका है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

७ तारीख को अगर यह टेबिल पर ले न हुआ होता तो मुझे यह कहने की नौबत क्यों आती ?

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद नहीं होगा । यह आपत्ति उस दिन करते जब यह सदन की टेबिल पर रखा गया था, लेकिन आप आपत्ति आज कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जिस समय सदन की टेबिल पर रखा गया अगर उस समय आपत्ति उठानी चाहिए थी तो मैंने अध्यादेश देखा ही कहां था और बगैर देखे आपत्ति कैसे उठा सकता था ? आप तो दूसरी बात पर चले गए। सवाल एक अध्यादेश का नहीं है । संसदीय अध्ययन समिति की रिपोर्ट को आपने देखा होगा...।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस विवाद की इजाजत नहीं देता । अब इस पर विवाद नहीं होगा । इसे समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

अब मैं नहीं सुनूंगा । आप बैठ जायं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह सवाल नहीं है कि वह निरनुमोदन करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह विषय आज है ही नहीं···

श्री श्यामधर मिश्र--

आप नियम १२० को देखें जिसकी चर्चा आपने स्वयं की ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आपने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है । उस व्यवस्था के लिए फिर यह सारी बातें क्यों हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम १२० का हवाला दे रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं इसे पढ़ दूं । जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए तो उसके प्रख्यापन के बाद, यथास्थिति, अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण पटल पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो, जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था । अब श्रीमन्, देखिए माननीय कल्पनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं । वह कह रहे हैं कि ७ जुलाई को यह अध्यादेश जारी किया । एक सत्र बीत गया । उसमें अध्यादेश पारित नहीं हुआ । लेकिन तत्कालिकता जो थी वह सिद्ध नहीं हुई । तब कोई कारण नहीं है कि अक्तूबर में उसकी तत्कालिकता को लेकर फिर अध्यादेश जारी करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने नियम १२० का हवाला दिया । यह इस पर बिलकुल लागू नहीं होता है उसमें केवल स्थिति को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में है । मैंने कहा कि इसको सदन से पटल पर रखा जा चुका है । यदि आप समझते हैं कि अध्यादेश के औचित्य का विवरण पूर्ण नहीं है तो उस पर टिप्पणी कर सकते थे । अब आप नियम १२१ में अननुमोदन का प्रस्ताव रख सकते हैं । इसलिए जब इस पर बहस होगी और पास होगा उस समय उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा विषय ले रहा हूं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिए तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो मतदान हुआ है उसमें पड़े मतों की गणना के फलस्वरूप इन निकायों में निम्न सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किए गए हैं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा--

१--श्री अरुण कुमार सिंह (जौनपुर)

२--श्री गुरु प्रसाद शास्त्री (इलाहाबाद)

३--श्री पुरुषोतम कौशिक (देवरिया)

४--श्री मैनेजर सिंह (बलिया)

५--श्री मौजी लाल कुरील (कानपुर)

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए

१--श्री इन्द्रमणि बड़ौनी (टेहरी गढ़वाल) ।

२--श्री गोविन्द सिंह नेगी (टेहरी गढ़वाल) ।

३--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (देहरादून) ।

४--श्री रणजीत सिंह (देहरादून) ।

५--श्री रामेश्वर नाथ चोबे (बरेली) ।

श्री रियासत हुसैन सदस्य, विधान सभा का भारतीय सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक और सूचना देनी है कि श्री रियासत हुसैन, सदस्य विधान सभा (मुरादाबाद) जो अभी तक निर्दलीय सदस्य थे, को सदन में भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में माने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को शाम को ५ बजे लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

यह जो छठी मद है जिसमें माननीय विद्युत मंत्री जी को आज वक्तव्य देना है, वह परिषद् में है । तो ५ बजे इस पर वक्तव्य देने के लिए अनुमति मांगी है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न उठाया था जिसमें गृह मंत्री जी को वक्तव्य देना था।

श्री अध्यक्ष—

वह अभी आ रहा है।

कतिपय स्थायी समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों में से माल स्थायी समिति, बिक्रीकर स्थायी समिति, पर्यटन स्थायी समिति तथा सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति में क्रमशः एक-एक स्थान की आकस्मिक रिक्तियां हैं।

अतः सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्तावों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को इन समस्त समितियों में उक्त आकस्मिक रिक्तियों पर विधान सभा के सदस्यों को नाम निदेशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि ऐसे नाम निर्देशन उक्त समितियों में संबंधित नियम एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायगे।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

नियम ५४ में यह दिया गया है कि जब कोई विषय आप नियम ५२ में चर्चा के अधीन स्वीकार करेंगे, कर लेंगे...।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५२ का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों में से माल स्थायी समिति बिक्रीकर स्थायी समिति, पर्यटन स्थायी समिति तथा सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति में क्रमशः एक-एक स्थान की आकस्मिक रिक्तियां हैं।

अतः सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्तावों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित हैं, यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को इन समस्त समितियों में उक्त आकस्मिक रिक्तियों पर विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि ऐसे नाम निर्देशन उक्त समितियों में सम्बन्धित नियम एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ को गन्ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत हुई चर्चा के समाप्त किए जाने पर आपत्ति

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

नियम ५२ में देव बहादुर सिंह जी की आपने सूचना गन्ने पर बहस के लिए स्वीकार किया था, ८ तारीख को बहस थी । नियम ५४ के अनुसार "विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी" तो उस दिन न तो दूसरी बार माननीय सदस्य को बोलने की अनुज्ञा दी गयी और न गन्ना विकास मंत्री को अफर किया गया जबाब देने के लिए और कोरम के अभाव में उस पर चर्चा बीच में ही समाप्त कर दी गयी और आज के एजेन्डे में उसका कोई विषय नहीं है, तो अब उक्त शेष कार्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में उस पर दो घंटे की चर्चा थी, जब कोरम ही नहीं था, तो प्रस्तावक को कहां से समय मिलता । इसकी कोई शिकायत है रवीन्द्र सिंह को तो उन्हें अपने से करनी चाहिए थी, उन्होंने कोरम बनाने की कोशिश क्यों नहीं की ।

मेरठ में श्री जगत सिंह के यहां डकैती की घटना तथा विधान सभा सदस्य, श्री सोहनवीर सिंह तोमर की सुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री से उस दिन श्री सोहनवीर सिंह जी ने अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में यहां जो सूचना दी थी, उस पर आपने कहा था कि सूचना प्राप्त करके सदन को सूचित करेंगे, उस पर क्या कहना है ?

*गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय सदस्य ने उस दिन मेरठ शहर में घटी जिस घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था, वह घटना १-१२-७८ की है । इसमें दो व्यक्तियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, एक रिपोर्ट श्री जगत सिंह, एडवोकेट की है जो उन्होंने उसी तारीख को दो बजे दर्ज कराई । दूसरी रिपोर्ट सन्तोष सिरोही के लड़के अजय सिरोही ने २ बज कर ४५ मिनट पर दर्ज कराई । मैंने जिलाधीश से जांच कराने का आश्वासन दिया था कि उनकी जांच के बाद हम उसकी रिपोर्ट को देखेंगे और आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे । उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें उन्होंने सिफारिश की है, जो उसमें कुछ आदमियों के सम्बन्ध में उनके कार्य करने के ढंग पर असन्तोष व्यक्त किया गया है और उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया है, इसलिए जिलाधीश ने सिफारिश की है कि इसकी गोपनीय जांच करा ली जाए, इस संबन्ध में हमारे लिए सम्भव नहीं है कि इतने कम समय में मैं जांच करा कर दे दूं । इसलिए मैं जांच सी० आई०डी० को दे दूंगा और पूरे तफशील से जांच हो जाएगी । एक थानाध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप है, वह जांच होनी है, ११--४५ बजे अपना अवकाश दिखाया है । उस पर सदस्य ने कहा है कि वह जानबूझ कर छुट्टी लेकर चले गए, क्योंकि वह कार्यवाही करने से बचना चाहते थे, उसमें उनको कनफ्लिक्ट्स थी । ११--४५ पर उनका अवकाश

*अंग्रेजी में भाषण का पूर्यावलोकन नहीं किया ।

[श्री राम सिंह--]

पर जाना उनकी एक्टिवटी पर सन्देह व्यक्त करता है । डी० एम० से कह दिया है कि उनको यहां से हटा दिया जाये । दो अधिकारी और हैं जिन पर सन्देह व्यक्त किया गया है । उनमें सी० ओ० (सिटी) श्री शिव बरन सिंह हैं जिन पर सन्देह व्यक्त किया गया है और दूसरे ए० डी० एम० (ई०) हैं जिन पर सन्देह व्यक्त किया गया है । जिलाधिकारी से जो आख्या आई है उससे ऐसा लगता है कि सी० आई० डी० से जांच हो जाए तो उन अधिकारियों को भी हटाने के आदेश दिए जायेंगे । श्री जगत सिंह का पजेशन सुनिश्चित कर दिया गया है । तोमर जी ने बात की तो उनका कहना है कि सामान श्री जगत सिंह को नहीं मिला है । सी० आई० डी० इन्क्वायरी होगी तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मेरा निवेदन है कि यह घटना काफी दुखपूर्ण घटी है । इसमें स्पष्ट रूप से अधिकारी लिप्त हैं । श्री शिव बरन सिंह जब माननीय मंत्री जी के जिले में पोस्टेड थे तो वह इमरजेन्सी में जेल में थे ।

श्री अध्यक्ष--

इस बात का आशय क्या है । आपने प्रश्न किया है और उसकी रिपोर्ट मंत्री जी ने दिया । आप इस सम्बन्ध में मंत्री जी से विस्तार से बात कर लें । आप मेज कमरे में बैठ कर लें । इस प्रकार से सदन का समय नष्ट न करिए ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

माननीय, ए० डी० एम० (ई०) और सी० ओ० (सिटी) को हटाने के बाद इसकी जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो माननीय मंत्री जी ने कह ही दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

अगर इधर का कोई माननीय सदस्य इस तरह से कहता है तो आप नियमों पर चलते हैं । वक्तव्य छपा नहीं माननीय तोमर जी हमारे मित्र हैं और उनकी सुरक्षा का सवाल है, ठीक है लेकिन वक्तव्य छापना चाहिए ताकि हम लोग भी प्रश्न कर सकते । आप जो रूलिंग देते हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपवाद में नहीं किया । मैंने तोमर जी को इजाजत दी तो गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं अपना वक्तव्य दे दूंगा । तो पूरक प्रश्न उन्होंने किया । श्री तोमर ने स्वयं आज १० बजे मेरा ध्यान आकृष्ट कराया । मंत्री जी ने अपना वक्तव्य मेरे पास नहीं भेजा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वक्तव्य पहले से होता है, यह परम्परा चली आ रही है । प्रतिलिपि नेताओं को तो अवश्य मिलनी चाहिए । नेता विरोधी दल को अवश्य मिलती है ताकि हमें भी कुछ जानकारी हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिए मैंने कहा कि उनको भेज देना चाहिए । लेकिन नहीं दिया है । मंत्री जी इस वक्तव्य की एक-एक प्रति नेताओं को भेज दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

ऐसा आभास हो रहा है कि माननीय तोमर जी सन्तुष्ट नहीं हैं । पूरी जांच करके कदम उठाये जाने चाहिए । यह चीज सदन को भी मालूम होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से सदन कोई न्यायालय तो बन नहीं सकता है । मैंने कहा कि वह बात कर लें ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह एवं अन्य सदस्यों की दिनांक १० दिसम्बर, १९७८ से लखनऊ में शिया सुन्नी के संघर्ष के कारण लगभग १५६ व्यक्तियों के घायल होने सम्बन्धी कई की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे । ५ बजे वक्तव्य है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार क्या स्थायी हल निकाल रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो अपना ही कार्य स्थगित कर रहे हैं । ५ बजे वक्तव्य है ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायें ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

आज श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया था वह लखनऊ की घटना से सम्बन्धित था और सम्भवतः देव बहादुर सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो उठाया है वह दूसरी जगह की घटनाओं के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष--

सभी लखनऊ से ही सम्बन्धित है ।

श्री राम सिंह--

तब ठीक है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, पिछले साल भी इस विषय पर सदन में काफी गरमागर्मी हुई थी और इस एक साल के बीच इस चीज को रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही हुई हम यह जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर ५ बजे वक्तव्य होगा । तब आप कहें, अभी नहीं । श्री ऊदल ने विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सूचना दी है..

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें । उस दिन माननीय विद्युत मंत्री ने बयान दिया था कि हड़ताल के बावजूद प्रोडक्शन बढ़ रहा है । अभी सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से लौट कर आये हैं । सभी जगह बिजली की लाइन अस्तव्यस्त है । एक भी नलकूप नहीं चल रहा है । उद्योग सब चौपट हैं । सरकार की हठवादिता के ही कारण यह स्थिति पैदा हो गयी है । विद्युत परिषद् झूठ बोल रहा है । पूरा प्रदेश आज तबाह हो रहा है । आज स्थिति बड़ी भयानक हो गयी है । आप इस सारे मुद्दे पर बहस करा दें, चाहे काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लें, चाहे अलग से समय दे दें । सरकार श्रमिकों का दमन कर रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, अभी माननीय ऊदल जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है वह आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि अभी श्री वर्धन साहब ने यह बताया है कि बाहर के राज्यों से जो बिजली मिल रही है वह रोक दी जाने वाली है । तो जब बाहर से बिजली नहीं आयेगी तो स्थिति और गम्भीर हो जायेगी । इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं कहता हूं कि आप जरा चल कर गांव में देखें कि क्या स्थिति है । हम लोग कल ही लौट कर आये हैं, सब उद्योग बन्द हो गए हैं, पम्पिंग सेट्स नहीं चल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह ५ बजे वक्तव्य के लिए है, उस समय आप कहें । इस पर ५ बजे वक्तव्य होगा ।

श्री ऊदल—

अगर काम रोको आप स्वीकार नहीं करते हैं तो सरकार की इस हठवादिता के विरोध में हम १० मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री ऊदल अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि इस मसले को सुलझाइये, उन्होंने आश्वासन दिया कि काम कोई भी ठप्प नहीं होगा । सारे इन्जीनियर्स लोग आ रहे हैं । लेकिन श्रीमन्, मैं मुरादाबाद से आ रहा हूं, तमाम माननीय विधायक देहात से आये हुए हैं, तमाम देहात में सारी बिजली कतई ख़त्म है । मझौला पावर स्टेशन का इतना विस्फोट हुआ है कि अंधेरा छाया हुआ है कोई कहता है कि बिजली की शार्टेज हो गयी है, लेकिन आज तक उसका हल नहीं निकाला गया है ।

श्री अध्यक्ष—

५ बजे उनका वक्तव्य आयेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एजेंडा के छठे आइटम में लिखा हुआ है, विद्युत मंत्री का वक्तव्य । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह एजेंडा में था और आपने निर्णय जब कर दिया था और आपको मालूम था, तो शासन ने क्यों नहीं वक्तव्य दिया ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने लिख कर मुझे दिया कि विधान परिषद् में आज वह गए हुए हैं, उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी, ५ बजे इस वक्तव्य को देने के लिए, वह मैंने उनको अनुमति, उनकी प्रार्थना पर दे दी है । तो ५ बजे वह आयेगा । इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

उसमें स्पष्टीकरण की अनुमति दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो स्पष्टीकरण आप चाहेंगे, मैं अनुमति दे दूंगा ।

प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य रुक जाने के जनता में व्यापक असंतोष के संबन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम अधार, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री विद्या शंकर, श्री मोती राम, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री बुद्ध राम, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामजी, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री पूरन चन्द्र ने सम्पूर्ण प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य ठप हो जाने से सिंचाई कार्य का अवरुद्ध हो जाना, जिससे किसानों में व्यापक रूप से असंतोष का उत्पन्न होना, यह प्रश्न है ।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

इसमें दो मिनट सुन लें, मान्यवर, । सत्ता पक्ष में होने के नाते, मैं यह प्रश्न नहीं उठाना चाहता था, लेकिन बड़ी मजबूरी में मुझे यह प्रस्ताव देना पड़ा । हमारे जिले में माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी, सभी लोगों ने जाकर यह बार बार घोषणा की कि नहर जो है, वह चकबन्दी होने के बाद निकाली जाएगी । अभी १५ दिन पहले माननीय सिंचाई मंत्री जी से हमारी बात-चीत हुई, उन्होंने कहा कि नहर निकालने के सम्बन्ध में एक ऐक्ट निकाला जा रहा है, साल भर हो गए, बार-बार कहने के बाद भी आज तक पता नहीं वह ऐक्ट कहां है और कब चकबन्दी दुबारा होगी किसानों का सारा का सारा खेत खला जा रहा है एक तरफ सरकार कहती है कि दूसरी चकबन्दी होगी दूसरी तरफ इनके अफसर खेत कटवा रहे हैं हर नियम के अन्दर हम लोगों ने यह सवाल उठाया, लेकिन शासन की तरफ से इसकी उपेक्षा की गयी, जो शासन इतनी शिथिलता से काम करे, किसानों को हामी भरने वाली सरकार, आज उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों का सारा का सारा खेत जा रहा है, उन लोगों में जो गरीब हैं, उनकी फसल काटी जा रही है, तब तक कार्यवाही रोक दी जाय, जब तक कि नहर न बने, चकबन्दी जब तक न हो जाय हम लोग चाहते हैं कि इस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य दिलवायें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, हम किसानों के बारे में कहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

श्री राम अधार जी ने इसको पेश कर दिया है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश---

नियम ५६ में ग्राह्यता के बारे में दिया गया है इन शर्तों के बारे में मैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नियम ५६ के अन्तर्गत जो हम लोगों ने सूचना दी है कि सदन का सारा काम रोका जाय । उस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस समय उत्तर प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य ठप पड़ गया है । नियम ५८(१) के अनुसार "एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे" । मान्यवर, नहरों का निर्माण कार्य रुक गया है और शासन की घोषित नीति है कि "चकबन्दी करायी जायगी और सारे लोगों के की जमीन की कटौती के आधार पर नहरें बनायी जायंगी" तो अभी तक इस अधिवेशन के किसी उपवेशन में यह प्रश्न नहीं आया । इसलिये पहली बार यह प्रश्न उपस्थित हुआ है । तो नियम ५८(१) के अनुसार यह ग्राह्य करने के लायक है । नियम ५८(२) में है एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । तो अभी इस पर चर्चा नहीं हुयी है । इसमें एक प्रश्न है इसलिये उप नियम (२) के अनुसार यह ग्राह्यता में आता है । उपनियम (३) में है कि 'प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बंध रहेगा ।'

मान्यवर, यह इसी समय हो रहा है । गाजीपुर, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ में हो रहा है । तमाम जिलों में निर्माण कार्य ठप पड़ा है । इसलिये तत्कालिक घटना है । उप नियम चौथे में है कि 'प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।' तो मान्यवर, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है । उप नियम (५) में है 'प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । तो इस पर पूरे सत्र के दौरान एक बार भी चर्चा नहीं हुयी है । उप नियम (६) में है कि 'प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लिया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रस्तावित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है ।'

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इतने लम्बे भाषण को आपने इजाजत दे दी है ? कार्यवाही रोक दी जाय यह हम सब चाहते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मैं ग्राह्यता के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । जैसा कि राम अधार जी ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग विवश हुये हैं यह प्रस्ताव करने के लिये तो इसी के उप नियम (७) में है कि एडजर्नमेंट मोशन उसी विषय पर पेश किया जायगा जिस पर कोई संकल्प न लाया जा सके । तो इस पर आप संकल्प ला सकते हैं कि यह सरकार का निकम्मापन है, यह सदन सरकार की भर्त्सना करता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, वह भी है लेकिन यह भी है कि अगर आप स्वीकार कर लें तो माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिये खड़ होने को कहेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आपन जैसा कहा उप नियम(७) में है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके । तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हम लोग संकल्प लाने की स्थिति में नहीं हैं । क्योंकि कल श्री राम अधार जो लखनऊ आये और मैं आया, मान्यवर, यह तात्कालिक घटना है इसलिये नियम ५६ के अन्तर्गत स्वीकार करने की आवश्यकता है । अगर संकल्प देता तो पता नहीं कब तारीख लगती । परसों के बाद १० दिन सदन नहीं बैठेगा। तब तक तमाम प्रदेश के अन्दर नहरों का निर्माण कार्य ठप पड़ जायगा । सिंचाई रुक जायगी इसलिये संकल्प नहीं लाया जा सकता । मैं निवेदन करूंगा कि ग्राह्यता की तमाम शर्तों को पूरा करता हुआ यह प्रस्ताव है, इसको स्वीकार करें, हम लोग बैठे हैं । १/१२ को आप बुला लें वह लोग इसे चाहते हों तो आप स्वीकार कर लें । अगर वह नहीं चाहते हैं तो नियम आपत्ति के अनुसार अस्वीकृत हो जायगा । यह ग्राह्यता की तमाम शर्तों को पूरा करते हुये आपके एक आदेश का इंतजार कर रहा है कि आप १/१२ को कहेंगे या नहीं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय सदस्य ने यह जो प्रस्ताव रखा है इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संकट ऐसा नहीं है कि आदेश द्वारा समाप्त किया जा सके ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आप मंत्री जी को ग्राह्यता पर बुलवायें क्योंकि वह इस पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कहना चाहते हैं कि प्रश्न निश्चित हो ।

श्री मधुकर दिघे--

मेरा यह कहना है कि.... ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने ग्राह्यता पर जो शर्तें पढ़कर सुनायी, हैं उस पर आपको क्या कहना है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर जिस प्रश्न का निराकरण नहीं हो सकता है, जिसके बारे प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चित यहां उत्तर नहीं दिया जा सकता तथा परिधि उसकी निश्चित न हो, उसके सम्बन्ध में कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है । यह प्रश्न कानून से सम्बन्धित है, इसलिये इसका निराकरण कानून द्वारा ही हो सकता है । केवल सरकार की निन्दा करके प्रश्न का निराकरण नहीं होगा । प्रश्न यह है कि जिन लोगों की जमीन के अन्दर से नहरें जायेंगी और उनकी जमीन छीनने के बिना पर नुकसान होगा, उसके लिये चकबन्दी और दूसरे कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है । इसलिये इसका निराकरण कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा नहीं होगा । मेरा यही कहना है कि कोई निश्चित सीमा उसकी नहीं है । निश्चित सीमा होती तो उस पर विचार करने के लिये यह सदन सक्षम था । प्रश्न निश्चित होना चाहिये । इसलिये मेरा कहना है कि इस प्रश्न पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है, इसलिये इस पर विचार नहीं करना चाहिये ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं, सदस्य वाराणसी, श्री शतरुद्र प्रकाश को बधाई देता हूं कि उन्होंने तात्कालिक प्रश्न को यहां पर, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये, काम रोको प्रस्ताव के रूप में उठाया है । श्रीमन्, यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और आप देखेंगे तो यह प्रश्न सर्वथा नियम अनुकूल है । केवल एक विषय का है कि सिंचाई की इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, डीजल, बिजली उपलब्ध नहीं है और मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है, इसलिये बिल्कुल अंधेरा है । तो बिजली न होने से ट्यूबवेल न चलें लेकिन नहरों का पानी चलना चाहिये । इसलिये यह तात्कालिक विषय है जिसको लेकर स्वयं संसदीय कार्य मंत्री २३ तारीख को किसान रैली में भाग लेने जा रहे हैं क्योंकि किसान परेशान हैं ।

मान्यवर, परसों, सदन उठ रहा है इसलिये इस पर विचार नहीं करेंगे तो किस पर विचार होगा । ग्राह्यता पर उन्होंने विरोध नहीं किया है । कानून की बात उन्होंने कही है । ग्राह्यता पर तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है । उन्होंने यह कहा है कि निश्चित विषय हो और उसमें नियमों का हवाला नहीं दिया है । आपने कहा है कि संकल्प आ सकता है लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा है । इसलिये कोई बात तो यहां पर स्वीकार हो । श्रीमन्, हमने काम रोको प्रस्ताव, और आपने भी, इस तरह के स्वीकार किये हैं । मैं कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री किसानों के हितैषी हैं, कम से कम ऐसी घोषणा करते हैं, तो एक चर्चा हो जाय । नवाब सिंचाई मंत्री और राजस्व मंत्री देंगे । जब बिजली नहीं है तो सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है । श्रीमन्, हम चाहते हैं कि आपको श्रेय जाय कि आपकी स्पीकरशिप में काम रोको प्रस्ताव मंजूर हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

धन्यवाद । मुझे कम से कम श्रेय की आवश्यता नहीं है । मैं इतना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैं रखूं उनका उत्तर दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

आप देखें नियम ५७ में लिखा है कि निश्चित अवलम्बनीय विषय पर चर्चा, दूसरा है नियम ५८ का उप नियम (३) इसमें यह है कि "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।" एक तो यह बतलायें कि हाल ही में कौनसी घटना घटी है और दूसरे निश्चित ? इसमें लिखा है सम्पूर्ण प्रदेश की नहरें बन्द हो गयीं । इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिये ।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

अभी पहली तारीख को राज्य मंत्री, सिचाई आजमगढ़ गये थे । उस समय हजारों की संख्या में किसान वहां थे । मुख्य मंत्री जी दो-दो बार गये और वहां जन-सभाओं में घोषित कर आये कि नहरें तभी बनेंगी जबकि सार्वजनिक कटौती में जमीन ले ली जायगी । श्रीमन्, एक तरफ तो किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि जब तक सार्वजनिक कटौती नहीं होगी किसानों की जमीन नहीं ली जायगी । राज्य मंत्री जी पहली तारीख को आश्वासन देकर वापस आते हैं । दूसरी तारीख को इंजीनियर और दूसरे पदाधिकारी पी० ए० सी० फोर्स ले जाकर किसानों का खेत कटवाने की धमकी देते हैं । रोड साइड का जो कानून है उसके नोटिस दिये गये हैं । किसान परेशान हैं कि जबरदस्ती खेत चला जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो गुण दोषों पर आ गये । मैंने आपसे पूछा इसकी ग्राह्यता के बारे में ।

श्री विक्रमा राय--

श्रीमन्, आपने कहा कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा । किसान उन नहरों को जो जारी थी उन्हें भी रोक रहा है । तीन-तीन बार घोषणा की जा चुकी है कि सार्वजनिक कटौती करके नहरों का निर्माण किया जायगा । गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर सभी जगह असंतोष फैला हुआ है । वहां पर कुछ दिन बाद ला ऐन्ड आर्डर की प्राब्लम क्रिएट हो जायगी । हमारे मुख्य मंत्री वहां इस बात की घोषणा कर आये हैं कि बिना सार्वजनिक कटौती किये हुए नहर की खुदाई नहीं होगी । हमें सरकारी पक्ष में होने के नाते हमसे किसान पूछता है कि आपके मुख्य मंत्री घोषणा कर जाते हैं और एक-एक हफ्ता टालते जाते हैं । निश्चित् तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पहली तारीख को रावत जो गये हुए थे । उन्होंने बताया कि आर्डिनेन्स ला डिपार्टमेंट को जा चुका है और माल मंत्री ने घोषित किया इसी सदन में हम विधेयक ला कर कानून पास करायेंगे, या तो काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाय या सरकार को निर्देश दिये जायें कि वह घोषणा करे कब तक वह इस काम को करा देगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, निश्चित् घटना के बारे में मैं बतला दूं कि जौनपुर और बनारस में शारदा सहायक की एक बहुत बड़ी नहर मड़ियाहूं से खोदी जा रही है। जमीन का एक्वीजीशन नहीं किया गया है। किसानों की फसल खड़ी है। आलू, गेहूं बो दिया गया है लेकिन जबरदस्ती बनारस तथा जौनपुर में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। यही आजमगढ़, गोरखपुर तथा देवरिया में हो रहा है। इसलिये यह निश्चित् है तथा तात्कालिक है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कानून में यह है कि किसी की जमीन तब तक लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के तहत नहीं ली जा सकती जब तक किसान को नोटिस दे कर कम्पेनसेशन न दे दिया जाय। लेकिन सरकार ने बिना कम्पेनसेशन दिये, नोटिस दिये उनकी जमीन ले ली। पुलिस और पी० ए० सी० के जरिये कब्जा लिया जा रहा है; और जबरदस्ती सरकार इस तरह जमीन को हड़प कर लेना चाहती है और नहर खुदवाना चाहती है, फसलों को तहस-नहस कर रही है। किसान विरोध करता है तो उसे बन्द कर दिया जाता है। लिहाजा यह काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

एक घटना की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ९ सितम्बर को बिरन रजबहा, गाजीपुर जनपद में जहां छोटे किसानों, अल्पसंख्यक वर्ग तथा ५० हरिजनों की जमीन निकल रही थी, उसमें ३ नलकूप भी हैं उसे उनको देने के बजाय वहां नहर का निर्माण किया जा रहा है और मंत्री जी के कहने के बावजूद नहर का निर्माण आज तक बन्द नहीं किया गया। ९ सितम्बर को मंत्री जी ने उस नहर के निर्माण कार्य को रोक देने का आदेश दिया लेकिन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्रीगौरी शंकर ने उस आदेश का पालन नहीं किया। ठेकेदार वहां पहुंचते हैं और नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि काम को रोक दिया जाय। १ घंटा काम रुका रहा। अगर हम इसको ग्राह्य करार दें तो कार्यवाही समाप्त होने से एक घंटा पहले हम इसे ले सकते हैं। तो एक घंटा पहले तो वैसे ही काम रोक दिया। अब इसकी ग्राह्यता पर न बोलें। आप बैठें, मैं इजाजत आगे नहीं दूंगा।

श्री हरि केवल प्रसाद---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

जो श्री हरिकेवल कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप बैठ जाइये।

श्री हरि केवल प्रसाद---

[× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से विषयान्तर होकर भाषण करना उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

एक सदस्य--

[× × ×]

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

[× × ×] (व्यवधान)

श्री नरसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

[× × ×]

श्री राम जी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठिये ।

श्री राम जी--

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं कह रहा था कि इतना अहम सवाल है । अभी माननीय राम अधार जी कह रहे थे शारदा नहर रोक दी गई । मैं चाहता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव पर वोट ले लिया जाय । माननीय मंत्री जी, जो सिंचाई विभाग के हैं वह यहां पर बैठे हैं वह स्थिति से अवगत करा देंगे ।

*श्री श्यामधर सिंह (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपने ठीक ही प्रश्न उठाया कि इसकी तात्कालिकता क्या है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ऊदल जी ने जो कहा है वह सही है । बनारस, इलाहाबाद और जौनपुर में जांच शुरू हो गई है । किसानों को नोटिस दी गई हैं जगह-जगह किसानों की जमीन लेने जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में निर्णय भूतपूर्व सरकार ने किया था । जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान सरकार ने भी निर्णय कर दिया है कि वहीं कैनाल जाएगी जहां चकबन्दी हो गई । इस सम्बन्ध में माल विभाग और कानून विभाग में विलम्ब हो रहा है । सरकार को इस सम्बन्ध में तत्काल घोषणा करनी चाहिए न कि इसका विरोध करना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री श्यामधर मिश्र]—

श्रीमन्, एक बात और कहूं, जैसा आपने कहा प्राथमिकता पर हमने आपका समय अवश्य लिया है, लेकिन जब आप गुणों पर विवाद करने का मौका देंगे तो और बातें कहेंगे। लेकिन मन्त्री जी तत्काल कह दें कि इसी सत्र में यह कानून आएगा, जैसी मेरी इत्तिला है कि कानून बन गया है, तो हमें सन्तोष होगा और माल विभाग जानता है कि सिंचाई विभाग ने माल विभाग से निवेदन किया है कि इस चकबन्दी का जितना भी खर्च होगा, उसके खर्च को सिंचाई विभाग देगा, माल विभाग इसे करे। तो इसमें श्रीमन्, तीन-तीन विभाग शामिल हैं।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय, मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता कि कितनी हानि हो रही है और कितने हानि की सम्भावना है। माननीय शतरुद्र प्रकाश ने नियम ५८ की जो शर्तें बताईं और जो स्पष्टीकरण आपने मांगने की कोशिश की उप नियम (७) के बारे में, उस पर मैं निवेदन करूं—अध्याय १२ में नियम ८५, ८६ व ८७ से जो सम्बन्धित है, उसमें यह है कि इस तरह का कोई असरकारी संकल्प कोई सदस्य प्रस्तुत करना चाहेगा तो, उसे १५ दिन की सूचना देनी होगी और मन्त्री द्वारा ७ दिन की सूचना की आवश्यकता होगी। तो सदन अब जब उठने जा रहा है समय वाली शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह इतने लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें हिंसा हुई है, इसमें गोली चली है, फिर भी इस तरह से नियम को लेकर इसको १०-११ दिन के लिए टाल दिया गया तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। तो इतने दिन इसे टालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फिर अगला सदन जब बैठेगा, तब फिर १५ दिन का समय लिया जाएगा। तो उपनियम (७) की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके महत्व और आवश्यकता को देखते हुए इस बन्धन को समाप्त कर दिया जाए। यह आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति और न बिगड़े, इसलिए यह ग्राह्य होना चाहिए, आप इसे ग्रहण करें ताकि इस पर तुरन्त चर्चा शुरू हो सके।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता चाहूंगा, कार्य मंत्रणा समिति ने सदन का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार २७ दिसम्बर को सदन का अन्तिम दिन है। इस प्रकार से जोड़ें तो आज १३ तारीख हो गई है, किसी भी तरह इस नियम ७ की पूर्ति नहीं हो सकती है, शेष ६ शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर जो कामरोको का प्रस्ताव था, उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने विस्तार से प्रकाश डाला, लेकिन जो आपत्ति मोती राम और मालवीय जी ने की है, वह अध्याय १२ पर की है। संकल्प अलग है। लोक महत्व के लिए अध्याय १३ है। १०३ में नियम के अनुसार कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और उसके लिए समय निश्चित किया जा सकता है। नियम ५८ के उप नियम (७) में जो लिखा है—जिस पर कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं आ सके . . . .।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीराम--

माननीय, संकल्प है, प्रस्ताव नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

उसमें लिखा है प्रस्ताव द्वारा चर्चा । इस प्रकार एक अभिसर्टाटिंग प्रस्ताव आ सकता है । सदन कल भी बैठेगा और परसों भी बैठेगा, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं, श्री श्यामधर जी ने स्वयं मेरा काम हलका कर दिया । यह निश्चय पहली सरकार ने किया थी कि ७७ के पहले निश्चय किया गया और इस सरकार का भी निश्चय है । लोक महत्व के प्रस्तावों का महत्व होता है, जिससे स्थिति में कोई सुधार हो और कोई भी निश्चयात्मक कार्यवाही की जा सके । मेरे पहले भी इस पीठ से व्यवस्थायें दी गई हैं, जैसे बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, कोई महामारी आ गई हो । जैसा विक्रमाराय ने कहा, मैं संसदीय कार्य मन्त्री के द्वारा निर्देश देता हूं कि कल इन सब प्रश्नों पर जो उपस्थित हैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी एक वक्तव्य दें । अब यह विषय समाप्त हुआ ।

श्री विक्रमा राय---

सिंचाई मन्त्री जी की ओर से जो कार्यवाही होनी चाहिए, वह पूरी उनको दे दी गई है । सिंचाई विभाग को जो कम्पेनसेशन देना था या चकबन्दी का जो खर्चा है, वह सब राजस्व विभाग द्वारा वसूल किया जाता है । इस लिए राजस्व मन्त्री जी को निर्देश दिया जाए कि वे वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष--

वह गवर्नमेन्ट का काम है । सिंचाई मन्त्री जी जो वक्तव्य देंगे तो जो मुद्दे उठे हैं उनके बारे में संसदीय कार्य मन्त्री जी उनको अवगत करा देंगे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है । माननीय, जब हम लोग इस सत्र में सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आये तो जितने विधेयक प्रस्तुत किए गए वह सब के सब अध्यादेश के रूप में थे ।

कानपुर के घाटमपुर के थानेदार के रिलीव हो जाने के सम्बन्ध में सूचना

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

माननीय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि घाटमपुर के थानेदार के मामले में माननीय गृह मन्त्री जी ने ७-१२-७८ को आदेश दिए थे और ८-१२-७८ को वह रिलीव हो गये हैं ।

दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट में छप है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (क्रमागत)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह सरकार अध्यादेशों के बल पर शासन करना चाहती है जो हमारे समक्ष विचाराधीन हैं। हम लोग जानते हैं कि ८ सितम्बर तक पिछला सत्र चला था और उसके तुरन्त एक महीन बाद यह अध्यादेश आने शुरू हो गए और ६ अध्यादेश निकाले जा चुके हैं। सरकार यह चाहती है कि सदन की बैठक कम से कम हो और अध्यादेशों के बल पर सारा का सारा कार्य करना चाहती है।

मान्यवर, इस सदन ने एक संकल्प भी पारित किया है, जिसमें यह हो चुका है कि इस सदन की बैठक वर्ष में कम से कम ९० दिन हुआ करे अगर यह सरकार अध्यादेश निकालना बन्द कर दे, तो यह सदन निश्चय ही ९० दिन चले। अध्यादेश तो तब तक नहीं निकालना चाहिए, जब तक कि उसकी नितान्त आवश्यकता न हो। इस तरह अध्यादेश निकालना जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध है।

संसदीय अध्ययन समिति ने २४ जुलाई, १९७२ को जो अपना प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि उसे कब निकालना चाहिये। श्री मावलंकर साहब के शब्दों में उसमें लिखा है "अध्यादेशों को जारी किए जाने की प्रक्रिया स्वभाविक रूप से अप्रजातांत्रिक है। चाहे कोई अध्यादेश औचित्यपूर्ण हो अथवा न हो, किन्तु बड़ी संख्या में अध्यादेशों का जारी किया जाना ही मनोवैज्ञानिक रूप से कुप्रभाव डालता है। जनता की यह धारणा होने लगती है कि सरकार अध्यादेशों द्वारा चलाई जा रही है। सदन की यह भावना हो जाती है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है तथा केन्द्रीय सचिवालय में सम्भवतः शिथिलता की आदत हो जाती है, जिससे अध्यादेशों की आवश्यकता पड़ती है और एक ऐसी धारणा उत्पन्न होती है कि ऐसे विधायन पर सदन की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी, क्योंकि सदन के पास ऐसे मामलों में, जो अध्यादेशों द्वारा विधायन किए जाते हैं, अपनी मुहर लगाने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं होता है। ऐसी स्थिति उत्तम संसदीय परम्पराओं के विकास के लिए सहायक नहीं होती है।"

(व्यवधान)

(इस समय १ बजकर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

मैं तो यह कहता हूं कि पार्लियामेन्ट में जो बातें ठीक होती हैं, वही यहां पर क्यों ठीक नहीं होतीं ? यहां पर भी उन बातों का पालन होना चाहिए।

इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप ऐसी परम्परा डालें जो प्रदेश के हित में सहायक सिद्ध हो सके। इस सत्र में जितने भी विधेयक आये हैं, वे सभी अध्यादेशों के आधार पर आये हैं। अध्यादेशों को ही विनियमित करने के लिए आए हैं। यह माना कि आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार इसे वापस ले और आगे एक विधेयक के रूप में इसे सदन में लाये।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, जहां तक अध्यादेश को लाने का प्रश्न है, सिद्धान्तों के विषय में कोई आपत्ति या असहमति किसी को नहीं है । मैं यह भी मानता हूं कि जो अभी उन्होंने जिक्र किया, उनकी भावनाओं का भी आदर करना चाहिए । किसी भी अच्छे सुझाव का आदर हम करना चाहते हैं, केवल प्रश्न यह है कि अभी जो अध्यादेश, जिसका जिक्र यह कर रहे हैं, वह अध्यादेश शासन के किसी स्वार्थ के कारण लाया गया होता, तो इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में मुझे बोलना मुश्किल हो जाता । जो संशोधन है, उस संशोधन के द्वारा गरीब कृषकों को और पिछले जो अच्छे काम पुरानी सरकार के, जिनमें यह गिना जा सकता है, जैसे गरीब, भूमिहीनों को भूमि देने का काम । लेकिन केवल भूमि देकर उनसे यह उम्मीद करना. . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आप यह जो प्रस्ताव है, विचार के लिए पहले पढ़ दें । आपने पहले मूव नहीं किया । आप पहले प्रस्तुत करें, तब अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, इनका विभाग बदल गया ? यह सहकारिता मन्त्री हैं कि और कोई ? मान्यवर, एक व्यवस्था की बात है । यह तो हमारे प्रस्ताव पर बोल रहे थे, हो सकता है कि हमारे प्रस्ताव का ये समर्थन करते । ये तो हमारे प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे । आपने तो प्रस्ताव रखवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

कायदे से यह होना चाहिए था कि यह प्रस्ताव पेश करते, उसके बाद भाषण करते । अब उन्होंने पेश कर दिया है । पेश तो कर ही सकते हैं, संसदीय कार्य मन्त्री हैं । सहकारिता मन्त्री नहीं हैं, वह तो पेश कर ही सकते हैं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, आपने जो कहा, इस वक्त अध्यादेश के ऊपर चर्चा हो रही है । अब जब अध्यादेश का विषय निपट जायगा, तभी तो माननीय मन्त्री जी प्रस्ताव रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब एक साथ आवेंगे प्रस्ताव, आपका प्रस्ताव और अननुमोदन और साथ ही प्रवर समिति का प्रस्ताव सब साथ ही में आवेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मधुकर विधे--

जब इन्होंने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा तो विचार करना चाहिए था कि उसके पीछे मंशा क्या है। कोई भी शासन अध्यादेश निकाल कर अपनी कुर्सी को बचाने का काम न करे और ऐसा काम जो जनहित में न हो, उसका अध्यादेश न ले आवे। मान्यवर, यह ऐसा अध्यादेश है, जिसके ऊपर तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए, तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि ऐसे गरीब किसान जिनको पट्टे पर भूमि मिली, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो सिंचाई नहीं कर सकता है, हमारे पास भूमि विकास बैंक है, उस भूमि विकास बैंक का प्रयोग वही किसान कर सकते थे, जिसमें क्षमता थी, हमने बहुत सद्बुद्धि से और सच्चे इरादे से उन गरीब कृषकों को, जिनको पट्टे दिए गए थे, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए यह अध्यादेश लाये।

अध्यादेश में यह है कि जो ऐसे पट्टेदार कृषक हैं, उनको भी भूमि विकास बैंक ऋण देगा। ऐसे पट्टेदार जिनकी भूमि ले ली जाती है, वह बन्धक रख सकेंगे। यह अधिकार पहले नहीं था। यदि किसी कृषक की नीलामी हुई और उसकी जमीन बिकी तो होता यह था कि वह जमीन पड़ी रहती थी और न भूमि विकास बैंक उपयोग कर सकता था और न वह कृषक के काम में आती थी। तो ऐसी भूमि जो भूमि विकास बैंक के कब्जे में आ जाती थी, उस पर उत्पादन ठप हो जाता था। उस भूमि का प्रदेश के हित में उपयोग हो सके, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। यह अध्यादेश इसलिए नहीं लाया गया कि कुर्सी बचनी है। जो उद्देश्य इसके पीछे है, उसकी भावना को ध्यान में रखकर शासन यह काम करेगा, इसलिए निवेदन है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।"

श्रीमन्, मुझे बड़े खेद और अफसोस के साथ यह प्रस्ताव माननीय सदन के सामने रखना पड़ा है। मौजूदा सरकार ने अपनी अयोग्यता का सबूत देकर पूरी बागडोर इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दी है। खेद इसलिए भी ज्यादा है कि सदन के अन्दर हम लोगों से इसका स्वागत करने की बात की जाती है। मन्त्री जी ने कहा कि जिनकी जमीन ली गई और वह गरीब हैं, उनके सामने कोई न कोई साधन रखा जाय। इसके लिए यह शार्टकट निकाला है। सन् ६४ में लैंड डेवलपमेन्ट बैंक का विधेयक आया था। उस वक्त किसान को अपनी आबपाशी के लिए कहां से पैसा मिले, इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। किसान को रहट, ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट और अपनी जमीन का विकास करने के लिए, साधनों के लिए बनिया बक्काल के पास जाना पड़ता था। तो किसानों के लिए यह एक रास्ता निकाला गया था जिसका नाम लैंड डेवलपमेंट बैंक रखा गया था। अब १९६४ के बाद क्या हो गया, यह उस समय की बात है जिस समय किसानों को पैसा मिलने की बात नहीं थी लेकिन अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद किसान को हर कामर्शियल बैंक ने पैसा देना शुरू कर दिया और जबसे किसानों को पैसा मिलने लगा। इसलिए पहले भी यहां कहा गया है कि असलियत में इस भूमि विकास बैंक को समाप्त कर देना चाहिए। इस बैंक द्वारा जिस चीज के लिए किसान कर्जा लेगा उस चीज को वह बैंक बैंक के पास रख देगा और उसके बाद

में, यदि जमीन को बंधक रखा है, उस जमीन के जरिये वह किसी को कुछ नहीं दे सकता है और न वह उस जमीन को बेच सकता है। लेकिन कामर्शियल बैंक जब लोन देता है तो वह जमीन को गिरवी नहीं करता है बल्कि जो चीज खरीदी जाती है उसको गिरवी करता है। तो यह एक ऐसा बैंक हो गया जिससे यदि कर्ज किसान ने ले लिया तो जब तक उसकी सारी किश्तें समाप्त नहीं हो जायेगी जब तक वह बंधक जमीन को दूसरे काम में उपयोग नहीं ला सकता है केवल एक पम्पिंग सेट के लिए।

हर साल की यदि आप प्रोसीडिंग देखें तो यह भाषण हुये हैं कि यह बैंक किसानों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए यहां बार-बार मांग उठी है कि इस बैंक को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि बैंक जिस दिन किसान को चेक दे देता है उस दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। बैंक किसान को मजबूर करता है कि तुम अमुक इंजन ही खरीदोगे और इसीलिए बैंक से पैसा मिल रहा है। यदि किसान दूसरा इंजन खरीदना चाहता है तो कहा जाता है कि तुमको लोन नहीं मिल सकता है, जब तक कि वह ४००-५०० रुपये बरबाद नहीं करता है। इस लैन्ड डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितने ही किसानों की जमीनें नीलाम हो गयी। किसान ने इ..न लिया और वह ४ वर्ष बाद बेकार हो जाता है और उसकी जमीन नीलाम हो जाती है। लेकिन अब यदि किसान की जमीन नीलाम होने लगती है तो वहां के लोग जो जान जाते हैं कि इंजन के लोन न अदा करने पर नीलामी हो रही है तो वह यह समझकर कि उसके बच्चे परेशान होंगे तो लोग नीलामी नहीं लगाते हैं। इसलिए अब संशोधन आ गया कि बैंक स्वयं उस जमीन को खरीद लेगी। यदि इस बिल का मूल आधार यह होता कि इंजन खरीदने में चेक जिसको दिया जाय उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाय तो ठीक था। लेकिन आधार यह बनाया है कि चूंकि जमीन की नीलामी गांव के आदमी नहीं लगते हैं सलाह मशविरा कर लेते हैं। तो उसको शार्ट कट करने के लिए ताकि वह बचकर न निकल सके तो यह हो गया कि बैंक खुद ही खरीददार बन जाता है। इसलिए मैं इस राय का हूं कि आज जब कोआपरेटिव बैंक से किसान को कर्जा मिल जाता है जिसका वह शेयर होल्डर होता है और जिसमें किसी की जमीन की नीलामी का सवाल नहीं होता तो फिर भूमि विकास बैंक की जरूरत ही क्या है? इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव में यह लिखा है कि जो प्रवर समिति हो उसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। मैं तो इस राय का हूं कि इस भूमि विकास बैंक को ही समाप्त कर दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जिस तरह का इसका नाम है अगर उस तरह के काम होते तो सबको अच्छा लगता। नाम तो है भूमि विकास बैंक लेकिन काम है भूमि हड़पने का। इसको भूमि हड़पो बैंक नाम दिया जाय तो अच्छा होगा। आज तक जो अनुभव सामने आये हैं, आंकड़े चाहे जो भी प्रस्तुत करें, उन अनुभवों के आधार पर मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने समझाने बुझाने से भूमि बैंक से कर्जा लिया, वह उसके गुलाम हो गये। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के गुलाम हो गये।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

यह गुलामी का नजारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। हालत यह है कि कर्जा वसूली के लिए जब कर्मचारी गांव में जाता है तो लोग गांव छोड़ कर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं जिन लोगों को अबंटन में भूमि दी है उनकी भूमि भी हड़पने का रास्ता आप खोल रहे हैं। निर्बल वर्ग के नाम पर यह संशोधन लाया गया है लेकिन उनको भी इससे कुछ राहत नहीं है। असल में भूमि विकास बैंक का जो विचार था, जो कंसेप्ट था वह कारगर नहीं हो रहा है। हमें यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए था कि जिस चीज के विकास के लिए कर्जा दे रहे हैं कम से कम उसका विनाश न हो उनकी भूमि बनी रहे। दूसरे बैंक भूमि बंधक नहीं रखते जबकि आप उनकी भूमि बंधक रखते हैं।

हम अखबारों में रोज ही देखते हैं कि सूची निकलती है कि फलों की भूमि नीलाम हो रही है बड़ी-बड़ी सूचना छपती है। यहां तक देखा गया कि इंजन आपने दिया और इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वह उन दुकानदारों से खरीद सकता है जिन दुकानदारों के साथ भूमि विकास बैंक के अधिकारियों की सांठ-गांठ है और कमीशन तय है। अगर किसान किसी दूसरे से खरीदना भी चाहे तो आपके अधिकारी इसकी इजाजत नहीं देते। बहुत बड़ी कठिनाई है। आपका प्रशासन तन्त्र इस प्रकार का है, जो ग्राम सेवक है वह किसान के नाम पर पैसा ले लेता है। किसान के न दस्तखत, न अंगूठा लेकिन उसके नाम पैसा निकाल दिया जाता है। किसान को पता तब लगता है जब उसके नाम वसूली जाती है। जब व्यवहार की कसौटी पर कस कर देखेंगे तो बहुत सी कमियां सामने नजर आयेंगी और उन कमियों पर ध्यान दिये बगैर अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किए जाते हैं और संशोधन विधेयक लाये जाते हैं। इससे हम निश्चितौर पर किसान का भला नहीं कर सकेंगे और जो नीयत इस विधेयक को लाने की है उसे कारगर नहीं कर सकेंगे। व्यवहार की दृष्टि से जो कठिनाइयां अब तक सामने आई हैं उनको दूर करने के लिये जो उपाय हो सकते हैं उन पर गहराई से विचार किया जाय। इसलिये दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द इसे कर दिया जाय जो यहां पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर तीन प्रस्ताव आये हैं। एक तो अननुमोदन का, दूसरा प्रवर समिति का और तीसरा संयुक्त प्रवर समिति का है

(व्यवधान)

६ तारीख का कार्यक्रम हमारे सामने है। वह कार्यक्रम ७ तारीख को आया क्योंकि सभा स्थगित हो गयी थी। पन्ने ४ पर जो सचिव ने पढ़ा वह इस प्रकार है "उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २८ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय ने १६ सितम्बर, को अपनी स्वीकृति दे दी है और उसे सभा पटल पर रखा गया है।" मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इस विधेयक पर अभी पिछले सत्र में एक संशोधन आया था जो अब पारित हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसके दो पहलू हैं। एक तो गुणात्मक पहलू है। दूसरे यह बात है अगर भूमि विकास बैंक विधेयक संशोधन के जरिये से संशोधित होना था तो अभी-पिछले सत्र में यह संशोधन हुआ, अब यह द्वितीय संशोधन विधेयक क्यों आया? तो जल्दीबाजी में जो संशोधन लाये जा रहे हैं अध्यादेश द्वारा उसका यह नमूना है। उसे भी अध्यादेश द्वारा लाया गया था और यह भी अध्यादेश द्वारा लाया गया है।

दूसरे मैंने पढ़ कर सुनाया था कि १६ सितम्बर को राज्यपाल द्वारा सूचना आई थी और ५ अक्तूबर को जरूरत पड़ गयी फिर इसको तत्काल अध्यादेश करने की तो २० दिन के बाद ही जरूरत क्यों पड़ गयी? क्यों नहीं इस सत्र की प्रतीक्षा की गयी? दिधे जी ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिये नहीं किया तो हम कहां कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिये किया है। यह विवाद का प्रश्न नहीं है। क्या इस तरह से जितने बड़े या छोटे विधेयक हैं जिनको आप सत्र में मूल रूप से ला सकते हैं उनको आप विधेयक के रूप में क्यों नहीं लाते? आप स्वयं सोचें। आप यह न सोचें कि हम यहां से कह रहे हैं। आप जल्दी में कानून लाये और फिर अध्यादेश के द्वारा दूसरा ला रहे हैं। तो दोनों को मिला कर क्यों नहीं एक ही अध्यादेश लाये? यह बात निश्चित् है कि अगले सत्र में तृतीय संशोधन आयेगा। यह जो नौ विधेयक आये हैं इनमें तृतीय संशोधन तक आये हैं। मैं नहीं जानता कि दिधे जी जल्दी में क्यों हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर गुणात्मक जल्दी में है तो वह तभी आयेगी जब माननीय सदस्य इस पर बैठ कर प्रवर समिति में तमाम पहलू पर विचार करें कि कितनी फीस बढ़नी चाहिये और कितनी नहीं बढ़नी चाहिये। आपने तात्कालिकता दिखा कर इसमें क्या-क्या नहीं किया। फीस बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया। अध्यादेशों के द्वारा टैक्स या फीस नहीं बढ़ाई जाती है।

अभी माननीय देव बहादुर सिंह जी ने संसदीय समिति की सिफारिश पढ़ कर सुनाई जिसको माननीय मन्त्री जी ने जरूर पढ़ा होगा। इसमें लिखा है कि अध्यादेशों से करों में या शुल्क में बढ़ोत्तरी करने का अधिकार कदापि नहीं है। आप एक काम के लिए अध्यादेश लाये लेकिन उससे फीस भी बढ़ा दी। यह जो आपका इसमें तर्क है यह बिल्कुल भद्दा और भोंडा है। आप हमारी गलती को बता कर हमारा मुंह नहीं बन्द कर सकते हैं। पिछले साल आप देखें ३० विधेयक आप लाये हैं उनमें से २६ में अध्यादेश जारी किये हैं। आपकी पार्लियामेंट में ८५ विधेयक आये हैं उसमें से केवल १३ अध्यादेश से आये बाकी मूल विधेयक के रूप में आये। वहां भी आपकी ही सरकार है। आपको क्या हो गया है? आप हमारी गलतियों की नकल क्यों करते हो। जब गलतियां की तो ३० वर्ष में हम इधर आये आपको जल्दी पड़ी है और ३० महीने में इधर आना चाहते हैं। आपने गलतियों में हमको भी मात कर दिया लेकिन अच्छाइयों में मात करते तो हम मानते।

जहां तक लैण्ड डेवलपमेंट बैंक की बात है मैं इस बात का पोषक हूं अल्पकालिक, दीर्घ कालिक और मध्य कालिक ऋण मिलने चाहिये। आप जरा पता लगाइये महाराष्ट्र में, गुजरात में किस तरह से ऋण मिल रहे हैं। क्या उस तरह से आज भी यहां दे रहे हैं? जैसा कि माननीय रियासत साहब ने कहा कि यह बैंक एक दिन बड़ा लैण्ड लार्ड हो जायेगा यह सही है। और उस पर सीलिंग

[श्री श्याम धर मिश्र]—

नहीं लगी तो वह बड़े जमीदार हो जायेंगे । इन बातों पर आपको मूल रूप से सोचना चाहिये । आप जल्दी-जल्दी में जो चाहे पास कर दीजिये । दिघे साहब को जल्दी हो रही है वह हमेशा जल्दी में रहते हैं, शायद किसान रैली में जाने की तैयारी कर रहे हैं । मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता हूं । आप किसानों के हित की बात तो करें, लेकिन साथ ही साथ सदन को जो अधिकार है, उसका आप सदुपयोग होने दें । सदन का अधिकार है कि सदन स्वयं कोई कानून बनावे । कार्यपालिका कोई कानून बनावे और यह सदन उस पर अपनी मुहर लगावे तो यह उचित नहीं है । इस अध्यादेश में आप स्वयं देख लें, आपने स्वयं इसमें कोई अरजेंसी नहीं दिखाई है । एक महीना आप और रुक जाते, आखिर जैसे ३० वर्ष बीता, इस एक महीने में क्या हो जाता ? प्रवर समिति इस पर क्यों न विचार करे ? विचारों के आदान-प्रदान से यह होता तो कितना अच्छा होता, इसमें कहीं कोई त्रुटि न रह जाती । किन्ही विचारों के लोगों को कुछ कहने को न मिलता । आपको जाने की कितनी जल्दी है, इस सीट को छोड़ने की कितनी जल्दी है । हमें दुख है कि यह इतनी जल्दी जा रहे हैं । ऐसी गलती वह न करें और अपने को सुधार लें

(व्यवधान)

जनता खुद इनको बुलाकर, कान पकड़ कर इधर कर देगी । क्या हमने कल्पना की थी कि हमें वह ऐसे कर देगी जनता देख रही है कि आप कैसा कार्य और व्यवहार कर रहे हैं ।

*श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक पर जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । इसमें और ज्यादा विचार-विमर्श और संशोधन की गुजांइश है, वह होना चाहिये । हम देखते हैं कि इस बैंक के द्वारा किसानों का हित नहीं हुआ है, बहुत से किसानों को इससे लाभ हो सकता है, लेकिन इसका उलटा हो रहा है । आज किसान इस बैंक के जरिए लुट रहा है । मैं समझता हूं कि शासन को इसका पता होगा । किसान को एक-एक पम्पिंग सेट लेने में उसका १-१ हजार रुपया लूटा जाता है । विभिन्न स्तरों पर उसकी लूट होती है । सबसे पहले राजस्व विभाग में, फिर विकास खण्ड में और फिर उसके बाद स्वयं भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा । इस तरह से किसानों की भयंकर लूट हो रही है । जब इनकी मन्त्री महोदय से शिकायत की जाती है । तो प्रबन्ध निदेशक को लिखा जाता है, उस पर वहां कोई कार्यवाही नहीं होती है और प्रबन्ध निदेशक के यहां ऐसा ज्ञात होता है कि अधिकारी और कर्मचारी उनके काबू से बाहर हैं । जब ऐसी हालत है तो वह लुटता ही है और लुटता ही रहेगा । आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए कि उसकी लूट बन्द हो ।

एक अजीब बात और देखने में आती है किसान बैंक से कर्ज लेकर तो पम्पिंग सेट पर छूट पाता है लेकिन यदि किसी किसान ने तमाम झगड़ों और शोषण से बचने के लिए उसे नगद खरीद लिया तो उसे छूट नहीं दी जाती है । इस सम्बन्ध में जी० ओ० इतना डिफेक्टिव है कि नगद खरीदने वालों को पम्पिंग सेट पर छूट नहीं मिलती है । सबसे खराब बात यह है कि बैंकों के पास ऋण वितरण के लिए रुपया नहीं भेजा जाता है । इस समय किसानों को ऋण वितरण हेतु किसानों की फाइलें बैंकों के पास रखी हुई हैं, लेकिन उनके पास रुपया नहीं पहुंचा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुणर्वीक्षण नहीं किया ।

इस तरह से इतनी धांधली हो रही है इस बैंक के जरिए और किसानों की बहुत लूट हो रही है । इसलिए इसको शीघ्र ही समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाये जायें । छूट की जो व्यवस्था है, वह बहुत देर से मिलती है । जो नकद लेते हैं उनको यह नहीं मिलती है । मेरा सुझाव है कि उनको भी देने की व्यवस्था की जाय । भूमि विकास बैंक में किसान को कई दिनों तक दौड़ना पड़ता है और इधर उधर चक्कर लगान पडता है और इस प्रकार से वह परेशान हो जाता है । किसान की रक्षा के लिए कोई सरल कदम उठाया जाय जिससे सही माने में किसानों की रक्षा हो सके । जिस तरह से वह परेशान होता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी न करें पास कराने की और इस पर पुनर्विचार करें और तभी इसमें संशोधन करें और सुधार करें जिससे किसानों की लूट बंद हो और किसानों की सही माने में भलाई हो ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन् मैं समाजवादी दल के माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाये, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे खेद है कि इस अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री जो उपस्थित नहीं हैं, राज्य मंत्री जो हैं, पर उनको भी आज इस समय उपस्थित रहना चाहिये था । यह अधिक उचित होता यदि वे भी यहां उपस्थित होते ।

मान्यवर, यह सहकारी भूमि विकास बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में महान योगदान हो सकता है । सहकारिता आन्दोलन का मुख्य आधार ही यह भूमि विकास बैंक है । दीर्घकालीन ऋण देने का एक मात्र साधन केवल भूमि विकास बैंक है । पिछली हमारी योजनाओं में नलकूप आदि बनने तथा भूमि को समतल करने में इसका काफी योगदान रहा है । मैं तो सहकारिता मंत्री जी को इसके लिये बधाई भी देना चाहता हूं कि सहकारिता की जिन नीतियों को पिछले शासन ने चलाया था उन्हीं को करीब-करीब इस सरकार ने माना है, उसमें कुछ ढिलाई तो आयी है, पर उनके अनुसार काम जारी रखा गया है ।

मान्यवर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऊपर जो रिपोर्ट समिति की आयी है उसे सदन के समक्ष रखा जाना चाहिये था । कम से कम अगर वह रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जा सकती थी तो कम से कम उस रिपोर्ट की उन सिफारिशों का उद्धरण तो अवश्य रखा जाना चाहिये था जिनको कि इस सरकार ने मान लिया है । इस रिपोर्ट के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के विषय में गठित समिति ने इस बात पर बल दिया है कि भूमि विकास बैंकों से सम्बन्धित विधियों में ऐसे उपबन्ध सम्मिलित किये जाने चाहिये जिससे ऐसे कृषकों को जिनका अपनी जोत पर निर्बन्धित अधिकार हैं, प्रभार का सृजन करके या गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण दिये जा सकें और ऋण देने की प्रक्रिया सरल और अधिक प्रभावी हो । उस समिति की रिपोर्ट को सदन के सामने रखना चाहिए था । हमको यह मालूम होना चाहिये था कि किन-किन सिफारिश को सरकार ने माना है और किसको नहीं माना है । आखिर सदन को विचार करने का बार-बार तो अवसर मिलता नहीं है । यही अवसर था जबकि यह सदन विचार कर सकता था । आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी जल्दी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]--

इस विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव रख दिया अगर सहकारिता मंत्री जी होते, तो वह बताते कि रिपोर्ट में क्या-क्या संस्तुतियां थीं और कौन सी संस्तुतियां नहीं मानी गयीं । इस कमेटी की रिपोर्ट में ३७९ पेज में लैंड डेवलपमेंट बैंक के बाई लाज को बदलना चाहते हैं, जिससे कि जो अभी तक लैंड डेवलपमेंट बैंक को अधिकार नहीं है ऋण देने के लिए उसको सम्मिलित कर लिया जाय । यह अमेंडमेंट नहीं है कि डेरी के मामले में ऋण दिया जा सकता है कि नहीं ।

दूसरे जो कृषि सम्बन्धी कार्य हैं उनके लिए दिया जा सकता है या नहीं । यह भी विचार हुआ था कि अगर कन्जम्पशन ऋण कोई गरीब है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में अपना सब कुछ गिरवी रख देता है, लेकिन उसको फिर ऋण क्या मिल सकता है? अपने ऋण के निस्तारण में उसको कितना ऋण मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था है । कि कोई किसान अपने ऋण को चुकता करने के लिये ऋण प्राप्त कर सकता है। इसमें फिर थोड़ी ढील दी गयी, विशेष रूप से जब कन्जम्पशन ऋण की बात आई कि महाजन से अधिकाधिक ब्याज पर ऋण किसानों को लेना पड़ता है, तो कन्जम्शन लोन के बारे में शासन की क्या नीति है, हमको तो नहीं मालूम है । इसी तरह से इस रिपोर्ट में कहा गया कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को शेयर केपिटल खरीदने के लिए किस्तों में कार्य करना चाहिए। पहले ५ फीसदी और फिर २ फीसदी में कार्य करना चाहिए ।

दूसरे जो ज्वाइन्ट लोन लेने के की सहूलियत की भी बात की थी, जैसे जो छोटे किसान हैं वे ४-५ छोटे किसान मिल कर वह ट्यूबवेल लगायें, वह भी व्यवस्था करें, तो यह सिफारिश इस समिति की थी । यह अवसर था शासन के लिए, सदन को बताने के लिए कि जो छोटे किसानों को बाईलाज के अन्तर्गत, वह क्या करने जा रहे हैं, इस विधेयक के जरिये किस प्रकार की सहूलियत और देने जा रहें हैं । लैंड डेवलपमेन्ट बैंक के अन्दर क्या होने जा रहा है यह उन्हें बताने की जरूरत थी । इस समय लैंड डेवलपमेन्ट बैंक के जो एम० डी० हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं, उसमें उन्होंने काफी सुधार किया है । आखिर शासन की नीति क्या है ? लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में इन रिपोर्ट के ३६०-३६१ में दिया है कि छोटी स्कीम बनाने के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक की योजना बनानी चाहिए। एक तो हम बैठे रहें अपनी दुकान खोल कर, हमारे पास अर्जियां आयेंगी, किसान हमको अर्जियां देगा । जहां हमारी शारदा सहायक योजना बनी हुई है, राम गंगा कनांड अथारिटी है, यह एटा से लेकर फतेहपुर तक है । यहां पूरा स्टाफ मौजूद है । इसी तरह स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी है । यह खुद योजनायें बनायें । किसान योजनायें खुद नहीं बना सकता क्योंकि वह ठीक से फार्म भी नहीं भर सकता है । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी अथारिटीज हैं वह सब खुद योजनायें बनायें छोटे किसानों के लिये । इसमें साफ तौर पर लिखा है कि

'The Central Land Development Banks in States such as Andhara Pradesh, Karnataka, Tamilnadu, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh would be able to attempt this and make a success of it provided the necessary initiative is taken by the Central Land Development Banks and full support is given by the State Government.

अब राज्य सरकार को लैंड डेवलपमेंट बैंक से बातचीत करके सोचना चाहिये । यह सबसे बड़ी बात है कि कितनी देर लगती है लोन प्राप्त करने में किसानों को ।

इसमें मध्य प्रदेश के कानून का उल्लेख किया है इस कमेटी ने कि मध्य प्रदेश में केवल खसरे को दे देने से लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अधिनियम को देखा इससे स्पष्ट नहीं होता कि कर्ज बैंक से मिलेगा भ्रष्टाचार की कम गुंजाइश होगी।

हमारे शासन में भी इस प्रकार की शिकायतें आती थीं कि जो पम्पिंग सेट वह चाहते हैं वह नहीं मिलता या फलां दुकान से ही लेने के लिये कहा जाता है। उसमें कमीशन चलता था। सर्विसिंग का कोई इंतजाम नहीं था, पार्ट्स नहीं मिल रहे थे तो उसके लिये व्यवस्था की गयी थी। समन्वय की बात की गयी थी। यह तय हुआ था कि उनको विवश नहीं किया जायगा कि फलां दुकान से खरीदना है। इसके लिये कुछ संशोधन भी किये थे। लेकिन अभी तक अपेक्षित आशा पूरी नहीं हुयी है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जो दीर्घकालीन ऋण किसान लेते हैं उसका सदुपयोग हो। इसके लिये ब्लाक अधिकारी, ए० डी० ओ० आदि में समन्वय होना चाहिये। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बिजली समय पर ट्यूबवेल्स को नहीं मिल पाती है। बहुत से ट्यूबवेल्स भूमि विकास बैंक के कर्ज से बनाये जाते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल पाती है। बिजली न मिलने के कारण जो स्कीमों में लिखा हुआ है कि 'इतनी आमदनी बढ़ जायगी' वह पूरी नहीं हो पाती है। तो राज्य बिजली बोर्ड और भूमि विकास बैंक के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की थी, वह और मजबूत करने की आवश्यकता बढ़ गयी है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि कौन क्षेत्र पिछड़े रह गये हैं जहां भूमि विकास बैंक लाभ नहीं पहुचा पा रहे हैं, इसलिये वहां सरकार की प्रसार सेवा एजेन्सी का उपयोग इसके लिये हो। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि यह बिल प्रवर समिति के सामने जायेगा, चूंकि रिपोर्ट हमारे समाने नहीं है, तो सब लोग जान सकेंगे कि कौन सी सिफारिश सरकार ने मानी और कौन नहीं और वह क्यों ? इस समय नया संशोधन दे रहे हैं और कहते हैं कि मान लें तो देखने के लिये हमको समय चाहिये, इसलिये प्रवर समिति को दे दें और वहां देख लेंगे कि कौन सी बात मानी गयी और कौन नहीं। प्रवर समिति में भेजने में आप जानते हैं कि चूंकि अधिकारी लोग सदन में बोल नहीं सकते हैं। लेकिन, वहां अधिकारी लोग अनौपचारिक रूप से रहते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वस्तुस्थिति है। वहां दलगत दृष्टि से विचार न होकर एक स्वच्छ विचारक की दृष्टिकोण से समिति विचार करती है। मुझे पिछले १९५२ से समितियों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार नैनीताल में विश्वविद्यालय विधेयक पर १९५४ में एक मामले में वोटिंग हुई थी और कभी ऐसा नहीं हुआ बल्कि प्रवर समिति में सभी बातों पर विचार होकर तय हो जाता है कि क्या होना चाहिये। इसलिये रियासत हुसैन जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि उसको मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे। मंत्री जी के पास रिपोर्ट यहां है कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे---

नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जिस पर यह विधेयक बना है उसकी रिपोर्ट भी नहीं है। तो माननीय, आप सोच सकते हैं कि कितने कम समय में यह संशोधन शासन ने और राज्य मंत्री जी ने दिया है। इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि यह बिल प्रवर समिति को तीन महीने के लिये न सही तो २५ तारीख तक के लिये सुपुर्द करदें। हमें विश्वास है कि मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय, मेरा प्रस्ताव यह था कि इसका अननुमोदन किया जाय। दूसरा यह प्रस्ताव था कि जिद्दी सरकार शायद हमारी बात न मानें तो प्रवर समिति में भेजने वाली बात मान ले। इनको बहुत सीख दी गयी। श्री श्यामधर जी ने भी और माननीय विरोधी दल के नेता ने भी बहुत सीख दी लेकिन एक पुरानी कहावत है कि सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय, सीख न दीजे वानरा घर बया का जाय। यह तो हालत है सरकार की रिजर्व बैंक की संस्तुति के आधार पर यह संशोधन पेश किया गया है और माननीय, यह निश्चित बात है कि संस्तुति रिजर्व बैंक की क्या है न तो मंत्री जी जानते हैं और न राज्य मंत्री जी जानते हैं। आपको याद है कि ६ महीने पहले जब सदन की बैठक हुई थी तो एक संशोधन पेश किया गया था और फिर एक संशोधन आ गया है। जब रिजर्व बैंक की संस्तुति हमारे सामने आयी है तो क्यों नहीं एक विस्तृत रूपरेखा उसी संस्तुति पर आधारित इस सदन के सम्मुख रखी जाती। जो संशोधन हमारे सामने आया है उसमें यह है कि भूमि विकास बैंक भूमि खरीद सकता है, कब्जा ले सकता है।

अखबारों में हम देखते हैं। सैकड़ों किसानों का नाम छपता है कि भूमि नीलाम की जा रही है। अगर यह होता है कि भूमि नीलाम करने के पहले वह फसल से कर्जा दे सकता तो कुछ उसकी भूमि बच सकती थी। इस तरह का कोई संशोधन आता। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान परेशान है। वह भूमि बन्धक रखता है। पम्पिंग सेट के लिए कर्जा लेने जाता है। उसको चेक मिलेगा लेकिन ऐसी एप्रूव्ड फर्म के नाम मिलेगा जहां से अधिकारियों का कमीशन तय होता है। जब हमने भूमि बन्धक रख दी तो हमें नकद पैसा दें जिससे जहां से वह चाहे पम्पिंग सेट खरीद सके। अगर यह संशोधन हो जाय तो किसान का पांच सौ से हजार रुपया तक बच सकता है जो संशोधन आया है वह भी अध्यादेश के रूप में आया है, और उसको विनियमित करन के लिए हमारे सामने रखा गया है। मैं चाहता हूं कि सदन हमारे पहले प्रस्ताव को पारित करे और यदि उसमें असमर्थ हो तो प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मैं नेता विरोधी दल तथा अपने माननीय सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मेरे प्रस्ताव के बारे में चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रस्ताव वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यादेश के बल पर यह सरकार चल रही है। इसका हमेशा विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि जनतांत्रिक पद्धति से यह सरकार चले।

श्री रियासत हुसेन--

श्रीमान् मैं अपनी बात कर यह कह कर प्रेस करूंग कि प्रदेश में ए० एफ० डी० ए० स्कीम चल रही है और कोआपरेटिव बैंक और दूसरे बैंकों से लोन मिलता है तो इस समय लैंड डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता किसान के हित में नहीं है। मैंने तो अपने प्रवर समिति को भेजने वाले प्रस्ताव में रखा है कि इसकी परिधि बढ़ायी जा सकती है। इस भूमि विकास बैंक को बिल्कुल ही बन्द कर देना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

माध्यवर, इतनी चर्चा के बाद और नई-नई बातें आने के बाद माननीय मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, वह टस से मस नहीं हुए तो मुझसे यह अपेक्षा करना कि अपना संशोधन वापस ले लूं, व्यर्थ है ।

श्री अवधेश प्रसाद--

जैसा मैंने निवेदन किया माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और वे प्रदेश के किसानों की तरफ से बधाई के पात्र होते और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की होती । ऐसा लगता है उन्होंने इस विधेयक की मंशा को नहीं परखा है अगर वे विधेयक की मन्शा समझ लिए होते तो वह इस विधेयक की भूरि-भूरि प्रशंसा करते । प्रदेश के किसानों का इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में आदरणीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं । किसानों को भूमि विकास बैंक से जो कर्जा मिला करता था उसमें पहले बहुत कठिनाइयां उनको होती थी । उनको दूर करने के लिए हमने यह व्यवस्था की है कि किसान आसानी से कर्जा भी पा सके और खेत का विकास भी कर सके । पहले ऐसी व्यवस्था थी कोई भी किसान सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेता था जब तक वह पूरा ऋण अदा नहीं कर देता था तो वह अपने मार्गेज किए हुए खेत को छुड़ा नहीं पाता था । अब यह कर दिया है कि अगर १० बीघा खेत मार्गेज किया है और १० हजार रुपया लोन लिया है और ५ हजार उसने रिपे कर दिया है तो ५ बीघा खेत छोड़ दिया जायगा ।

दूसरे सरकारी तौर पर लोगों को पट्टे दिये गये हैं । पहले यह व्यवस्था नहीं थी । ऐसे पट्टेदार को गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था । अब यह व्यवस्था कर दी है ऐसे पट्टेदार जिनको सरकारी भूमि मिली है और पट्टे को मार्गेज रख कर ऋण ले सकता है । यह भी व्यवस्था कर दी है कि किसान की नाजानकारी से किसी कारण से डीड में स्टाम्प नहीं लगा है तो उस पर मुकदमा चलता था, पैनाल्टी होती थी, जिससे किसान परेशान होता था । अब इस टेक्निकल गलती को दूर कर दिया गया है और किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। किसान ने जो जमीन को मार्गेज रखा है, उसके खसरे और खतौनी को हमने तहसील में रखने की व्यवस्था की है जिससे वह तहसील में जा कर कागजात का मुआयना कर सके ।

५वीं व्यवस्था यह है कि पहले किसी खेत का नीलाम होता था जिसको उसने मार्गेज रखा है, तो किसान जो उस खेत को खरीदने जा रहा है तो जिसकी जमीन वह लेने जा रहा है उसे कब्जा नहीं मिलता था । अब यह व्यवस्था कर दी गयी है जो नीलाम में लेने जा रहा है कम्पेनसेशन लेने के लिए कलेक्टर को दरख्वास्त देगा, और कलेक्टर उसे कब्जा दिलायेगा । अगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और वह भूमि बैंक के हक में छूटती है, तो बैंक उसे भूमि को पट्टे पर दे देगा ताकि वह बेकार न पड़ी रहे । इसमें खेती की जा सके जिससे प्रदेश की जनता को अन्न दिया जा सके । इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए हम यह संशोधन लाये हैं ।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि यह अध्यादेश जमीन हड़पो है, इसका अच्छा उद्देश्य नहीं है । मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं । हमारी मन्शा

[श्री अवधेश प्रसाद--]

इसे लने की वह है। मैं आंकड़े दे कर वह सका हूं। इससे ६ लख लोगों को ऋण की सुविधा दी जा चुकी है जिसमें से केवल २२०२ के जमीन की नीलमी की गई और उसमें से भी केवल ९२५ नीलामों की पुष्टि हुई है बाकी की नहीं और ६० मामले अदालत में विचाराधीन हैं। जहां तक माननीय रिश्सत साहब ने कहा कि लैण्ड मार्गेज बैंक की मंशा लैण्ड हड़पने की है यह गलत है। जिसके लिए मैंने आंकड़े प्रस्तुत कर दिये ९ लख किसानों को सुविधा दी गई और उसमें से केवल ९२५ नीलामों की पुष्टि की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।

माननीय मिश्रा जी के मन में किसानों के लिए बहुत दर्द है। मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने प्रदेश के किसानों को उठाने की बात कही है लेकिन हमारे ऊपर आक्षेप लगाया है कि हम जल्द बाजी कर रहे हैं। मान्यवर, अगर यह बात सच होती तो पिछली सरकार ने कितनी मंद गति से काम किया इसका उदाहरण देना चाहता हूं किसान की आमदनी कितनी मंद गति से आगे बढ़ी ५०-५१ में १९८ प्रति किसान थी वह घट कर १९६ हो गई। यह इनके काम करने का नमूना था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आबादी कितनी बढ़ी?

श्री अवधेश प्रसाद--

आज हम किसानों की स्थिति से चिंतित हैं। हम उनको उठाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता को एक वादा दिया है। हमारा विश्वास है कि जब तक किसानों की स्थिति को ऊंचा नहीं किया जायेगा, तब तक हमारा देश उन्नतिशील नहीं हो सकता। माननीय मिश्रा जी ने आक्षेप लगाया है कि हम जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। आखिर यह जल्दी हम किसके लिए कर रहे हैं। इस जल्दीबाजी का हमारा इंटेनशन क्या है। हमारा इंटेनशन गिल्टी का नहीं है। हम आदरणीय सदन को बताना चाहते हैं, हमारा इरादा किसानों को उठाने का है, उनको राहत पहुंचाने का है। जिस स्थिति में उनको होना चाहिये था उस स्थिति में वह नहीं हैं। माननीय सदस्यों ने तमाम चीजों का जिक्र किया। कहा गया कि इसमें किसान भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और वह इंजन नहीं खरीद पाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि १५१ इंजनों की सूची किसानों को दी गई है। इसमें किसान स्वतंत्र हैं जिसको वह चाहें, खरीदें।

एक बात डीजल इंजनों के बारे में है जिसके लिए एक मुश्त पैसा किसान को नहीं दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में भी हमने रिजर्व बैंक को लिखा है कि इसमें किसान को पूरी-पूरी छूट होनी चाहिये जिससे कि वह जहां से चाहे खुले रूप में इंजन खरीद सकता है। जिससे हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, वह उसका निराकरण हो सके। तो हमारी मंशा अच्छी है और इसी मंशा से हमने रिजर्व बैंक को लिखा है, प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे ही उससे सहमति आ जायेगी, यह हो जायेगा। पहले रिजर्व बैंक का यह अनुमान था कि किसान बैंक से पैसा ले लेगा और उसका मिसयूज होगा, उसका खर्च दूसरे कामों पर होगा। अब जैसे ही रिजर्व बैंक से यह संस्तुति हो जायेगी, किसान को पैसा मिल जायेगा और वह अपनी इच्छानुसार उसे खरीद लेगा। एक बात नेता विरोधी दल ने यह कही कि किसानों को सुविधा होनी चाहिए, हम उससे सहमत हैं, यह अच्छी बात है, जो उन्होंने बतायी, क्योंकि उनका काफी अनुभव है। उन्होंने बेला

है कि किसान किस तरह परेशान है (व्यवधान) में इस संबंध में बताना चाहता हूं कि तिवारी जी के बताने से पहले ही हमने इस पर व्यवस्था कर दी है। कैम्पेन चलाकर खसरा देखकर उसके आधार पर हमने ऋण देने की व्यवस्था कर दी है।

ऐसी भी शिकायतें थीं कि बहुत से नलकूपों को कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। इस बारे में हम भी चिन्तित थे और उस दिशा में भी हमने काफी काम किय है। इसमें सुधार लाने के लिए अब राज्य विद्युत् परिषद् को राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का एक सदस्य बना दिया गया है। इसके माध्यम से उस परिषद् के द्वारा अब तक इस बैंक को ७ करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया ज चुका है। नेता विरोधी दल के जमाने में बहुत सी चीजें कागज पर हुई हैं, लेकिन मौके पर नहीं हुई हैं। लेकिन मैं काम में विश्वास करता हूं, भाषण में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा किसानों के लिए किया गया काम बोलेगा। इस आस्था और विश्वास के साथ हमने जो भी काम किया है, हमने व्यवारिक काम किया है।

हमने डेरी के लिए भी ऋण देना प्रारम्भ कर दिय है और प्रथम संशोधन में इसका प्राविधान कर दिया गया है और तदनुसार ५० करोड़ रुपया पिछली बार ऋण दिया गया था और इस बार ७० करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया गया है।

एक बात और कही गयी कि पूरे का पूरा संशोधन एक साथ नहीं लाया गया है। उस दिशा में मैं चाहता था कि पूरा संशोधन एक साथ लाया जय, लेकिन हमारी मजबूरी थी। क्योंकि कुछ संशोधन प्रदेशीय सरकार के स्तर पर लाए जा सकते थे और कुछ पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। तो जो प्रदेश के स्तर पर हो सकते थे, उन्हें पहले संशोधन में कर दिया गया था औ जिन पर केन्द्रीय सरकार की सहमति लेन थी, उन पर अब उनकी सहमति मिल जाने पर उनको दूसरी बार दूसरे संशोधन में लाया गया है, जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।

इसमें शुल्क बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं है, यह उनका भ्रम है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो मंशा है, उसे हमने चन्द शब्दों में रख दिया है और हमारा यह संशोधन किसानों की हालत सुधारने के लिए है। ऐसी सूरत में, मुझे विश्वास था, लेकिन माननीय सदस्यों ने हमारी भावनाओं को देखा नहीं है। लगता है पढ़ने से छूट गया है। अब मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बता दिया है। यह बहुत ही पुनीत काम है इसलिए अगर माननीय सदस्य अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लेते तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए बधाई के पात्र होंगे। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करता हूं कि जो अननुमोदन का प्रस्ताव लाये हैं, उसको वे वापस ले लें।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाये, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण यह अध्यादेश प्रवर समिति को भेजा जाय। इसमें विलम्ब ही होगा। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिये। अच्छे काम को बहुत जल्दी करना चाहिये। इसमें विलम्ब ही होगा। मैं इस विश्वास के साथ प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी प्रस्ताव न करिये ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ११ तथा खण्ड १, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायेगा ।

(२) यह ५ अक्तूबर, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, सन् १९६४ की धारा ९ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ९ में, उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

'(२—क) राज्य सरकार भी समय-समय पर निधि में ऐसी धनराशि का अंशदान कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।'

धारा १० का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १० में, शब्द ,'निष्पादित किसी भी बन्धक" के पश्चात शब्द "या सृजित किसी भी प्रभार" बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द, "उक्त बन्धक के निष्पादन" के पश्चात शब्द "या प्रभार के सृजन" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा ११ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ११ में,—

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात—

"(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बची गयी किसी सम्पत्ति का क्रय करना विधि पूर्ण होगा और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विक्रय करके निस्तारण करेगा ।"

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात—

"(२-क) यदि बैंक को उपधारा (१) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा ।"

धारा १६ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १६ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा" के स्थान पर शब्द "की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा" रख दिये जायेंगे, और शब्द "बन्धक धन" के स्थान पर शब्द "बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन" रख दिये जायेंगे, और शब्द "बन्धक ग्रस्त" के पश्चात शब्द "या प्रभारित" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात—

"(४) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गयी कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के, या किसी भूमि विकास बैंक या, राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् से हक का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के, अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा ।"

नई धारा २१-क का बढ़ाया जाना

६--मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"२१-क-राज्य सरकार किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, चाहे वे अन्तरणीय अधिकार वाले हों या नहीं, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन धृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार, जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में ऐसे बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार भी सम्मिलित हैं, निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रान्ट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुए भी, अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।"

अनन्तरणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना

धारा २२ का प्रतिस्थापन

७--मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"२२--सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, गिरवी या बन्धक किया गया हो, प्रभार, गिरवी या बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा :

बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार सृजित करने के बन्धककर्त्ता के अधिकार पर निर्बन्धन

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाय तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, राज्य भूमि विकास बैंक के अनुमोदन से भूमि विकास बैंक, सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक, प्रभार या गिरवी से, सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।"

धारा २३ के स्थान पर नई धारा २३ और २३-क का रखा जाना

८--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात :--

भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित लेखों का रजिस्ट्रीकरण

"२३ (१)--रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी उधारकर्ता सदस्य द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उनके निष्पादन के दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायगा, बशर्ते बैंक, निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लेख्य को जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, राजस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ, उस उप-रजिस्ट्रार के पास भेज दी गयी हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बद्ध उप-रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की धारा ५१ के अधीन विहित पुस्तक संख्या १ में नत्थी करेगा ।

(२) जहां उप-रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न कोई त्रुटि हो गयी है, वहां वह लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेज कर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करें या त्रुटि को दूर करें । बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा ।

(३) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (१) में निर्धारित रीति से उप रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप रजिस्ट्रार उप-धारा (१) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या १ में उस प्रति को नत्थी करेगा ।

(४) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ में किसी बात के होते हुये भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के किसी अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह स्वयं या अभिकर्ता द्वारा किसी ऐसे संलेख के, जिसका निष्पादन उसने अपने अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा ५८ में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करे ।

२३--क--जहां प्रभार या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा २३ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गयी हो, वहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी को भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदधारी ऐसे प्रभार या बन्धक का विवरण इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में अंकित करेगा। रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उससे उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।"

प्रभार या बन्धक अंकित करने लिए राजस्व रजिस्टर

धारा २४ का प्रतिस्थापन

९--मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"२४--यदि मण्डल उचित समझे तो वह इस अधिनियम की धारा १६, १८ और २१ के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को बैंक के किसी एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकता है।"

मण्डल द्वारा कतिपय अधिकारों का प्रतिनिधान

धारा ३० का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, अन्त में शब्द "जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है," बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

निरसन और अपवाद

११--(१) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २० सन् १९७८ निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ११ तक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित करने पर।)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मैं इस पर बोलना चाहता हूं, आपने तुरन्त प्रस्ताव ले लिया..

श्री उपाध्यक्ष--

आपको पहले खड़े होना चाहिये था, अब तो मैंने प्रस्ताव रख दिया ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--

मैं तुरन्त खड़ा हुआ था, आपने देखा नहीं तो क्या किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

श्रीमन्, आप ही पोषक हैं [× × ×]

श्री ऊदल-- (व्यवधान)।

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं [× × ×]
यह सदन का अवमान है..

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा है कि पोषक हैं, यह नहीं कहा कि हनन कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

[× × ×] आप प्रोसीडिंग्स देख लीजियेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, प्रोसीडिंग्स देख लें, अगर कहा है तो उसे कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न पुनः प्रस्तुत किये देता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ †

श्री गणेश दत्त बाजपेयी (स्वयत्त शासन मंत्री)--

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये । माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं कुछ कहूंगा ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

कुछ तो बता दें पहले इसके बारे में।

(व्यवधान)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, पहले तो मैं नियम के संबंध में बता दूं ...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आप नहीं बतायेंगे, अध्यक्ष महोदय बतायेंगे।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मैं अध्यक्ष महोदय को बताऊंगा, आपको नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप अध्यक्ष महोदय को नियम बतायें ?

*श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, यह जो संशोधन है वह उन्हीं ३–४ बातों के सिलसिले में है, जिसे माननीय सदन पहले सहर्ष स्वीकार कर चुका है। अध्यादेश के डिस्कशन के समय पहली बात तो यह है कि २१ वर्ष से घटा कर १८ वर्ष की आयु महा-पालिका के निर्वाचकों के लिए नगरपालिका के लिए, नोटीफाइड एरियाज के लिए और टाउन एरियाज के लिए, सब के लिए यह २१ वर्ष से घटा कर १८ वर्ष कर दी थी। इसका सर्वत्र स्वागत हो चुका है। दूसरी बात यह है कि करीब ५ हजार मुकदमें हमारे असेस्मेंट के सिलसिले में पड़े हुए हैं, जज स्माल काजेज के पास, तो उसमें अगर बहुत देर लगती है, तो जिनका मकान है, उनको भी तकलीफ और हमको भी तकलाफ, हम भी चाहते हैं कि अंतिम निर्णय जल्दी हो कि क्या हमको इनसे हाउस टैक्स लेना है और उनको भी मालूम हो जाय कि क्या देना है। इस वजह से हमने सिविल जज, एडिशनल सिविल जज और जज स्माल काजेज के एडिशनल जज जो हों, उनको कुल मिलाकर उनकी संख्या इतनी बढ़ा दी कि इन मामलों का जल्दी ही निपटारा कर दिया जाय। एक मान्यवर, यह भी बात है कि इस चुनाव में जो हमको वोटर्स लिस्ट बनानी है और उनकी जो विधि है वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो बना दिया था, उसको सिर्फ एडाप्ट कर लिया करते थे, अब हमने इसकी जिम्मेदारी ली। चूंकि १८ साल की बात आ गयी, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मातहत जो बने हुए हैं, उसकी वजह से, १८ वर्ष करने की वजह से हमें दूसरी नई लिस्ट भी बनानी पड़ी, तो हमने अधिकार लिया ताकि हम इसको बना सकें।

चौथी एक जरा सी चीज और है, वह यह है कि हमने पहले कह दिया था कि ३६० रुपयों से कम जिनका वार्षिक रेंटल वेल्यू होगी, जिन मकानों का किराया होगा, उनसे हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। उसमें हमने जरा सा यह कर दिया है कि बशर्ते कि उनके यहां फ्लश लैट्रीन हो। अगर फ्लश लैट्रीन ऐसी बस्ती में हो, जहां फ्लश लैट्रिन मौजूद हों, जहां पर हमारा ड्रेनेज है, तो वहां पर ड्राई लैट्रिन्स

---

*सभा में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे, तो बड़ शर्म की बात है, तो इतना उनको करना चाहिए। ये ४ मुख्य बातें हैं। चार की चारों ऐसी बातें हैं जिनमें कि किसी भी प्रकार की सिवाय इसके कि अगर मैं उधर बैठा होता, तब भी मैं मजबूर होता स्वागत करने के लिए। इस परिस्थिति से मैं यह सोचता हूं कि कोई लम्बी चौड़ी बहस की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और यह चीज पहले इसी सदन में डिबेट हो चुकी है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अगर वह विरोधी पक्ष में होते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इधर से माननीय कल्पनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी होने वाले हैं। मेरा कहना है कि अगर मंत्री जी एलान करें कि ४ फरवरी तक चुनाव हो जायेंगे तो हम संशोधन वापस कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका इंतजार करिये।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव तय कर लिया है। ६४० में से ३७ को छोड़कर बाकी में चुनाव शीघ्रातिशीघ्र होंगे। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि ४ फरवरी को मतदान हम करा दें। लेकिन ऐसा हो सकता, ईश्वर न करे कि कोई चुनाव स्थगित करना पड़े, किसी की डेथ हो जाय, और कोई बात हो जाय तो हम समय आगे रखना चाहते हैं आपसे इजाजत ले रहे हैं। वैसे पूरी कोशिश है कि ४ फरवरी तक चुनाव हों।

श्री देव बहादुर सिंह--

इस सरकार की भाषा तो यह सरकार नहीं समझती। माननीय मंत्री जी तो और सूत्र में बात करते हैं। चुनाव कब कराये जायं, मंत्री जी भी नहीं जानते हैं। (हंसी तथा शोर)

(सदन में बिजली चली गयी।)

श्री ऊदल--

शाही जी कह रहे हैं कि हड़ताल से प्रोडक्शन बढ़ रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा--

इनको अंधेरी कोठरी में बंद कीजिये लेकिन जनता को अंधेरे में न कीजिये।

(बिजली आने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस प्रदेश में हमारी समस्याओं का चित्रण कितना होता है, बिजली का चित्रण हमारे सामने हो गया। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने यह पूछा कि अगर वह ऐलान कर दें कि चुनाव कब करायेंगे तो हो सकता है की अपना संशोधन वापस ले लेंगे। लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी कभी इधर आयेंगे कोई भी सरकार बनेगी वह अपने स्थान पर रहेंगे। वह इधर आने वाले नहीं है। मान्यवर, हमारा एक संशोधन है।

मान्यवर, यह कहा गया कि न्यायालयों की संख्या बढ़ा दी गयी है ताकि वादों का निस्तारण जल्दी हो सके। इसकी आवश्यकता उस समय थी जब अध्यादेश के बिना किया जाता। जिस तरह से सूचियां टाउन एरिया और म्यनिसिपल बोर्ड में बन रही हैं उनको देखें तो इनकी पार्टी मनमानी कर रही है। जो इनके कार्यकर्ता हैं वह सूची बना रहे हैं और आपस में घटकवाद के तौर पर बना रहे हैं। इसीलिये सूची सही नहीं बन पा रही हैं। जितने संशोधन किये गये हैं, वार्ड के बारे में ऐसा लगता है कि अध्यादेश जल्दी-जल्दी निकाला गया है और सोचा तक नहीं गया है कि इसमें क्या आवश्यकता है। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। अध्यादेश के निकलने के बाद यह अधिनियम न बने तो जितने काम हो रहे हैं, वह बेकार हो जायेंगे इसलिये यह किया गया है। यह अच्छा नहीं किया है। सोच समझ के किया होता तो इसमें यह कमियां न होतीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, सरकार पसोपेश में पड़ी है। आज सरकार की ओर से कहा कुछ जाता है और व्यवहार में कुछ मिलता है। मंत्री जी ने जो घोषणा की इस संशोधन के जरिये, उसमें कुछ बातों का मैं स्वागत करता हूं और यह भी कहता हूं कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के वह अनुकूल है। अगर व्यवहार में वह देखने को मिलतीं तो शायद शिकायत की नौबत न आती। मान्यवर, अभी चुनाव की बात आयी। १९७७ के बजट के समय यहीं पर भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, ने कहा था कि चनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने की घोषणा की थी। उसके मुताबिक अभी तक शीघ्रतिशीघ्र का समय आया नहीं है और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि शीघ्रतिशीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे। इसके पहले शायद मंत्री जी ने एक तारीख घोषित की थी कि इससे पहले चुनाव करा दिये जायेंग। तो एलान कुछ होता और व्यवहार में देखन को कुछ मिलता है। वर्षों बीत जाने के बाद शीघ्रतिशीघ्र नहीं आता है। यह व्यवहार लोकतांत्रिक परम्परा के प्रतिकूल माना जायेगा।

जनता व्यवहार देखकर आपके बारे में निर्णय करेगी, यह नहीं कि आप कहते क्या हैं इस पर निर्णय नहीं करेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि शासन लोकतांत्रिक मान्यताओं के मुताबिक फैसला ले तो उसके मुताबिक आचरण भी करें।

अभी इस नई रोशनी में टाउन एरिया और नगर महापालिकाओं, सब जगहों पर, सूचियां बनाई जा रही हैं लेकिन उन में तरह-तरह की शिकायतें आ रही हैं जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि हमें इसीलिए जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ी है चूंकि पिपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के मुताबिक २१ वर्ष का प्राविधान था उसमें १८ वर्ष कर रहे हैं।

एक अध्यादेश पहले आया फिर संशोधन आया और अब फिर तीसरा संशोधन आ रहा है, यह क्यों ? यह इसलिये आ रहे हैं कि यदि शुरू में ही किसी विषय पर गहराई से विचार कर लिया जाय... । और तब एक निष्कर्ष निकाला जाय तो बार-बार संशोधनों की नौबत न आये । चुनाव आने तक पता नहीं और कितने संशोधन आयेंगे । कितनी बार अध्यादेश जारी करने पड़ेंगे । इसीलिए माननीय, मैंने प्रस्ताव किया है कि यह नौबत न आवे कि फिर आपको अध्यादेश जारी करना पड़े । जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसे दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस शासन ने भी कांग्रेस शासन के कदमों पर ही चलना शुरू कर दिया है । इसका क्या हश्र होगा मैं नहीं जानता । इतना जरूर कहूंगा कि उनके चरण चिन्हों पर अगर चलते गये तो जनता का अविश्वास बढ़ता जायेगा और जब जनता का अविश्वास बढ़ता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि कथनी और करनी में फर्क न रहे और जो कहा जाय उसे किया जाय । लोकतांत्रिक मान्यताओं के मुताबिक चलने का ऐलान करते हैं तो उसके मुताबिक आप आचरण कीजिये । इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के मुताबिक सोचने का दावा करते हैं वह इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है सदन के सामने मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनता सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि पूरे सूबे के अन्दर हमारे १८ वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार की शक्ति देकर एक नई चेतना जागृत हो। हमारी जनतांत्रिक अधारशिला को मजबूत बनाने का एक कदम इस शासन ने उठाया है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया है इस विधेयक के जरिये नगरपालिका, टाउन एरियाज जो कि शासन तंत्र की एक इकाई हैं, उनको मजबूत करने की बात कही गयी है । रहा प्रश्न चुनाव का । इस पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि हम चुनाव किन तारीखों में करायेंगे क्योंकि यह प्रश्न सदन के सामने बार-बार उठता रहता है । कोई भी सरकार जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, अकारण चुनावों को टालना उसके लिए यह सौदा महंगा पड़ सकता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के सन्दर्भ में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री स्पष्ट रूप से सदन को अवगत करायें ।

शौचालयों की बात उठायी गयी और इस विधेयक की मंशा भी है कि नागरिकों को फ्लश सिस्टम की सुविधा मिले । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जगह चले जाइये, बड़ी-बड़ी पंच महानगरियों में जाकर देख लें, सफाई नाम की चीज नहीं मिलेगी । अयोध्या जो धार्मिक केन्द्र है, दुनिया भर के लोग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भी राम द्विवेदी—]

पहां आते हैं। किसी भी सड़क से गुजर जाइये सफाई नहीं मिलेगी। पूरे सूबे में न जाने कितने टाउन एरियाज हैं उनके कर्मचारी पिछले ५-६ महीने से वेतन नहीं पा सके हैं।

एक और समस्या है नगरपालिकाओं के सामने। मुर्दों को जलाने हेतु बिजली के शवागार बनाने की योजना का प्रारूप सरकार के सामने आना चाहिये जिससे जो प्रदूषण वायु मंडल में पैदा होता है उसको रोका जा सके और इस तरह जनता सरकार एक नई चीज जनता के सामने पेश करे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

जो बिल पेश किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका समर्थन करता हूं। बिल के उद्देश्यों पर प्रकाश मंत्री जी ने बड़ी चतुरता से डाला है। जिससे यह विदित होता है कि यह बिल बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इलेक्शन कराये जा सकें। मैं समर्थन करते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपलिटीज तथा नगर महापालिकाओं में अनुसूचित जातियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इन नगरों में इन जातियों की उपेक्षा की जाती है। उनके मोहल्लों में न रोशनी रहती है न पानी की व्यवस्था रहती है। सड़कों तथा घरों में गन्दगी रहती है। लेकिन सफाई करने वाले केवल अनुसूचित जाति के ही लोग होते ह।

मेरा यह सुझाव है कि इसमें कुछ रिजर्वेशन दूसरे लोगों के लिये भी कर दिया जाय ताकि सफाई के सम्बन्ध में जो हरिजनों की मानोपली है वह खत्म हो सके और दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। इस तरह से जो रोज-रोज हमको सुनना पड़ता है कि हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन है तो सफाई मजदूरों में दूसरी जातियों को रिजर्वेशन देने से उनकी यह शिकायत दूर हो जायगी और उनको यह कहने का मौका नहीं मिल सकेगा कि सफाई कर्मचारियों में केवल हरिजनों की मोनोपली है। इस मोनोपली को हम तोड़ना चाहते हैं। मेरे इस सुझाव को मान लेने से छुआ-छूत दूर हो सकेगी और अन्य लोग भी सफाई के मामले में अपनी कार्य कुशलता दिखला सकेंगे। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी के बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सरकार से जनता को बड़ी आशायें थी और उन्होंने यह नारा भी दिया था कि हमारा जन्म दूसरी क्रान्ति में हुआ जिससे यह उम्मीद की जाती थी कि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में कोई क्रान्ति होगी। सबकी ये उम्मीदें थी लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। एक और बात कहना चाहता हूं कि इसमें मतदाताओं की आयु घटाई गई है वह स्वागतयोग्य है साथ ही साथ उसमें कुछ चीजों पर विचार होना चाहिये। हमारे संगठनों का चुनाव पंचायतों और ब्लाक समितियों आदि के चुनाव टलते जा रहे हैं। जनता के ऊपर इनका विश्वास नहीं रह गया है ऐसा लगता है। अपनी स्थिति को कमजोर देख कर यह चुनाव टाल रहे हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह चुनाव टाल रहे हैं। जो चीजें स्थानीय तौर पर देखने को मिल रही हैं उसमें घटकवाद और पार्टीबाजी दिखाई दे रही है। मैं सत्तापक्ष में बैठे शासन तंत्र से यह चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको हमेशा स्वच्छ दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । लेकिन जो चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं उससे यह उमीद नहीं की जा सकती है कि पिछली सरकार से भिन्न रास्ता अपनायेंगे । जो काम पिछली सरकार ने किया और यह जो लोकतंत्र बचाने वाली सरकार अपने को कहती है उससे भिन्न नहीं है ।

मुझे दो-तीन सुझाव देने हैं । एक बात यह कि जब हम विधान सभा और संसद के चुनाव लड़ते हैं और उसके लिए जो फीस रखी गई है उसमें कुछ प्रतिशत वोट प्राप्त करने पर अमानत वापस हो जाती है । इसी तरह नगर पालिकाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो फीस है, वह भी एक निश्चित प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को लौटा देनी चाहिये ।

इसी तरह जब वोटरों की आयु १८ वर्ष कर दी गई है तो पदाधिकारियों की आयु में भी संशोधन होना चाहिये ।

तीसरी बात यह कि मन्त्री जी ने कहा कि ३६० रु० तक की आय को हमने हाउस-कर से मुक्त कर दिया है । इसके बारे में भ्रम हो सकता है । यह किस आधार पर रखा गया है । बहुत से लोग सरकारी मकान लिए हुए हैं जिनको हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन उनको मूल्यांकन के आधार पर कुछ भी नहीं देना पड़ता है और वह इससे मुक्त हो जायेंगे । तो यह गलत होगा । इससे हमारी नगर पालिकाओं की आमदनी भी गिरेगी और ऐसे लोग बच जायेंगे जो अच्छी-अच्छी आमदनी वाले हैं ।

चौथी बात यह है कि बहुत से मुकदमें ऐसे हैं जो लम्बित हो गए हैं इसके लिए समय चाहिये । इसका कारण पिछली सरकार में भी देखा गया है और इनको सरकार में भी देखा जा रहा है । इसको माननीय सदस्य भी अनुभव करेंगे और न माननीय मन्त्री जी और न माननीय उपाध्यक्ष जी इसके पक्ष में होंगे । तो इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए विचार करें । इन सुझावों के साथ मैं चाहूंगा कि बेहतर होगा कि यह जो संस्थायें लोकतंत्र की रीढ़ हैं, उनके चुनाव अतिशीघ्र कराये जायें तभी लोकतंत्र का लाभ होगा अन्यथा नहीं । इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि यह जो संशोधन रखा है इसको स्वीकार करें और इसको प्रवर समिति में भेज कर अच्छे सुझावों के साथ संशोधित करा कर लायें ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देव बहादुर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनका समर्थन कर रहा हूं । विधेयक तो सरल वा सादा अवश्य महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे छुपी एक लम्बी कहानी है, जो १९ वर्ष से जनता पार्टी ने पेश की है इन इकाइयों को जो इन्होंने तोड़ दिया है । इनका जो रूप है वह अति खराब हो चुका है । कुछ म्युनिसिपैलटीज पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे थीं, उनकी जो हालत है, आज के दिन वहां मशीनरी ठप है । सफाई व्यवस्था और फ्लश लैट्रीन व्यवस्था को देखकर भारी दुःख होता है । कांग्रेस के जमाने में जो स्थिति थी, उसको आप संभाल नहीं पाए हैं । अब एक तरीका निकालकर १८ वर्ष के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया है । आज उनकी इतनी बदतर हालत है कि कोई भी बुद्धिजीवी इन इकाइयों में आना नहीं चाहता । इन इकाइयों का एकाउन्ट इतना खराब है कि वह बड़े घाटे में जा रही हैं । ४ लाख के घाटे पर मेरठ म्युनिसिपैलिटी को तोड़ा गया था, किन्तु अब ५-५ लाख का उस पर घाटा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी---]

सरकार के पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटर जब गड़बड़ी करे तो उसके लिए क्या तरीका हो ? अब भी इलेक्शन न हों तो क्या होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी को खत्म कर दिया जाये और कुछ समय सोच लिया जाए । इन इकाइयों को सुन्दर बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इनसे तेजी से निकल जाना उचित नहीं होगा । फ्लश लैट्रीन के बारे में जो कहा गया है कि ३६० रुपये के अन्दर वैल्यू जो मकान हैं, उनमें फ्लेस लैट्रीन नहीं होगी तो टैक्स नहीं लगेगा, वह अच्छी बात है, किन्तु जो स्लम एरिया हैं, क्या उसकी तरफ भी कभी मन्त्री जी ने ध्यान किया है ? यह प्रवर समिति का जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, इसको तेजी से नहीं पास करना चाहिए । मैं मन्त्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इनके जो चुनाव बहुत दिनों से टल रहे हैं, उनके चुनाव शीघ्र कराए जाएं ।

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री की तरफ से जो बिल पेश किया गया है, मैं आमतौर पर उसका समर्थन करता हूं, लेकिन एकाध उसमें सुझाव देना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि रु० ३६० एनुअल रैन्टल वैल्यू के जो मकान हैं वह इससे बरी कर दिए जायेंगे और इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । प्रत्येक शहर में दर्जनों ऐसे मकान लोगों के पास हैं जो हमेशा टैक्स से बचते रहते हैं क्योंकि वह किराये पर दिए जाते हैं । ३० रुपये माहवार तक दिए जाते हैं इसलिए वह बच जाते हैं क्योंकि कैपिटल उनके पास रहती है और उनके पास दर्जनों मकान हैं । जिन लोगों के पास दर्जनों मकान हैं उन पर अलग से कर लगाना चाहिये, ३६० रुपये तक की छूट का जो प्रस्ताव है वह बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम है । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बार-बार नगर पालिकाओं का चुनाव करावेंगे, यह कहा जाता है । इस समय नगर पालिकाओं का प्रशासन नौकरशाही के हाथ में है । मैं अपने जिले की बात बता रहा हूं । नगर पालिका का प्रशासन नौकरशाही के हाथ में है । सार्वजनिक जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है । अगर कोई पुलिया या सड़क टूट जाती है तो वह नहीं बनती है ।

डी० एम० के बंगले के अन्दर की सड़क बन गई । एस० पी० के बंगले के अन्दर की सड़क सीमेन्टेड हो गई लेकिन पब्लिक के इस्तेमाल के लिए जो रोड आती है उनको आज तक नहीं बनाया गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नगर पालिकाओं के चुनाव में जनता पार्टी को पुनः आना है तो इन नगर-पालिकाओं का चुनाव कराया जाये और नौकरशाही को हटाया जाये । इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वायत्त शासन सम्बन्धी विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई । माननीय मन्त्री जी ने जिन ४ प्वाइन्ट्स को रखा है, उनको पढ़ने के उपरान्त विरोधी दल के लोगों को कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात करने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। एक तो जनता पार्टी की सरकार ने १८ वर्ष के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिसको इनकी सरकार कहा करती थी लेकिन कर न सकी। आज ये लोग केवल घटकवाद की बात ही कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक पर केवल ऐसी बात कहते जिससे जनता की भलाई होती। जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है वह फरवरी में होने जा रहे हैं और चुनाव से हम डर नहीं रहे हैं।

फतेहपुर और समस्तीपुर में आपने देख ही लिया है कि जनता की भावना किसके पक्ष में है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके नगर पालिकाओं का चुनाव करा दें। नौकरशाही ऐसी हरकत कर रही है जिससे जनता पार्टी पर कलंक लग रहा है। वाराणसी में सीवर टैक्स २ प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है और अगर कोई टैक्स नहीं जमा कर पाता है तो उसका वाटर कनेक्शन ३ दिन के अन्दर काट दिया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं जो जनकल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और इस तरह की घटनायें हो रही हैं। बाढ़ में कमजोर वर्ग के लोगों के मकान गिर गये हैं। और दूसरी ओर विकास प्राधिकरण के लोग हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों के मकान डिमालिश करने के लिए नोटिस दे रहा है। यह समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आशा है माननीय वर्मा जी अपना संशोधन वापस ले लें और इसका वे भी समर्थन करेंगे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ४ युग थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग से पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों में शासन था, आज यह शासन तीन के हाथों में है, पी० एम०, सी० एम० और डी० एम०। आज नौकरशाही जैसा चाहती है वैसा यह मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री करते हैं। मतदाता के शासन को बदलने की तो क्षमता थी, यह उसने बदल दिया, मगर नौकरशाही को बदलने की क्षमता हम जनता के प्रतिनिधियों में नहीं है। यह लोग मंत्रियों को बहकावे में सदा डाल देते हैं। जो आज भ्रष्ट अधिकारी हैं जब तक करप्शन ऐक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत उनके खिलाफ कायवाही नहीं होगी उनको हटाया नहीं जायेगा, समस्या हल नहीं होगी। आज वे समझते हैं कि हम तो लोक सेवा आयोग से आये हैं, हमें कौन निकाल सकता है।

मान्यवर, हमारे यहां सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर में एक जलकल योजना २ लाख १९ हजार में बनी। वह बनी और चालू हो गयी। मगर आज उसमें ५० प्रतिशत बालू आ रही है और स्थिति यह है कि आज जिसमें ४०० परिवार वालों को उससे पानी मिल रहा है, वह कुछ ही दिनों बाद बन्द हो जायेगा और एक भयंकर स्थिति सामने आ जायेगी। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। भ्रष्ट अधिकारियों ने जो काम ठीक से नहीं कराया, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

आज टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज में खुले आम चुंगी की चोरी हो रही है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने कानपुर में ६० अधिकारियों को पकड़वाया है, तो आज भी यह स्थिति है कि टाउन एरिया, नगरपालिका और नोटीफाइड एरिया में सुधार नहीं है। जब आपदनी के स्रोत होंगे तभी आप सुविधा दे सकते हैं। इसमें बहुत ही कठोर और सख्ती के साथ सुधार किया जाना चाहिये।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---]

जमींदारी के समय में भी ट उन एरिया नहीं तोड़ी गई । सिसवा टाउन एरिया में ७-८ गड्ढे हैं, एक-एक गड्ढे को वहां के जमींद रों ने बेच डाला था। अगर वहां पर गड्ढा भी नहीं होगा तो गन्दा पानी निकालने की समस्या हो जायगी फिर गांव का पानी कैसे निकलेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आपकी अनुमति से मैं इस पर क्लोजर मूव करना चाहता हूं कि इस पर अब बहस समाप्त की जाय ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, ५ मिनट हमको भी समय दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय तिवारी जी ने क्लोजर मूव कर दिया है, अभी एक विधेयक और शेष है ।

श्री अठई राम—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां की नगरपालिका पर ध्यान देते हुए वहां पर बूचड़खाना जो है, उसे हटवा या जाय । हंडिया टाउन एरिया में ३ लाख रु० पड़ा हुआ है, उसको खर्च नहीं किया जाता है । एक तो वहां पर गंदगी है उसकी सफाई की व्यवस्था की जाय, जिससे बीमारी न फैल सके और दूसरे वहां पर जो पैसा पड़ा हुआ है मेरा सुझाव है कि जिन टाउन एरिया का पैसा नहीं खर्च किया गया है, उसे सदुपयोग में लाया जाय ।

श्री शकीकुर रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मन्त्री जी से गुजारिश है कि म्युनिस्पैलटीज के अन्दर जो पुराने मुलाजिम हैं और कई-कई साल से रेगुलर भी हो चुके हैं । वे फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, उनको निकाला जा रहा है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हमने जनता सरकार बनाई, तब एलेक्शन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि हम रोजगार देंगे तो जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको इससे विपरीत निकाला जा रहा है। सारी म्युनिस्पैलटीज का बुरा हाल है। सम्भल में भी बहुत बुरी हालत है। नालियां एक-एक साल से साफ नहीं हुई । खतरा है कि कहीं कोई बीमारी न फैल जाय । इसलिए मैं चाहता हूं कि म्यूनिस्पैलटियों के अन्दर सफाई होनी चाहिये । वहां की गंदी नालियों की सफाई हो । सम्भल में हमारे यहां नालियां बनवा दी जाय । सीवर सिस्टम के बारे में व्यवस्था करा दें । जो हमारे कर्मचारी सम्भल के फोर्थ क्लास के निकाले जा रहे हैं उनको वापस लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय देव बहादुर सिंह जी आप वापस ले रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

माध्यवर, वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप नोट नहीं करवा रहे हैं। नोट की बात की जाती है तो आप यह कह देते हैं कि आवश्यकता नहीं है। मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी टस से मस नहीं हो रहे हैं।

*श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, यह जो मेरा तृतीय संशोधन विधेयक है उस सिलसिले में, इससे संबंधित बातें मुझे कम सुनने को मिलीं। असल में बात यह है कि इस संबंध में किसी के लिये कुछ कहना मुश्किल है। (हंसी) फिर भी दो-तीन बातों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। एक तो उम्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मतदाताओं की उम्र घटाये दे रहे हैं। चूंकि यह सर्वसम्मत चीज है। मगर जो पदाधिकारी लोग होंगे, वह अभी तक चले आ रहे हैं, उनके बारे में कोई एतराज नहीं किया है, वह हमको नहीं घटानी है। मेरे ख्याल से पिछले ५० सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंचिंग ग्रांट जो नगरपालिकाओं को दी जाती है, तो पिछली ग्रांट का यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट दिये बगैर, उनको ग्रांट दी गयी है। यह पहली बार जनता पार्टी ने किया है। दूसरा कार्य यह भी किया गया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

मोटर ट्रकों के लिये हम काफी रकम खर्च कर रहे हैं जिससे टोटल मेकेनाइजेशन कर सकें और पाश्चात्य देशों से मुकाबला हो सके। सवा-सवा करोड़ के लगभग एक-एक नगरपालिका को देने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कड़े को उठाने के लिये गाड़ियों की व्यवस्था हो सके। एक चीज में और अर्ज करना चाहता हूं कि सभी हरिजनों में और सभी पिछड़ी जातियों में सफाई मजदूरों का हमारा जो काम है उसमें मैं ५० प्रतिशत आरक्षण देने को तैयार हूं (हंसी)। इनके लिये आप कृपा करके उस महान विभूतियों को ढूढ़ें जो इस काम को करें, यह देश के हित में है। एक बात और कहनी है वह यह है कि मैंने आपसे कहा था कि ४ फरवरी अंतिम तिथि समझ लें और ६४० में से ३० स्थानीय निकायों, जैसे, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, तो ३० स्थानीय निकायों में चुनाव ४ फरवरी तक नहीं हो पायेंगे। बाकी निश्चित समझें कि हम ४ फरवरी को करा देंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

संभल में आप चुनाव करायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी –

मान्यवर, आई एम होल्डिंग दि फ्लोर और अब तक मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उचित समझें तो जवाब दे दें।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कुछ कानूनी अड़चनें हो सकती हैं, कहीं भगवान न करे कि किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाय तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि हमको कुछ और समय कुछ जगहों पर लेना पड़े।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

माननीय मंत्री जी ने पक्का वादा किया था फिर कुछ गड़बड़ी हो गयी है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

क्या माननीय सदस्य यह समझते थे कि मैं गैर कानूनी ढंग से चुनाव करा दूंगा। अड़चन की संभावना पड़ सकती है। इस वजह से निश्चित मानें कि ६०० स्थानीय निकायों के अंदर हमारी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है । इसके बाद अगर कहीं कोई अघटित घटना हो जाती है तो उसके लिये ३१ मार्च तक अपनी पावर रिजर्व रखना चाहते हैं । वरना म्युनिस्पैलटीज में जो हमारे प्रशासक हैं वहां ३१ दिसम्बर तक उनको अधिकार है । जो इनको करने की जरूरत है उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं । आपको किसी भी तरह से इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है । एक बात यह भी कही गयी है कि जिनका नाम एक शहर से कटवाने और दूसरे शहर मे लिखवायें ताकि वहां से वह व्यक्ति खड़े हो सकें । तो इसमें जो संशोधन हैं उसमें इस बात का पूरा ख्याल नहीं है कि उस आदमी पर यह होना चाहिये कि एक स्थानीय निकाय से अपना नाम कटवाये और दूसरी जगह वह लिखवाये । उसकी जिम्मेदारी उस पर ही होना चाहिये, प्रूफ से । इस दृष्टिकोण से यह बिल रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4 तक

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् १९५९ की धारा ११-क/का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ११-क में,--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "वयस्क मताधिकार के आधार पर" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (३) में, शब्द "बनाये गये नियमों" के स्थान पर शब्द "बनाये गये नियमों और की गयी आज्ञाओं" रख दिये जायेंगे ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—— धारा ३६ का प्रति-स्थापन

निर्वाचकों की अर्हताएं

"३६—धारा ३७ और ३८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावलि तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावलि में पंजीयन का पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण :—(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(दो) अपने मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा ।

(तीन) संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायगा ।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायगा ।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायगा ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—— धारा ३७ का संशोधन

"(१) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावलि में पंजीयन के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से खंड ४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५ से १४ तक

धारा ३८ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(३) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावलि में पंजीयन का पात्र न होगा, यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी या गांव सभा से संबंधित किसी निर्वाचक नामावलि में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया है।"

धारा ३९ और ४० का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ३९ और ४० के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायगी, अर्थात्—

निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन

३९—(१) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावलि को विहित रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह, इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावलि होगी।

"(२) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामवलि की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या पंजीयन के पात्र किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलि में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दी गयी आज्ञाओं के उपबंधों के अधीन और निर्वाचक संचालक (स्थानीय निकाय) द्वारा, यदि इस निमित्त कोई सामान्य या विशेष निदेश दिये जायें तो उनके अधीन रहते हुए, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, निष्कासन, सुधार या परिवर्द्धन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निष्कासन, सुधार या परिवर्द्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा निष्कासन या सुधार जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा।

(३) निर्वाचक नामावलि में किसी नाम को सम्मिलित, निष्कासित या उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, की जा सकेगी ।

निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण

४०—निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय), यदि वह सामान्य या उप-निर्वाचन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कक्ष की निर्वाचक नामावलि का ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावलि, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय ।

धारा ४१ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ४१ में, खण्ड (झ) में शब्द "वार्षिक" निकाल दिया जायगा ।

धारा ४६ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ४६ में, खण्ड (ध) में शब्द "नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख के निर्वाचनों" के स्थान पर शब्द "उप नगर प्रमुख के निर्वाचन" रख दिये जायेंगे ।

धारा ४८ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ४८ में,—

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के भाग सात के अध्याय तीन की धारा १२५, १२६, १२७, १२७-क, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३४, १३४-क, १३५ और १३६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों—

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "कक्ष" रख दिया गया हो;

(खख) धारा १२७-क की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (१) में, शब्द "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी" के स्थान पर शब्द "निर्वाचक संचालक (स्थानीय निकाय)" रख दिये गये हों;

(ग) धारा १३४ और १३६ में शब्द, "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के द्वारा या अधीन" रख दिये गये हों ;"

(ख) उपधारा (२) में, अंक "१३४" के पश्चात् शब्द अंक और अक्षर "या १३४-क" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (३) में, अंक "१३४" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "अथवा १३४-क" रख दिये जायेंगे ।

धारा ४९ का प्रति-स्थापन

१०--मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

"४९--किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी--

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावलि में पंजीयन का पात्र है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की, या धारा ३९ की उपधारा (३) के अधीन किसी अपील प्राधिकारी या किसी ऐसी नामावलि के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की, वैधता पर आपत्ति करना; या

(ग) निर्वाचन अधिकारी द्वारा या किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना ।"

धारा ६१ का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में और पार्श्व शीर्षक में, शब्द "नगर प्रमुख अथवा" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १७७ का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा १७७ में, खण्ड (ङ) में शब्द "भूमि न हो" के पश्चात् शब्द "और महापालिका की मुख्य या शाखा सीवर लाइन इस तीस मीटर के भीतर स्थित किसी भवन की स्थिति में अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उसमें फ्लश की व्यवस्था सहित शौचालय हो" ऐसे दिनांक को रख दिये जायेंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

धारा ४७२ का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा ४७२ में, उपधारा (१) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश के समक्ष किसी प्रक्रम पर लम्बित कोई ऐसी अपील सुनवाई और निस्तारण के लिए जिला जज द्वारा लघुवाद न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को, जिसकी नगर में अधिकारिता हो, अन्तरित की जा सकती है ।"

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का संशोधन

१४.—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ९–ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्— यू० पी० ऐक्ट संख्या २ सन् १९१६ की

धारा ९–ए का प्रतिस्थापन

"९–क (१) धारा ९ के अधीन निर्धारित बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से, अनुसूचित जातियों के लिए उतने स्थान आरक्षित किये जायेंगे जिनका ऐसी कुल संख्या से, यथाशक्य निकटतः, वही अनुपात होगा जो म्युनिसिपैलिटी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में (जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं) यथा सुनिश्चित म्युनिसिपैलिटी की कुल जनसंख्या से हो :

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अनारक्षित स्थानों में निर्वाचित होने के लिये खड़े होने से निवारित नहीं करेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित केवल उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा जब तक ऐसी जातियों के लिए आरक्षण भारत का संविधान के अधीन बना रहे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का प्रभाव उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति पर किसी आरक्षित स्थान का प्रतिनिधित्व करने पर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस स्थान को भरने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नया निर्वाचन अपेक्षणीय नहीं हो जाता ।"

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (३) की अंतिम पंक्ति में "दर्शित न करे कि" के बाद का अंश निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"उसने ऐसी निर्वाचक नामावलि से अपना नाम कटवाने की कार्यवाही हेतु लिखित रूप से सूचित कर दिया है ।"

संक्षेप में मैं इस बात की और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रशासन की आज की स्थिति है कि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की बात किसी से छिपी नहीं है । एक मतदाता एक नगरपालिका में निर्वाचक है और यदि वह दूसरे शहर में रहने लगता है और उस समय वह आवेदन करता है कि मेरा नाम सूची में सम्मिलित कर लिया जाय, तो उसका नाम इस बात पर काट दिया जायेगा कि वहां से अपने नाम कटवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । यह शासन की लालफीताशाही का प्रमाण है कि वह व्यक्ति निर्वाचक के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो जाता है । इसलिये यह संशोधन पेश किया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

कि ईमानदारी के साथ यदि वह व्यक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि नाम कटवाने के लिये उसने लिखित रूप से दे दिया है तो इसी के साथ ही उस व्यक्ति को एक प्रमाण-पत्र मिल जाना चाहिये लेकिन मंत्री जी ने जो क्रान्तिकारी परिवर्तन इस बिल द्वारा लाने का प्रयास किया है उसको बनाते समय मंत्री जी ने उस बात का ध्यान नहीं दिया है । इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार करें ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य कृपा कर अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि उनका जो संशोधन है उस पर पूर्ण विचार कर लिया गया है

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार जी को उन्होंने जो संशोधन रखा है उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ से लेकर खण्ड १४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड १५ से १९ तक

धारा १२-ए से १२-एच का प्रतिस्थापन

१५--मूल अधिनियम की धारा १२-ए से १२-एच के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

सदस्यों का निर्वाचन

"१२-क--जैसा १० में उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी बोर्ड के सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ।

प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावलि

१२-ख--(१) प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावलि होगी जो निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(२) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी निर्वाचक नामावलि को विहित रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावलि होगी ।

१२-ग--धारा १२-घ और १२-ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावलि तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में ममूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा ।

निर्वाचकों के लिये अर्हताएं

स्पष्टीकरण --

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वमित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(दो) अपने मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा ।

(तीन) संसद या राज्य विधान मन्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नही समझा जायगा ।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायगा ।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से वहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायगा ।

निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हताएं

१२-घ--(१) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह--

(एक) भारत का नागरिक न हो ; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने के किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो ।

(२) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (१) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावलि से तत्काल काट दिया जायगा जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया हो, उस नामावलि में तत्काल फिर से रख दिया जायगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावलि प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है ।

१२-ङ---(१) कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावलि में या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावलि रजिस्ट्रीकरण में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न केवल एक होगा ।
कक्ष में
होगा

(२) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी या गांव सभा से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावलि में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया है ।

१२-च---(१) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरण से, ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावलि की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलि में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अधीन और निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) द्वारा, इस निमित्त कोई सामान्य या विशेष निदेश दिया जाय तो उसके अधीन रहते हुए, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, निष्कासन, सुधार या परिवर्द्धन करेगा :

निर्वाचक नामावलियों में सुधार

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निष्कासन, सुधार या परिवर्द्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा निष्कासन या सुधार जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।

(२) निर्वाचक नामावलि में किसी नाम को सम्मिलित, निष्कासित या उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, की जा सकेगी ।

निर्वाचक नामावलि का पुनरीक्षण

१२-छ--निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय), यदि वह सामान्य या उप-निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कक्ष की निर्वाचक नामावलि का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावलि, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय ।

निर्वाचक नामावलि संबन्धी आदेश

१२-ज--राज्य सरकार, निर्वाचक नामावलियों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के बारे में आदेश द्वारा, उपबन्ध बना सकती ह, अर्थात्--

(क) दिनांक, जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रथमत: तैयार की गयी और तत्पश्चात तैयार की गयी निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी और उनके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) सम्बन्धित निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर निर्वाचक नामावली में किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों को ठीक करना;

(घ) निर्वाचक नामवलियों में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना--

(एक) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित हो, किन्तु उस कक्ष की निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित न हो या जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित कर लिया गया हो ; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित नहीं हो किन्तु जो कक्ष की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण ;

(ङङ) नाम सम्मिलित करने या निकालने के लिये आवेदन पत्रों पर देय फीस ;

(च) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण और ;

(छ) सामान्यतया ऐसे सभी विषय जो निर्वाचक नामावलि तैयार करनें और प्रकाशित करने सम्बद्ध हों ।"

धारा १३-ञे का प्रतिस्थापन

१६--मूल अधिनियम की धारा १३-जे के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जावेगी, अर्थात्--

"१३--ञ-(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के, भाग सात के अध्याय तीन की धारा १२५, १२६, १२७, १२७-क, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२ १३४, १३४-क, १३५ और १३६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों--

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "कक्ष" रख दिया गया हो ;

(खख) धारा १२७-क की उपधारा (२) के खन्ड (ख) के उपखण्ड (१) में शब्द "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय)" रख दिये गये हों ;

(ग) धारा १३० में, शब्द "एक सौ मीटर" के स्थान पर शब्द "पचीस मीटर" रख दिये गये हों ;

(घ) धारा १३४ और १३६ में, शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के द्वारा या अधीन" रख दिय गये हों ।

(२) यदि निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) को यह विश्वास करने का कारण हो कि बोर्ड के किसी निर्वाचन के निर्देश में उक्त अध्याय की धारा १२९ या धारा १३४ या धारा १३४-क के अधीन या धारा १३६ की उपधारा (२) के खन्ड (क) के अधीन दन्डनीय कोई अपराध किया गया ह तो निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच कराये और ऐसा अभियोग संस्थित कराये जो मामले की परिस्थितियों में उसे उचित प्रतीत हो ।

(३) कोई न्यायालय धारा १२९ या धारा १३४ या धारा १३४-क या धारा १३६ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) के आदेश या प्राधिकार से परिवाद न किया गया हो ।"

७--मूल अधिनियम की धारा २३ में, उपधारा (२) में, खण्ड (एफ) में, प्रतिवन्धात्मक खन्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

धारा २३ का संशोधन

"प्रतिवन्ध यह है कि परिसीमा अवधि की संगणना करने में परिसीमा अधिनियम, १९६३ की धारा १२ की उपधारा (२) का उपबन्ध लागू होगा ।"

१८--मूल अधिनियम की धारा २५ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

धारा २५ का संशोधन

"(१) यदि निर्वाचन अधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी है, यह निष्कर्ष निकलता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था तो वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध याचिका को खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार खर्चा दिला सकता है और प्रतिभूति या उसके भाग को वापस करने या समपहृत करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ।"

19--मूल अधिनियम की धारा ४३ में,--

धारा ४३ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "वयस्क मताधिकार के आधार पर" निकाल दिये जायगे ;

(ख) उपधारा (३) में, शब्द "बनाये गये नियमों", के स्थान पर शब्द "बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों" रख दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १५ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १२ ङ की उपधारा (२) की अन्तिम पंक्ति में "दर्शित न करे कि" के बाद का अंश निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

" उसने ऐसी निर्वाचक नामावलि से अपना नाम कटवाने की कार्यवाही हेतु लिखित रूप के सूचित कर दिया है ।"

मान्यवर, मैंने जो इसके पहले अपने तर्क रखें थे उन्हीं को प्रस्तुत करते हुए आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मैं माननीय सदस्य से पुनः अपनी प्रार्थना दुहराता हूं कि वह इसको वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ से खंड १९ तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २० से २३ तक

धारा ४३-एए का संशोधन

२०--मूल अधिनियम की धारा ३३-एए में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

(१) कोई व्यक्ति किसी बोर्ड का अध्यक्ष चुन जाने के लिए अर्ह न होगा, जब तक कि वह,--

(क) सम्बन्धित म्युनिसिपेलिटी में किसी कक्ष का निर्वाचक न हो ; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम-निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ।"

धारा ४३-बी और ४३-सी और ४५ का निकाला जाना

२१--मूल अधिनियम की धारा ४३-बी, ४३-सी और ४५ निकाल दी जायेंगी ।

अध्याय ४

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का संशोधन

सयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, सन् १९१४ की धारा ५-क का प्रतिस्थापन

२२--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा है, धारा ५--क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

"५-क--(१)--धारा ५ के अधीन निर्धारित निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से, अनुसूचित जातियों के लिए उतने स्थान आरक्षित किये जायेंगे जिनका ऐसी कुल संख्या से, यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो टाउन एरिया में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में (जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं) यथा सुनिश्चित टाउन एरिया की कुल जनसंख्या से हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अनारक्षित स्थानों में निर्वाचित होने के लिये खड़े होने से निवारित नहीं करेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित आरक्षण उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा जब तक कि ऐसी जातियों के लिए आरक्षण भारत के संविधान के अधीन बना रहे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का प्रभाव उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति पर किसी आरक्षित स्थान का प्रतिनिधित्व करने पर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस स्थान को भरने के लिन इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन नया निर्वाचन अपेक्षणीय नहीं हो जाता ।"

धारा ६-क का प्रतिस्थापन

२३--मूल अधिनियम की धारा ६-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"६-क--समिति के सदस्य टाउन एरिया के निर्वाचकों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे ।"

सदस्यों का निर्वाचन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २० द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ४३ ए ए की उपधारा (१) (ख) में शब्द 'तीस वर्ष' के स्थान पर अंक व शब्द '२५ वर्ष' रख दिये जायं। मान्यवर, जैसा कि मैंने अपना पहला संशोधन पेश करते हुए कहा था कि सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है जिससे कि हम युवा शक्ति को आगे लाना चाहते हैं तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने यह संशोधन रखा है जिससे कि नौजवान प्रशासन के काम को संभाले । माननीय मंत्री जी दो बार नहीं कर चुके हैं, इस बार शायद वह इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

इसका मुझे भी खेद है कि मैं माननीय गुप्त जी के पहले संशोधनों को स्वीकार न कर सका । मेरा ऐसा निवेदन है कि शासन ऐसा अनुभव करता है कि न्यूनतम आयु घटाने के सम्बन्ध में थोड़े विचार की जरूरत है । इस वक्त मैं इसको मंजूर करने के लिए विवश हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आगे हम इसको नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है और ठीक लगता है । लेकिन मैं समझता हूं कि तत्काल इसको मानने में असमर्थ हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(--- की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह हैं कि खंड २० से २३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड २३-क

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २३-क बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"२३-क--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८-क या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त महापालिकाओं के, जिनकी शक्तियां कृत्य तथा कर्त्तव्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर प्रशासक में निहित हैं, पुनर्गठन के लिए निर्वाचन इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ३१ मार्च, १९७९ तक होंगे ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

इस संशोधन के जरिये से तारीख बतलाई जा रही है । इसलिये उम्मीद है कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लगे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मैं इसे स्वीकार करता हूं । साथ कुछ गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं । स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि ३१ मार्च को ही सब चुनाव हो जायेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिकांश चुनाव ४ फरवरी तक हो जायेंगे । अगर कोई अघटित घटना हो जाय और फिर तारीख हम बढ़ाते हैं तो आगे एक अध्यादेश फिर लाना पड़ेगा जो कि मिश्रा जी को बहुत अखरता है । इसलिए पहले से उसका प्राविजन कर लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खण्ड २३ के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड २३-क बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"२३-क--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८-क या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त महापालिकाओं के, जिनकी शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर प्रशासक में निहित हैं, पुनर्गठन के लिये निर्वाचन इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ३१ मार्च, १९७९ तक होंगे ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह हैं कि नया खंड २३-क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड २४, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

२४––(१) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २४, सन् १९७८

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित ऐसे मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१––(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) यह १२ अक्तूबर, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष ––

प्रश्न यह है कि खण्ड २४, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग मानें जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष ––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में शीतलहरी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना को कार्यसूची में न लाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । ८ दिसम्बर को मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसे माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था जो कि ठंड से प्रदेश में 25 लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में था । उसके सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री जी को निर्देश दिया था कि १३ दिसम्बर को वक्तव्य दें । मान्यवर, कार्यसूची मुझे मिली है उसमें कहीं भी उनके वक्तव्य की बात नहीं है और न मुझे कोई लिखित सूचना मिली है । इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष —

अभी मुझे सूचना मिली है कि माननीय अध्यक्ष ने उसको १५ दिसम्बर के लिए स्थगित कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८†

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है । श्रीमन्, आप देखिये यह संशोधन विधेयक, १९७८ जो है यह पहला नहीं है यह १९७८ का द्वितीय संशोधन है । यानी इस सरकार को दो बार अध्यादेश के रूप में इसे लाना पड़ा ।

(इस समय ४ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके उद्देश्य और कारण श्रीमन् जरा देखें यह इतना विवाद रहित नहीं है और इतना तात्कालिक नहीं है जिसे कि अध्यादेश के जरिये से इसे लाया जाता। इसके उद्देश्य और कारण को आप पढ़ें "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९७८ की धारा ९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंडों में यह उपबन्ध था कि क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी प्रमुख तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि पुनर्गठित क्षेत्र समिति द्वारा उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाय ।" अब क्या प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में नहीं बताया जा रहा है कि क्या उपबन्ध होंगे ?

उसके जो अधिष्ठाता थे, प्रमुख थे, उनको भी हटाया गया । लेकिन कानून बनने पर भी यह नहीं बताया जा रहा है कि उनका क्या होगा ? इसलिये आवश्यकता थी कि पूरा कानून सदन के सामने मूल रूप से आता, जिस पर चारो तरफ के मेम्बर्स विचार करते कि इसमें क्या क्या चीज जरूरी है । अभी लगता है कि नामिनेशन होगा, किन्तु वह कैसे होगा ? आवश्यकता थी कि यह अध्यादेश के जरिये

---

† दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं मूल नियम, अधिनियम के द्वारा यहां आता । इसमें तत्कालिकता क्या थी कि अक्तूबर में यह हो जाए तो हो जाए नहीं तो समय बीत रहा था, वह इस पर बताएं ?

"जिला परिषदों को पुनर्गठित करने की दृष्टि से वर्तमान जिला परिषद् को उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ द्वारा विघटित किया गया था । अब उनका एक साल का समय बढ़ाया गया है, ९ अगस्त, ७९ तक बढ़ाया जा रहा है ।" इस सरकार को पिछले सत्र में ८ सितम्बर, ७८ को जो उठा है, यह स्थिति मालूम थी, तो यह मूल विधेयक को क्यों नहीं लाये जो इस पर विचार हो जाता । हम उठ जाते हैं, यह हमें भगाने की चेष्टा में रहते हैं और एक गलत काम को अध्यादेश से रूप में यह ले आए कि "चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल ने (राज्यपाल ने नहीं इन्होंने) ६ अगस्त, १९७८ को उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ और २५ अक्तूबर, १९७८ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ प्रख्यापित किया था" अब यह बोनों को मिलाकर ले आए हैं । ६ अगस्त को इसका एक हिस्सा तैयार था, उसे यह पिछले सत्र में क्यों नहीं ले आए ? इसमे कुछ नियम हैं, कुछ मान्यतएं और मर्यादाएं हैं । एक सत्र में अध्यादेश की पुष्टि नहीं कराई और अब उसमें दूसरा हिस्सा जोड़कर इसे यहां ले आए हैं ।

दुर्भाग्य की बात यह है कि १९७८ का कैलेन्डर इयर बीत रहा है, नहीं तो यह तृतीय संशोधन भी ले आते । और अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है शायद १९७८ इसके फाइनेन्शियल यर के समाप्त होते-होते यह उसे ले भी आएं । जब किसी चीज को यह अपरिपक्व रूप से लाते हैं तो उसमें ऐसा करना ही पड़ता है । आप सब समझते हैं, आप समझें कि यह बात कितनी अनुचित है । आप इसकी दुहाई न दें कि अध्यादेशों के जरिए पहले भी होता था । अब तो ३०वां अध्यादेश इस सरकार ले बिल बनवाया है । २९-२९ अध्यादेश आपकी अध्यक्षता में नियम बन रहे हैं ।

अगर मैं आप को बताऊं, तो संसदीय अध्ययन समिति ने एक जगह सिफारिश की है कि माननीय अध्यक्ष को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना चाहिए और मंत्रि-मंडल से पूछना चाहिए और उसको रोकना चाहिए । अगर इस तरह से जल्दी-जल्दी अध्यादेश आते हैं, मूल अधिनियम नहीं होते हैं तो माननीय अध्यक्ष को अधिकार है, इसमें लिखा हुआ है, इसका प्रयोग होना चाहिए ।

इसी अधिकार से माननीय मावलंकर साहब ने, केन्द्र में, माननीय आयंगर साहब जो स्पीकार थे, उन्होंने जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा था । (व्यवधान) आप के पास किताब भेज रहा हूं । देख लीजिये । इसमें पत्र की कापी है । मेरे पास समय नहीं है । जवाहर लाल पहले राजी नहीं हुए लेकिन अन्त में राजी हुए, अपवाद के रूप में, इमर्जेन्सी में, अर्जेन्सी के रूप में अगर जरूरत हो तभी करेंगे । उसका नतीजा यह हुआ कि केन्द्र में १९६९-७० में ८५ विधेयकों में केवल १३ अध्यादेश आये बाकी ७२ मूल विधेयक थे । आज क्या हो रहा है ? तीस विधेयक पेश कर रहे हैं । आप उसके अध्यक्ष हैं । हम उसके सदस्य हैं । माननीय नेतागण बैठे हैं । तीस के तीस अध्यादेश विधेयक के रूप में आ रहे हैं । हमारी सभा का यह अधिकारों का हनन है ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

कार्यपालिका को अधिकार दिया जा रहा है जो अधिकार हमें प्राप्त है। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है यह सरकार जिसने बीड़ा उठा रखा है कि नहीं, हम विधेयक को प्रवर समिति में नहीं जाने देंगे, वह अध्यादेश की सरकार बन कर रहेगी, प्रवर समिति में नहीं जाने देंगे, पूरी तरह से विचार नहीं करने देंगे। अपवाद के रूप में हमने देखा, जब कि राजस्व मंत्री जी आये थे प्रस्ताव को ले कर तब तो प्रवर समिति की बात आयी। कोई अध्यादेश, बावजूद हम लोगों के निवेदनों के, जनता पार्टी के सदस्यों के निवेदनों के, प्रवर समिति में जाने नहीं पाता। ऐसा लगता है कि प्रवर समिति में जायगा तो पास नहीं होगा। पास तो होगा, जब बहुमत है। लेकिन साल भर में एक अधिनियम या नियम में एक संशोधन हो, हमें, आप को लज्जा आनी चाहिए, एक ही नियम, अधिनियम में दो-दो, तीन-तीन बार संशोधन कर रहे हैं। यह इस सरकार के लिए लज्जा की बात है। हमारे लिए भी लज्जा की बात है। हम भी माननीय सदस्य हैं। हम रोक नहीं पा रहे हैं। उनको तो लज्जा नहीं है, यह मैं मानता हूं। लज्जा को छोड़ कर आये हैं, तो हम क्या करें? आप की अध्यक्षता में ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना निवेदन के साथ कहूंगा कि सदन मेरे निरनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

ग्राम्य विकास उप मंत्री (श्री छोटे लाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री अध्यक्ष--

पहले निरनुमोदन के प्रस्ताव का आप जवाब देंगे। श्री श्यामधर मिश्र का तर्क यह है कि अध्यादेश केवल ऐसी स्थिति में जारी करना चाहिए जब कि अनिवार्य हो। इसको साधारणतया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह अननुमोदन का प्रस्ताव है। इसमें क्या कहना है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इससे तो आप भी सहमत होंगे। माननीय श्यामधर जी ने जो आपत्ति की है, वह ठीक है। इससे आप भी सहमत होंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

इनको जवाब देने के लिए बुलाया है, हम लोगों को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जो कार्य-सूची का कार्यक्रम है उसके अनुसार पांच बजे विद्युत मंत्री को समय देना है जिसमें माननीय सदस्यों को बड़ी भारी दिलचस्पी है। समय के अनुसार ही चलना होगा।

श्री छोटे लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र समितियों का कार्यकाल ५ साल है और २८ फरवरी, १९७८ को समाप्त होना था। इसलिए पहले यह प्राविधान था कि क्षेत्र समिति जब भंग हो जाती है तो प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख जब तक कोई दुबारा

क्षेत्र समिति चुनकर नहीं आ जाती है तब तक वह काम चलते रहेंगे । जब क्षेत्र समिति भंग हो जाती है और पंचायतों का पुनर्गठन करना था तो इसको देखते हुए जो कनिष्ठ प्रमुख और वरिष्ठ प्रमुख थे उनका भी कार्यकाल समाप्त करने का प्राविधान इस अध्यादेश से किया गया है । मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया प्रस्ताव भी रख दें ।

श्री छोटे लाल---

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, फरवरी, १९७८ में क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और उसके बाद समितियां भंग की गयीं । परन्तु प्रमुख कार्य करते रहे । हो सकता है कि शासन ने इसको भी ध्यान में रखा हो और उनको भी अध्यादेश के द्वारा कार्य से अलग कर दें । यह एक नयी चीज आ रही है । प्रमुख और क्षेत्र समितियों का कार्यकाल एक साथ रहे, इसका प्रयास शासन कर रहा है । शासन ने यह नहीं सोचा कि निरंकुशता की रस्सी जनता की गरदन में डालने जा रहा है । आप इस चीज को करने जा रहे हैं जहां पर क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि जहां पर क्षेत्र समितियां समाप्त हो गयी हैं और भंग हो गयी हैं वहां पर उनका पुनर्गठन किया जायेगा । इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है ।

जनता पार्टी की सरकार लोक तंत्र की मान्यताओं पर छुरी भोंक रही है । जिला मैजिस्ट्रेट को मनोनीत करने का अधिकार देकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है । समय बढ़ाने की बात तो आपने कांग्रेसी शासन से विरासत में पायी है और उसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं । जिला परिषद् के लिये आपने पहले समय लिया था १० अगस्त, १९७८ तक के लिये, अब आप खूबसूरती से उसे और बढ़ा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

वर्मा जी, कृपया संक्षेप में ही कहें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

ठीक है । आपने उनका कार्यकाल ९ अगस्त, १९७९ तक के लिये और बढ़ा लिया । आपको तो जन-भावना का सम्मान करना नहीं है । लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा आपको करना नहीं है, मगर दम उसी का सदा भरना है । आप अगर किसी चीज का दम भरते हैं तो आपको उसके अनुसार काम भी करना चाहिये । हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस वालों की तरह आपको भी यह दिन देखना पड़े । इसलिये इस पर गहरायी से विचार करने के लिये, ठोस सुझाव देने के लिये, यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । वहां पर विचार होने के उपरान्त एक स्वस्थ रूप में यह विधेयक हमारे सामने आ सके । माननीय मंत्री जी चूंकि समाजवादी विचारधारा के हैं, आशा है वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, साधारतया मैं विधेयकों पर समय लेना उचित नहीं समझता और इस समय जब कि ५ बजे रहे हैं । मैं केवल इस सरकार का ध्यान जनता पार्टी के उस मैनीफेस्टो की तरफ दिलाना चाहता हूं । माननीय सदस्य कृपया उसे पढ़ लें, जिसमें यह लिखा हुआ है कि सभी चुनाव होंगे । आज श्रीमन्, हो क्या रहा है, चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, हर जगह नामजदगी हो रही है । कोई संस्था ऐसी नहीं है जहां आपने चुनाव कराया हो....(व्यवधान) अंझा साहब, आपको तो मैंने मोसा में छोड़ा था, आपको गिरफ्तार ही नहीं होने दिया, आप क्यों नाराज हैं ? (व्यवधान)

मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि एक तरफ जनता पार्टी जिला मैजिस्ट्रेटों की शक्तियों को कम करने की बात करती है, दूसरी तरफ अधिकार बढ़ाती जा रही है । जब कभी पावर डेलीगेट होती है तो राज्य सरकार स्वयं लेती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह विकेन्द्रीकरण है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज तो डी० एम० जो चाहेगा वह करेगा । इसी में प्रमुख के कामों के बारे में विधेयक में ऊपर आपने लिखा है, यहां डी० एम० को यह अधिकार दे रहे हैं । कंट्राडिक्शन है कितना बड़ा, खण्ड ३ में लिखा है व्यक्ति नियुक्त हो, एक जगह व्यक्ति हो, क्षेत्र समिति का अधिकार तो व्यक्ति से होगा, लेकिन प्रमुख का अधिकार जो है, वह यह है कि वह ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जैसा उचित समझें, कितना कंट्राडिक्शन है यानि इस विधेयक में देखें आप, आप व्यवस्था दें, इसमें व्यवस्था यह दें, खन्ड २ का (ग) पढ़ें । (ग) खन्ड २ का इस प्रकार है :—

"और यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख दोनों के पद रिक्त हैं, वहां जिला मैजिस्ट्रेट, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचित होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जैसा वह उचित समझे ।"

अब श्रीमन्, अध्यक्ष तो व्यक्ति नहीं है, अब आगे चलें खण्ड ३ जहां क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, वहां उसके पुनर्गठन होने तक ऐसा व्यक्ति जिसे जिला मैजिस्ट्रेट इस निमित नियुक्त करें, क्षेत्र समिति, उसका प्रमुख और उसकी समितियों के समस्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगा और उसे समस्त प्रयोजनों के लिए ऐसी क्षेत्र समिति, प्रमुख या समिति समझा जायेगा। यहां व्यक्ति माने अधिकार भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम पदेन हो सकता है, व्यक्ति नहीं हो सकता श्रीमन्, यह बिलकुल असंवैधानिक है, परस्पर विरोधी है, कंट्राडिक्टरी है, जब तक इसको रिजाल्व नहीं किया जा सकता है, मैं समझता हूं आप इस पर व्यवस्था खण्ड २ के उप खण्ड (ग), खण्ड ३, के इसमें जो विरोधाभास है, तब तक कैसे इस विधेयक पर विचार हो सकता है ?

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये मैं कहना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल जो हमारे पुराने मित्र हैं उन्होंने ऐसी गलत बयानी की है कि मैं समझता हूं कि उनका ईमान इतना गिर जायगा ? मैं इस्तीफा दे रहा हूं, वह भी इस्तीफा दें। ८ अगस्त, १९७५ को मीसा लगा। मेरा सामान कुर्क हुआ और वह सामान मुझे मिला नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दें। वह इस्तीफा दें मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य गोरखपुर से कहूंगा कि यह उत्तेजित होने का विषय नहीं है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

यह राजनीतिक चरित्र हत्या है जिसको उन्होंने संजय गांधी की चप्पलें उठाकर की है। अगर उनका नैतिक और राजनीतिक चरित्र है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। ८ अगस्त को मेरे ऊपर मीसा लगा। इमरजेन्सी में इनकी निकम्मी पुलिस और प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर सका। मेरी चुनौती को देखते हुये, अगर क्षण मात्र भी इनमें राजनीतिक चरित्र है, तो इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष—

आपका स्पष्टीकरण हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने जो कहा है वह बिलकुल ठीक है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस्तीफा देना चाहिये। अगर इसको कार्यवाही से नहीं निकाला जायगा तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे राजनीतिक जीवन पर घोर आघात है।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपना स्पष्टीकरण दिया जो कार्यवाही का भाग है। अब कोई अदालत बनाकर यहां निर्णय नहीं होगा। उन्होंने एक बात कही, आपने स्पष्टीकरण दे दिया। वह समाप्त हो गया।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

शासन का जो निर्णय है वह निर्णय मेरे खयाल से मंत्री जी को मिला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला जनता पार्टी को पार्लियामेंटरी पार्टी में आया है। उसमें मंत्री जी उपस्थित थे। उसमें यह हुआ था, लोगों का आब्जेक्शन है कि जिलाधीश को प्रमुख के नाम निर्देशित करने का अधिकार दिया जा रहा है। यह भी तय हुआ था कि हम लोग किसी जिलाधीश के द्वारा किसी पब्लिक मैन की नियुक्ति नहीं चाहते हैं। यदि शासन को आवश्यकता है तो कुछ दिनों के लिए वह किसी को नामजद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपके पार्लियामेन्टरी दल में क्या हुआ इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। आपके दल में यह आश्वासन दिया तो आप दल में जाकर जवाब तलब करें। यहां पर यह है कि जो आपत्ति इस विधेयक पर है, उस पर कहें। एक तो आपत्ति वैधानिक पर नेता विरोधी दल ने किया। उन्होंने हमारा ध्यान खण्ड २ (ग) की ओर आकर्षित किया। यदि दोनों पद रिक्त हैं तो वहां जिला मैजिस्ट्रेट प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश तत्काल कर सकता है जैसा वह उचित समझे : पहला यदि प्रमुख का स्थान रिक्त हो, दूसरे में अगर क्षेत्रीय समितियों का कार्यकाल समाप्त हो, दोनों चीजें पृथक-पृथक हैं। दूसरे में लिखा है जहां क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो उसका पुनर्गठन होने तक ऐसे व्यक्ति जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे क्षेत्रीय समिति के प्रमुख की समस्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्य का पालन करे। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता है। पहले क्लाज २ (ग) यह है कि यदि प्रमुख न हो तो उप प्रमुख रहे या कनिष्ठ उप प्रमुख रहे और दोनों में से कोई न हो तो जिला मैजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे किसी को नियुक्त कर दे। दूसरी बात यदि क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो जो भी प्रमुख के कार्य हैं, क्षेत्रीय समिति का दायित्व है जब तक उत्तराधिकारी समिति का पुनर्गठन न हो जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वह व्यवस्था कर दे। इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

मैं इस विषय पर ग्राम्य विकास मंत्री जी का ध्यान इसलिए ले जाना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार गांव की तरफ जाने के लिए बार-बार कहती चली आ रही है और आज भी कह रही है। मुझको लगता है कि कहते-कहते पता नहीं कहां से कहां यह चले जायेंगे। श्री ओझा जी श्री तिवारी जी के कुछ कहने पर उत्तेजित हो रहे थे, तो मालूम पड़ता है कि सत्ता में रहने पर पता नहीं लोगों की दशा क्या हो जाती है, उनकी कथनी और करनी में कई कोसों का अन्तर पड़ जाता है। अभी एक जिलाधीश को पावर होगा कि वह क्षेत्रीय समिति के उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार को वह लागू करेगा । मुझको कहना यह है कि जो संशोधन इस विधेयक द्वारा ला रहे हैं उसमें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की भावना है कि जिलाधीश के माध्यम से वह व्यक्ति मनोनीत करने की बात वापस ले लें और गांव के लोगों को जो अधिकार देने की बात है उसे ध्यान में रखें । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री छोटे लाल--

नेता विरोधी दल ने चुनाव से कतराने की बात कही तो अभी फतेहपुर में आमना-सामना हुआ था और मई के महीने में हमारा उनका मुकाबला गांव पंचायतों के चुनाव में फिर होगा । कार्यकाल जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों का खत्म हो गया । इसलिए जब तक चुनाव नहीं होते नई व्यवस्था को चलाने हेतु जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह मनोनयन कर दे । वह कोई अधिकारी ही होगा. जनता के बीच का कोई आदमी नहीं होगा । इसलिए जनतंत्र का गला घोटने का इसमें कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या यह काला कानून मंत्री महोदय वापस ले रहे हैं ?

श्री छोटे लाल--

यह कोई काला कानून नहीं है । इसलिए वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं इसके विरोध में ५ मिनट के लिए वाक आउट करता हूं ।

(देव बहादुर सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री ऊदल--

गांव पंचायतों का चुनाव फिर ८ महीने के लिए टाला जा रहा है और जिलाधीश को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं । इस तरह से जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है । अध्यादेश पर ही सारा काम चलाया जा रहा है और नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं । इसलिए ५ मिनट के लिए मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री ऊदल अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हर जगह नामजदगी की व्यवस्था है । चुनाव की कोई बात नहीं है । इस अध्यादेश के विरोध में ५ मिनट के लिए वाक आउट करता हूं ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३, ४ तथा ५

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का संशोधन

उ०प्र० अधि-नियम संख्या ३३ सन् १९६१ की धारा ६ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ६ में—

(क) उपधारा (१) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिये जायेंगे और दिनांक १५ जुलाई, १९७८ से निकाले गये समझे जायग ;

(ख) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक २५ अक्तूबर, १९७८ से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्—

"(२) जहां प्रमुख का पद रिक्त हो—

(क) वहां ज्येष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) और यदि ज्येष्ठ उप प्रमुख का पद भी रिक्त हो, वहां प्रमुख या ज्येष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक कनिष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) और यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख दोनों के पद भी रिक्त हों, वहां जिला मैजिस्ट्रेट, प्रमख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जैसा वह उचित समझे ।"

धारा १० का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक २५ अक्तूबर, १९७८ से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्--

"(३) जहां क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, वहां उसका पुनर्गठन होने तक ऐसा व्यक्ति, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे, क्षेत्र समिति, उसके प्रमुख और उसकी समितियों की समस्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करेगा और उसे समस्त प्रयोजनों के लिए ऐसी क्षेत्र समिति, प्रमुख या समिति समझा जायगा ।"

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ का संशोधन

अध्याय--तीन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५ सन् १९७७ की धारा २ का संशोधन

४--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ की धारा २ में, उपधारा (१) में, शब्द "एक वर्ष की अवधि" के स्थान पर शब्द तथा अंक "६ अगस्त, १९७९" रख दिये जायेंगे, और १ अगस्त, १९७८ से रखे गए समझे जायेंगे ।

अध्याय--चार

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २१, सन् १९७८ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २५, सन् १९७८ का निरसन और अपवाद

(१) उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४ तथा ५ इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम १— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री छोटे लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) वधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य—मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह ५ ही मिनट में आ गये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आप चाहेंगे कि सदन अकेले ही चलायें ।

श्री अध्यक्ष--

इससे पहले कि विद्युत मंत्री जी का वक्तव्य हो मैं आज की कार्य-मंत्रणा समिति के निश्चय को आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :--

दिसम्बर, १९७८

१४ गुरुवार : अलीगढ़ की घटनाओं के परिपेक्ष्य में साम्प्रदायिक दंगों को रोकन हेतु चर्चा ।

१५ शुक्रवार : असरकारी दिवस ।

१६ शनिवार से २५ सोमवार तक--बैठक नहीं होगी ।

२६ मंगलवार : (१) १९७८-७९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(२) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण । (एक घंटा) ।

२७ बुधवार : उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण ।

२८ गुरुवार : निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा :--

(क) श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री रियासत हुसैन--"यह सदन प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था की निरंतर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकट करता है ।" (दो घंटे)

(ख) सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, सत्यप्रकाश मालवीय, श्री कृष्णा राय, राम अधार राय, राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा गनेशी लाल चौधरी ।

प्रस्ताव

"यह सदन सिफारिश करता है कि भारत सरकार शाह जांच आयोग के रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करे।"

(दो घंटे)

२९ शुक्रवार : असरकारी दिवस ।

३० शनिवार : निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा :--

(क) श्री कल्पनाथ सिंह, श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह । "प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का न्यूनतम विद्युत शुल्क १२ रु० प्रति हार्सपावर प्रतिमाह से अधिक न रखा जाय ।"

[श्री अध्यक्ष]--

(ख) श्री श्यामधर मिश्र "वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील को एक अलग जिला बनाया जाय।"

(ग) श्री श्यामधर मिश्र "मिर्जापुर के रावर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनाया जाय।"

(२) अन्य विधायी कार्य।

श्री नारायण दत्त तीवारी (जिला नैनीताल)--

जो इसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति प्रस्ताव है वह निकाल दिया जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमारा कोई सदस्य नहीं था। जब तक इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में विचार न हो, इसको न लिया जाय। न इसके सम्बन्ध में हमें कोई मालूम है न हमसे कोई चर्चा हुई। इसका यहां से कोई सम्बन्ध नहीं है। शाह कमीशन से इन्दिरा गांधी सेशोर केन्द्र से या कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नियम १०३ में यह प्रस्ताव है, वह ग्राह्य हुआ और कार्य-मंत्रणा समिति ने आज सर्वसम्मति से इसके लिए समय निश्चित किया।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

उसके सदस्य तो माननीय नेता विरोधी दल भी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह आता है तो राज्य सभा के मुताबिक श्री कान्ति देसाई के खिलाफ जो है, वह भी इसमें जोड़ा जाए।

एक सदस्य--

ऐसी बातें यह हाउस में ला रहे हैं, यह लानी नहीं चाहिए, इनको लज्जा आनी चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह प्रस्ताव आता है तो वह भी आएगा, नहीं तो इसको आप स्थगित रखें।

श्री अध्यक्ष--

जिस दिन यह प्रस्ताव आया था....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उस दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

मुझे बड़ा दुख है कि आप नेता विरोधी दल होकर इस तरह की आपत्ति करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप जब स्पीकर होकर ऐसा करते हैं तो. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई, इसलिए हुई. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह प्रस्ताव कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसको हमने मंजूर किया, उसकी ग्रह्यता को देखकर ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपको मंजूर करने का हक नहीं है ।

डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

ऐसा होगा तो कान्ति देसाई के बारे में भी आएगा, यह पक्षपात कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव रख सकते हैं । इसमें संशोधन का अपना एक तरीका है । मुझे आश्चर्य है कि इतने दिन सदन के सदस्य रहने के बावजूद आप इस चीज को नहीं समझ सके । आप कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में यह संशोधन ला सकते हैं कि यहां यह प्रस्ताव जो दिया है, उसे पुनः कार्य-मंत्रणा समिति में विचार के लिए भेजा जाए । मैं उसे वोट के लिए रख दूंगा । जब आएगा तो आप उसमें संशोधन रखिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ठीक है, इतने प्रस्ताव को कार्य-मंत्रणा समिति के पुनः विचारार्थ रख दिया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

यदि नेता विरोधी दल उस समिति के सदस्य हैं तो. . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य--

नहीं हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने ३० दिसम्बर दिन शनिवार को भी कार्यक्रम में ले लिया है । मेरा निवेदन है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि शनिवार को भी आपने ले लिया । शनिवार के ही एक दिन छुट्टी होने के कारण विधायक कहीं आने जाने का अपना काम कर पाते हैं । उसे भी आप लेना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

शनिवार का प्रस्ताव नेता विरोधी दल के लोग ने रखा था, जिसका.....

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--

अच्छा आप बैठ जाइये, खाद्य मंत्री नहीं हैं ? (खाद्य मंत्री के सदन में न होने पर) अच्छा श्री श्यामधर जी, आप इसके प्रस्ताव को रख दीजिए ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं क्यों रखूं ? १०३ के बारे में जो कहा है, उसको शनिवार को ले लिया जाय.... ।

यह तो हम लोग राजी हुए थे । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अगर आप चाहें तो मुझे आप रोकें नहीं, क्योंकि हम लोगों ने राय दी थी कि लिया जाय या न लिया जाय । कंग्रेस (आई) के श्री अरुण कुमार जी भी उपस्थित हो गये थे । वहां बहुमत की राय से हुआ, २८ या २९ तारीख को यह लिया जाय । ३० तारीख को यह विषय नहीं रखा गया है । अगर यह भ्रम है, जैसा कि श्री ऊदल जी कह रहे हैं, ३० को यह नहीं है । १०३ का संकल्प, हमारा विषय और दूसरे विषय जो सिल ओवर हो रहे हैं, उनको ३० तारीख को लिया जाय । हो सकता है कि अगले सत्र फरवरी या मार्च या पता नहीं कब होगा ।

श्री अध्यक्ष--

अभी इसको स्थगित कर रहा हूं । जब संसदीय कार्य मंत्री आयेंगे तब लिया जायगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

हमें आज भी ऐतराज नहीं है ।

<u>विद्युत् कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के सम्बन्ध मे वक्तव्य</u>

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मान्यवर, ७ दिसम्बर, १९७८ को रात्रि की पाली से राज्य विद्युत् परिषद् के लगभग ८५ प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर चले गये थे, उनकी मुख्य चार मांगें थीं :--

(१) १ अप्रैल, १९७४ से वेतन का पुनरीक्षण,

(२) आर० जी० सी० का मामला (यह मामला ट्रिब्युनल में है),

(३) एक्स लाइसेन्सीज का फिटमेंट, और

(४) विसंगतियां ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक इनकी मुख्य मांग, वेतन का पुनरीक्षण का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि अप्रैल, १९७७ में वेतन समिति का गठन हुआ था। जनता सरकार के आने के बाद इस समिति की अवधि बढ़ाई गई। नवम्बर, १९७७ में माननीय मुख्य मंत्री जी की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था जिससे इनका न्यूनतम वेतन, मंहगाई भत्ते, अन्तरिम सहायता को लेकर १ जुलाई, १९७७ से रु० ३२५ रखा गया एवं रु० ३५ अन्तरिम सहायता दी गई धनराशि की रकम १ अप्रैल, १९७७ से दी गई। पहले मंहगाई भत्ता ०.७५ पैसा प्रति प्वाइंट मिलता था उसे ३१ मार्च, १९७४ के २५८ के ऊपर १.०० प्रति प्वाइट किया गया और ३१० प्वाइंट से ऊपर १.३० प्रति प्वाइंट स्वीकृत किया गया और अब तक लगभग ७ करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि दी जा चुकी है।

इस समय विद्युत् बोर्ड में श्रमिक का न्यूतम वेतन मय मंहगाई भत्ते के साथ ३४५ प्रतिमाह है जबकि जनता सरकार बनने के पहले केवल २६७ रु० था।

वेतन समिति की कई बैठकें हुईं--परिषद् की ओर से कुछ प्रस्ताव आये। श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी अपने प्रस्ताव दिये, परन्तु आपस में कोई सहमति न हो सकी। श्रमिक प्रतिनिधियों ने १५ अगस्त, १९७८ से त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात् मंत्री स्तर पर एवं बाद में मंत्रि परिषद् की उप समिति के स्तर पर कई मीटिंग श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ हुईं परन्तु कोई समझौता न हो सका। चूंकि वेतन समिति को अपना मत ३१ अक्तूबर, १९७८ तक दे देना था, अतः परिषद् ने मजबूर होकर २८ अक्तूबर, १९७८ को वेतन पुनरीक्षण का १ अप्रैल, १९७४ से एक तरफा आदेश जारी कर दिया।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि श्रमिक प्रतिनिधियों ने बार-बार अनुरोध करने पर भी २० अक्तूबर, १९७८ को प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल करवाई जबकि मंत्रि परिषद् की उप समिति से वार्ता चल रही थी। वेतन पुनरीक्षण आदेश पारित हो जाने के बाद श्रमिक प्रतिनिधियों ने अपनी ८/९ नवम्बर १९७८ की प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली और यह निर्णय लिये कि वे इन प्रश्नों को लेकर ७/८ सितम्बर, १९७८ से हड़ताल करेंगे।

मंत्रि परिषद् के ६ सदस्यों की उप समिति के साथ उनकी कई बैठकें हुईं परन्तु न्यूनतम वेतन २२८ रु० के स्थान पर ३२५ रु० देना मंत्रि परिषद् की उप समिति को वित्तीय सीमा तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन ढाचे को देखते हुए स्वीकार नहीं हो सकता तथा १२ स्केल की जगह ६/८ स्केल देना सम्भव नहीं था क्योंकि इससे वित्तीय भार बढ़ रहा था, स्वीकार न हो सका। यदि इनका यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो बकाये के रूप में लगभग १०० करोड़ रु० से ऊपर बकाया देय होगा एवं लगभग ४० करोड़ रु० प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ जाता।

माननीय मुख्य मंत्री जी से हड़ताली नेताओं ने भेंट कर बाद को २८० रु० प्रतिमाह १ अप्रैल, १९७४ से मांग किया जिसे परिषद् के लिये सम्भव नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उप समिति के अन्तरिम भुगतान अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७७ तक बीच का प्रस्ताव किया परन्तु श्रमिक प्रतिनिधि उसे नहीं माने। ७ दिसम्बर, १९७८ को रात्रि से वे हड़ताल पर चले गये। पुनः ८ और ११ दिसम्बर, १९७८ को माननीय मुख्य मंत्री जी से कर्मचारी नेताओं ने वार्ता की परन्तु वे अपनी मांग पर (२८० रुपया न्यूनतम पर) अड़े रहे। यदि उनकी मांग मान ली जाय तो लगभग ९० करोड़ रुपया १ अप्रैल, १९७४ से अब तक बकाये के रूप में एवं लगभग २३ करोड़ रुपये से भी अधिक बोझ परिषद् पर पड़ेगा।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

मंत्रि परिषद् की उप समिति ने यह निर्णय लिया था कि यदि वे हड़ताल वापस ले ल तो मांग संख्या (३) और (४) के लिये अलग-अलग कमेटी का निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है माननीय मुख्य मन्त्री जो न न्यूनतम वेतन को २२८ रुपया के स्थान पर २४० रुपया मानकर अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७७ तक देना स्वीकार कर लिया था वरन्तु श्रमिक नेता अपनी जिद पर अड़े रहे।

परिषद् की अपनी वितीय सीमायें हैं और परिषद् इस स्थिति में नहीं है कि श्रमिक नेता जिस मांग पर अड़े हुये हैं वे मांगें पूरी कर सकें। जो भी परिषद् के आदेश अब तक जारी किये गये हैं उससे परिषद् को लगभग १४ १/२ करोड़ रुपये एरियर के रूप में देना होगा एवं ४·१० करोड़ आवर्तक व्यय होगा।

अब मैं आप का ध्यान हड़ताल की ओर लाना चाहता हुं। हड़ताल से निपटने के लिए शासन पूरी तरह मुस्तैद था, परिषद् के इन्जीनियरों ने जी-जान से मेहनत कर प्रदेश में उत्पादन बनाये हुये हैं तथा समाज के अन्य वर्गों का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मिलिटरी के टेक्नीशियन की भी हमें सहायता मिली है जो कि अपना कार्य बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति और उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इन्जीनियरों का कार्य प्रशंसनीय एवं अन्य सेवाओं के लिए अनुकरणीय है। जिला प्रशासन की मुस्तैदी तथा जन-सहयोग के कारण विद्युत गृहों, टावर्स और लाइनों की व्यापक सुरक्षा हो सकी है। इसके परिणामस्वरूप हड़ताल के ७वें दिन भी बिजली आपूर्ति सामान्य है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेने की सूचना दे चुके हैं। जूनियर इन्जीनियर्स संगठन एवं हाइड्रो इम्पलाईज यूनियन के एक वर्ग ने हड़ताल वापस ले लिया है जिसके फलस्वरूप भारी पैमाने पर कर्मचारी कार्य पर वापस आ रहे हैं और किसानों तथा उद्योगों एवं सामान्य नागरिकों को घरेलू उपयोग के लिए बिजली मिल रही है।

बिजली की आपूर्ति व्यवस्था बने रहने के कारण विद्युत परिषद् के कुछ हड़ताली कर्मचारी अवांछित ढंग से अब तोड़-फोड़ की कार्यवाही की ओर संलग्न होते पाये जा रहे हैं। इधर तोड़-फोड़ की छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। इन सब के होते हुए भी भरसक जल्दी से जल्दी लाइनों की मरम्मत की जा रही है और बिजली की आपूर्ति सामान्य है। इन छुट-फुट घटनाओं से उनकी यह धारणा है कि प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था ठप करके सरकार से अपनी मांग जबरन मनवा लेंगे। मुजफ्फरनगर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद आदि अनेक स्थानों पर शरारत-पूर्ण घटनाओं और तोड़-फोड़ की कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई है जिसे या तो ठीक कर दिया गया है या ठीक करने का प्रयास चल रहा है। इलेक्ट्रिकल कन्ट्रैक्टर एसोशियेशन के ५०० से अधिक व्यक्तियों ने अपनी सेवा परिषद् कोर्ट को शिकायतों को ठीक करने के लिए आपत्ति की है।

सरकार ने हड़तालियों से अपील की है कि वे अपना आन्दोलन वापस कर लें और सरकार से वार्ता करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य विद्युत कर्मचारियों को प्रदेश के बाढ़ के विनाशलीला से तबाह किसानों की रबी की फसल में सिचाई देने, गन्ने की सामयिक पेराई करने तथा औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखकर श्रमिकों को शान्ति बनाये रखने एवं जन-जीवन से अनिश्चितता की स्थिति समाप्त करने के लिए हड़तालियों को तत्काल काम पर वापस आने के लिए प्रेरित करेंगे।

मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को तथा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विगत ७ दिनों की तरह हड़ताल चलते रहने पर भी आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने में सरकार कोई प्रयास बाकी उठा नहीं रखेगी और बिजली मिलती रहेगी। मैं प्रदेश की जनता को उनकी लाइनों की रक्षा के प्रति जागरूकता के लिए बधाई देता हूं तथा पूर्ण सहयोग की कामना करता हूं।

मुझे विश्वास है कि कर्मचारी प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे।

प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक लगभग २० गिरफ्तारियां हो चुकी हैं १५-४-१९७८ के बाद की नियुक्तियों वाले व्यक्तियों (यदि वे कार्य पर नहीं आते हैं) तो उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। यदि हड़ताल अब भी नहीं वापस हुई तो सरकार जन-जीवन को सामान्य बनाने के लिये और कड़ा कदम उठा सकती है और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां हरगिज बरदाश्त नहीं की जाएगी।

माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का दरवाजा वार्ता के लिए सदैव खुला है परन्तु हम अपने वित्तीय साधनों की सीमा के अन्तर्गत ही कुछ कर सकते हैं।

हमें आशा है कि हमारे कर्मचारी काम पर शीघ्र आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

हरी सिंह जी, कृपया लाबी में बातचीत कीजिए।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

एक सूचना अभी-अभी जो और आयी है वह मैं और देना चाहता हूं। प्राप्त सूचना के अनुसार रुड़की में शतप्रतिशत, कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया है, मुरादनगर में भी सभी कर्मचारी काम पर आ गये हैं। रिहन्द में भी सभी कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया है। हरदुआगंज में भी सभी ने ज्वाइन कर लिया है। कर्मचारी बड़ी तेजी से काम पर लौट रहे हैं।

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, थर्मल का उत्पादन ६३८ मे० वाट है। हाइड्रो का ५३० मे० वाट है। बाहर से ४० मे० वाट, बिहार से २० मे० वाट, राजस्थान से ३० मे० वाट, हिमाचल प्रदेश से बिजली ले रहे हैं। इस तरह से कुल १२१८ मे० वाट बिजली है। पीक आवर्स में भी रिहन्द से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान १४१० मे० वाट का मैक्सीमम लोड परिषद् ने संभाल लिया है। वैसे भी कुल १३०० मे० वाट का हमारा प्रोडक्शन था। सभी मशीनें चालू रखने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, पर स्थिति पर पूरी तरह से काबू है। अभी इस हड़ताल के कारण कोई विशेष कटौती करने का प्रकरण उपस्थित नहीं हो रहा है। मुझे फिर विश्वास है, मैं दोहराना चाहता हूं। कहीं कोई राजनैतिक दिशा कभी रही होगी, लेकिन आज प्रदेश की जनता जो बाढ़ से प्रभावित है, उसे पानी चाहिए, उसके लिए वह पूरी ताकत के साथ यह सदन हड़ताल वापस करा ले।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न विशेष महत्व का है, अगर इस पर कोई स्पष्टीकरण मांगे, तो आप संक्षेप में दे दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

केन्द्र के जो नेता हैं श्री वर्धराजन वह भी इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं । क्या केन्द्र ने कोई सुझाव दिया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मेरी परसों केन्द्रीय मन्त्री जो से बातचीत हुई थी, इस सम्बन्ध में कोई समझौता वार्ता का कोई संकेत नहीं दिया है । आज कुछ सी० पी० आई० के नेता आये हुए हैं, अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष---

श्रमिक नेता श्री वर्धराजन ने कुछ कहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

दूसरे राज्यों से बातचीत करने के लिए श्रमिक नेता श्री वर्धराजन आये हुए हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मेरा कोई सम्पर्क अभी नहीं हुआ है । अगर कोई आये होंगे, तो भेंट करेंगे, वार्ता करेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

माननीय मन्त्री जी ने जो बयान में यह कहा है कि मैं न्यूनतम वेतन महंगाई के सम्बन्ध में, वेतन समिति का जो गठन हुआ था, वेतन समिति से जो आपने यह कह दिया कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस्तीफा दे दिए, ८ महीने तक कोई मीटिंग नहीं हुई, इसलिए वह परेशान होकर इस्तीफा दे दिए । इसको स्पष्ट कर दें ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । वेतन समिति समय-समय पर बैठती रही । अन्य प्रदेशों में क्या वेतनमान है, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उसका अध्ययन करते रहे । इस जोन में, जिसको नार्दन जोन कहते हैं, क्या वेतनमान है, हरियाणा जैसा सम्पन्न प्रदेश है, वहां भी अभी वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुआ है । १-४-७९ को अगर पुनः उनको पांचवां वर्ष पूरा हो जायेगा और उस आधार पर फिर वह अपना करोड़ों रुपयों की मांग रखते हैं, तो विचार होगा । यह कहना गलत है कि बैठकें नहीं हुईं । बैठकें हुईं । उनका कहना था कि अगर नहीं मानेंगे तो हम घेराव करेंगे । इस प्रसंग में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)---

कुछ इस तरह का संकेत मिला है कि यह सप्लाई काट दी जायेगी ? दूसरा जब बिजली का उत्पादन कम नहीं हुआ है । उत्पादन कुछ वृद्धि पर है, तो क्या

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक बाहर से बिजली के आयात का प्रश्न है, वह तो ठीक है कि प्रदेश को अपनी-अपनी सीमा में अपनी आवश्यकता को स्पोट करना चाहिए या अपने यहां कुछ रोस्टिंग करना चाहिए। दूसरे प्रदेश को बिजली दे दिया है, लेकिन जो नार्मल इथिक्स हैं, उसके अनुसार बिजली दी जाती है। इस तरह का कोई आतंक नहीं है कि बाहर से बिजली नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष--

इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिजली कटने की सम्भावना है, दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रामों में क्या आपने बिजली की कटौती की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने केवल यह कहा कि बिजली का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बिजली को कोई वापस लेने की मांग कर रहा है। जहां तक किसानों का प्रश्न है मैं इतना निवेदन कर दूं कि किसानों को जो बिजली पहुंच रही है, वह ३३ के० वी० और ११ के० वी० की लाइनों के माध्यम से जाती है, वहां छुटफुट फाल्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी सप्लाई कम हो गई है। यह जरूर है कि पहले २ घंटे में मरम्मत हो सकती थी, अब ४ घंटे लग सकते हैं। योजना तो यह थी कि इस प्रदेश को अंधकार में ढकेल दिया जाय, पलश लेटरिस न चले। प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग यह करते हैं और लाइनों को तोड़कर रैंसम करना चाहते हैं। इनके साथ सख्ती की जायगी।

श्री ऊदल--

मेरे यहां पंपिंग सेट में बिजली नहीं है, पूरे बनारस में पंपिंग सेट नहीं चल रहे हैं शाही जी असत्य सूचना दे रहे हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय मन्त्री जी ने अपने प्रयासों का जिक्र किया। वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपको जानकारी में है कि इटावा जनपद में पूरी बिजली की लाइन कटी पड़ी है और स्टेट ट्यूबवेल तथा प्राइवेट ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। कृपया मेरी जानकारी को सही मान कर कोई उपाय करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय गौरी शंकर ने अपने जिले के विषय में कहा है। मैं इस सदन में साफ कर देना चाहता हूं कि यह बिजली जो कटी है, ऐसा संकेत मिला है कि हड़ताल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। बकाया के कारण ट्यूबवेल की बिजली कट गई। मैं दिखवा लूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मेरा कहना है कि पूरी बिजली की लाइन कटी है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैं जांच करा के समाधान करूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, उनके वक्तव्य से लगता है कि उत्पादन बढ़ा है। तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा ऊदल जी ने कहा है, क्या वह सही है कि नहीं ? जो यह बिजली पैदा कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज डाउन है। इसलिए पंखा चल जाय, लेकिन पावर नहीं चलता है, जिससे ट्यूबवेल नहीं चलेंगे। मान्यवर, ज्ञानपुर तहसील में कोई पंपिंग सेट नहीं चल रहा है। गोपीगंज एरिया में ८ दिन से पानी नहीं है। इसलिए इसमें बताये।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मिश्र जी ने सूचना दिया है, उस आधार पर मैं भी यह उनको बताना चाहता हूं कि मैं १० तारीख को उस क्षेत्र में गया था, रिहन्द गया था तो वाराणसी भी गया था। वहां मुझे जानकारी यह मिली कि ज्ञानपुर में एक तार को हमारी हड़ताली भाइयों ने लाइन पर फेंक दिया, जिससे तार गिर गया और ट्रान्सफारमर खराब हो गया। इस प्रकार की जो घटनायें घटती हैं, उनको मैंने जांच के लिए वहां कह दिया है। सुल्तानपुर में टावर खोलते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। आगरा में गांव वालों ने एक आदमी को पकड़ा, जो तार काट रहा था। कल रात ७ बजे नैनी में एक टावर को खोल दिया गया, लेकिन खोलते समय उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इसलिए ऐसे व्यवधान जब हो जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संकट के समय जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ८५ प्रतिशत लोग पहले हड़ताल पर गये थे, लेकिन उस पर भी सरकार जन-जीवन को सामान्य बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहता हूं कि जब आम किसानों की समस्या है तो यह कहां का नियम है कि बिजली मिलती नहीं और महीने भर का बिल बनता है, किन्तु बिजली न होने से पानी भी उनको नहीं मिलता है। यह परिपाटी हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने डाली है, जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। विद्युत मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने विभाग में देखें कि जो फर्जी बिल जाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इस विभाग में बहुत ही जुल्म हो रहे हैं। इसलिए या तो इस विभाग को सुधारें वरना इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, विद्युत मन्त्री ने बड़ी सफाई के साथ अपनी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि बिजली बराबर आ रही है। इसी लखनऊ में मलिहाबाद में और सारे जिले में सारे पंपिंग सेट और सारी चक्कियां बन्द पड़ी हैं। जितनी आप कहते हैं कि बिजली आती है, उतनी हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं आयी है। हमने इसको आपको सूचना दे दी है। श्री रवीन्द्र किशोर शाही जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। जवाब नहीं है। अपनी बात उन्होंने बतला दी।

श्री मान सिंह आजाद--

इनको लज्जा नहीं आती झूठ बोलते हुए।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि यहां की हड़ताल का असर दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ रहा है और दूसरे प्रदेशों के विद्युत् कर्मचारी भी हड़ताल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना केन्द्र से प्रदेश की सरकार को मिली है और क्या यह सही है कि बदले की भावना से बिना तोड़-फोड़ किए हुए भी उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कोई भी कर्मचारी बिना कसूर उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो बतलाये गये उनमें से भी कुछ छोड़ दिए गए, लेकिन वह बात साफ है कि जो लोग तोड़-फोड़ करते हुए पकड़े जायेंगे या साजिश करेंगे, उनसे सख्ती के साथ हल पेश आयेंगे। जहां तक अन्य प्रदेशों में हड़ताल की बात है, उसकी हमको कोई सूचना नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि विद्युत् उद्योग बेसिक इंडस्ट्री में आता है और जितनी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके मजदूरों को ४०० रु० से कम वेतन नहीं मिलता है, जबकि विद्युत् उद्योग के इस प्रदेश के कर्मचारियों को २८० रु० ही वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां तो ऐसा क्यों है जबकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों के विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को ४०० रु० से कम वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैं निवेदन कर दूं कि वित्तीय सीमा अपनी एक सीमा है, जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कमजोर वर्ग को उठाने, समुन्नत समाज बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। जहां तक और स्टेट्स का सम्बन्ध है हर स्टेट का अलग-अलग मामला है। केरल के अन्दर क्योंकि १०० प्रतिशत हाइड्रो जनरेशन है, बिजली के उत्पादन में ५ पैसे का खर्च पड़ता है। हमारे यहां ६८ परसेन्ट थरमल जनरेशन है, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। फिर टैरिफ का प्रश्न अगर लिया जाय महाराष्ट्र के अन्दर अगर टैरिफ बढ़ा दी जाय तो कोई चिन्ता नहीं करता, लेकिन यहां चार साल पहले किसान को १५ रु० देना होता था, उसको बढ़ाने की चर्चा हुई, तो सदन साक्षी है कि उस पर सदन राजी नहीं हुआ। फिर हमारी सीमा है। १५ महीने पहले जो कर्मचारी २६७ रु० ही पाता था, आज वह ३४५ रुपया पा रहा है। अब ३४५ रुपया पा रहे हैं, इतनी बढ़ोत्री उनको दी है। एक लाख कर्मचारी हैं, जब १० रु० बढ़ता है तो एक करोड़ रु० से ज्यादा खर्च आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के संस्थानों को ध्यान में रखा जाय। ३२५ रु० हमने फिक्स कर दिया है और जैसे-जैसे महंगाई होती है, वह ३२५ रु० की जगह ३४५ रु० पायेंगे। फिर भी वह कह रहे हैं कि वेतन पुनरीक्षण हो। क्या सारे प्रदेश को रैंनसम करना चाहिए ? वे स्टेट में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं। अगर देखा जाय तो बिजली बन्द हो जाती, तो दूसरे उद्योगों के श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव क्या नहीं पड़ता ? उद्योग बन्द हो जाते, तो वह खाली रहते। इस प्रकार उत्तेजना की जगह व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी यह बतायेंगे कि हड़ताल से पहले कितनी यूनिटों में विद्युत् जनरेट होती थी और वितरित होती थी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधीदल स्वयं विद्युत् मन्त्री रहे हैं, उनको पता होगा कि जनरेशन में डे-टू-डे, मंथ-टू-मंथ फर्क होता है । इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेगावाट में बता दीजिए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

हड़ताल के दिन और उसके पहले लगभग ११ सौ से १४ सौ के रेंज में उत्पादन कभी ११ सौ, कभी १२ सौ उत्पादन था ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर ५० मिनट हो चुके हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) --

एक बहुत जरूरी प्रश्न रह गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

केवल एक प्रश्न कर लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, विद्युत् मन्त्री जी हमें केवल इतना बता दें कि ओवरा, रिहन्द, गोरखपुर पावर हाउस, बनारस पावर हाउस में कितना-कितना उत्पादन इस समय हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

शायद माननीय सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, मैंने बताया कि थर्मल का ६३८ मेगावाट था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने ओवरा के अलावा....।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर आने दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय सदस्य ओबरा के बारे में चिंतित हैं। उनको मैंने बता दिया था आज के दिन पोजीशन इस प्रकार थी--ओबरा में दो सौ मेगावाट की एक यूनिट चल रही है, १०० मेगावाट की एक यूनिट ६ बजे चल जायेगी। ५०-५० की दो यूनिट दिन भर चल रही हैं। पनकी में कल ३२-३२ की दो यूनिटें चल रही हैं, हरदुवागंज में तीन यूनिट चल रही हैं, केसा में ३५ मेगावाट और गोरखपुर और सोहावल के पावर हाउस ३० मेगावाट पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ। इस पर पूरे ५५ मिनट हो गए हैं। अब ६ बज चुके हैं, २ घंटे का विवाद अभी शेष है। अब मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा। (शोर) आप नहीं मानेंगे तो मैं सदन को खत्म कर दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मेरा एक सवाल है।

(व्यवधान)

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मैं कर्मचारियों का यहां एकमात्र प्रतिनिधि हूं उनके बारे में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मैंने, ओझा जी ने और श्री दुक्खी प्रसाद जी ने भी उसे दिया था, उसमें हमारा भी नाम था। हमने बड़ा आपका ध्यान आकर्षित किया, बार-बार किया था, लेकिन आपने एक भी प्रश्न पूछने की हमें इजाजत नहीं दी, जबकि आपकी स्वतः व्यवस्था है कि जिनका प्रश्न है, उनको प्रश्न पूछने की इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया गया है। श्री ऊदल और कुछ दूसरे सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव दिया था, जिसको मैंने अग्राह्य करके...

श्री हरिकेवल प्रसाद--

आज के एजेन्डे में इसमें मेरा नाम ऊपर ही छपा है, तो मैं आपकी व्यवस्था सही मानूं या इसमें जो कहा गया है, उसे सही मानूं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं देखता हूं। अच्छा आप पूछ लीजिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि १५ अप्रैल, १९७८ से जो कर्मचारी रखे गये थे, वे तत्काल काम पर वापस चले आवें, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो हड़ताल सभी कर्मचारी कर रहे हैं, तो उन पर ही यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ? दूसरे इस हड़ताल से निपटने के लिए जो बाहर के तकनीशियंस और इंजीनियर्स बुलाए गये हैं उनकी टोटल संख्या क्या है और उन पर प्रति दिन शासन का कितना व्यय बैठ रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही –

१५ अप्रैल, १९७८ की तिथि से २४० दिन को अब तक की जिनकी सेवाएं पूरी नहीं होती हैं। वह हमारे यहां टेम्प्रेरी हैं, प्रोबेशन पर हैं और उनके आचरण से इस २४० दिन की अवधि में यह परिलक्षित होता है कि वह ठीक नहीं है तो उसे वापस भेजा जा सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि २४० दिन की जिनकी सेवाएं पूरी नहीं हुई हैं, अर्थात् १५ अप्रैल, ७८ के बाद के जो लोग हैं उनके वापस न आने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में केवल इतना ही संकेत करूंगा कि मिलेट्री से कोई बड़ी भारी तादाद में आदमी नहीं लिए गये हैं, जैसा निकला है कि ओवर टेकेन बाई मिलेट्री। टोटल हम आपको नहीं बताएंगे। हमारा प्रोग्राम है कि बिजली की व्यवस्था चलती रहे इसमें उनका पूरा कनसर्न है, इसमें सहयोग दें और टेक्निकल बात में न जायं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर) मैंने देख लिया। श्री हरिकेवल जी का था।

श्री ऊदल--

उसे मैंने दिया था। आपने कहा था कि इसका जवाब आयेगा। मैं चाहता हूं कि आप पूछने दें। अगर पूछने नहीं देना चाहते हैं तो विद्युत् मंत्री की तानाशाही के विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री ऊदल अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

सदन में हर तरफ से सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को जानकारी दी कि देहातों में बिजली की आपूर्ति सामान्य नहीं है। रबी की बोवाई और सिंचाई की समस्या को देखते हुए क्या विद्युत् मंत्री जी सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से इसके बारे में सारी सूचनाएं मंगा कर देहातों में आपूर्ति सामान्य रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही करेंगे और सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस हड़ताल से रबी की बोवाई और सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि पूरा प्रयास कर रहे हैं।

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

एक छोटा सा सवाल है । एक जायज मांग है उसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । अब मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बिला इजाजत कह रहे हैं । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं लगातार अनुशासन में खड़ा हो रहा हूं । मुझे समय मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह अनावश्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को अनुमति दी जाय । मैं अनुमति नहीं दूंगा । यह तरीका गलत है । आप बैठिए ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति इस पर पुनर्विचार करे ।

श्री अध्यक्ष--

किस प्रश्न पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो प्रस्ताव साह कमीशन के बारे में दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत नाम आया है श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो इस सदन की सदस्या नहीं हैं और जिसका राज्य और इस सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं आपसे भी यह आग्रह करूंगा कि आप इसको इस समय स्थगित कर दें । मैं इसके बारे में नेता सदन से बातचीत करना चाहता हूं । आपसे भी बातचीत करना चाहता हूं । यह आप ऐसा न करें । भविष्य के लिए एक नजीर न हो ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आज यह नहीं है । २८ तारीख को, माननीय शतरुद्र प्रकाश का यह प्रस्ताव है । मुझ को अप्रिय भी हो, उसकी ग्राह्यता देखनी है । बंगाल में वहां की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है और इसमें शब्द सिफारिश है । आपके कहने के मुताबिक, अगर नेता सदन तैयार हैं, तो आपका संशोधन मैं सदन के सामने रख रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं नेता सदन से...

श्री अध्यक्ष--

यह जो प्रस्ताव है, आपका उसमें संशोधन इसमें जो २८ तारीख को कार्य-मंत्रणा समिति ने संस्तुति की है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह सदन सिफारिश करता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाय । पर विचार किया जाय ।

माननीय नेता विरोधी दल का उसमें यह संशोधन है कि इस प्रश्न को लिये जाने के सम्बन्ध में पुनः कार्यमंत्रणा समिति को सुपुर्द किया जाये । क्या आपको स्वीकार है ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने एक कार्यक्रम निश्चित किया है, उस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपको ग्राह्यता के अन्तर्गत...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

नेता सदन कहें ।

श्री अध्यक्ष--

संयुक्त जिम्मेदारी है ।

श्री मधुकर दिघे--

यह कार्यक्रम तय हो गया है और नेता विरोधी दल नेता सदन और आपसे बातचीत कर लें और जब यह प्रस्ताव आयेगा तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है । कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बारबार खड़े हो जाते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से जो वाराणसी से आये हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कृपा कर इस दृष्टिकोण से न देखें कि बंगाल में क्या प्रस्ताव हुआ या कहां पर क्या प्रस्ताव हुआ ।

(शासन पक्ष की ओर से वाह-वाह की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे वाह वाह की आवाज सुनकर याद आता है--

हमारे इन दोस्तों का सिला लाजवाब है ।

हम एहतरामन सलाम करते हैं, वह इन्तकाम जवाब देते हैं ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

हम हुए तुम हुए कि मीर हुए ।
उसकी जुल्फों के सब असीर हुए ।।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अवानक प्रस्ताव की सूचना मिली । शाह कमीशन को इस राज्य ने नहीं बनाया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

अब यह नहीं होगा । यह तो नयी परिपाटी कायम हो रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नयी परिपाटी कायम हुई है प्रस्ताव लाकर ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने संशोधन तक सीमित रहिए । अगर नेता सदन स्वीकार कर लें तो मैं सदन के सामने पेश कर दूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस प्रकार के प्रस्ताव जो केन्द्र से सम्बन्धित हैं इस सदन में आयेंगे तो फिर इनका अन्त नहीं होगा । दूसरे सदस्य भी इस तरह के प्रस्ताव को मांग कर सकते हैं । आपने यह कहा कि बंगाल में ऐसा हुआ, इसलिए हो रहा है । नेता सदन बाद में आते हैं, पहले मैं आपसे कहता हूं । मैं नहीं चाहता मान्यवर, कि आपको, जिनको कि अगर पार्लियामेन्टरी ज्ञान है, उनके इतिहास में कोई ऐसी चीज लिखी जाय कि उन्होंने एक ऐसे प्रश्न को इजाजत दे दी जिसकी कि इजाजत किसी भी प्रकार नहीं दी जानी चाहिये थी । इसलिये मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप हमें मौका दें ताकि मैं आपके कक्ष में आकर आपको यह बतला सकूं कि यह प्रश्न किस तरह अग्राह्य है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जहां तक नियम १०३ का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत चर्चा के लिये ग्राह्यता की ७ शर्तें हैं, और अगर उनके अन्तर्गत कोई प्रस्ताव आता है तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उसे लूं । आपको याद होगा कि आपने एक प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध यहां रखा था और इधर के माननीय सदस्य कहते थे कि इस प्रश्न को आपको नहीं स्वीकार करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसका मान्यवर, तात्पर्य इससे क्या हो सकता है, वह एक मंत्री के खिलाफ था ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो सहिष्णुता की बात करते हैं, आप स्वयं इतनी सहिष्णुता नहीं कर सकते कि मुझे सुन लें। इस सदन में इस तरह का प्रस्ताव आता रहा है और वह रखा जा सकता है। मैंने देखा कि बंगाल विधान सभा में भी इस तरह का प्रस्ताव आया। फिर आपके (विरोध पक्ष) प्रतिनिधि भी तो कार्य मंत्रणा समिति में मौजूद थे (व्यवधान) उन्हीं के सामने तो यह निश्चय हुआ था। आपके सदस्यों ने कहा कि इसे अन्त में लीजिये, ३० तारीख को लीजिये। (व्यवधान) जब कार्य मंत्रणा समिति ने सर्व सम्मति से उसे पास किया है तो उसे आपको मानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कार्य मंत्रणा समिति के एजेन्डे में यह आइटम नहीं था...(व्यवधान) जो चीज एजेन्डे में नहीं है क्या उस पर कार्य मंत्रणा समिति विचार कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति के एजेन्डे में यह प्रश्न है, आपके जो सदस्य वहां उपस्थित थे उनको मालूम है। आपका यह अधिकार है कि आप यह मांग करें कि इसे पुनः विचार के लिये भेज दिया जाय। तो मैंने इसको माना। अब आपने माननीय नेता सदन से अपील की है। माननीय नेता सदन क्या आप, आपके संशोधन को स्वीकार करते ह ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

नियम १०६ की ओर देखें।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, यह कि तिवारी जी को चोट लगना, कुछ तकलीफ होना स्वाभाविक है और इसलिए उनकी तरफ से जो संशोधन आ रहा है, इस आधार पर आ रहा है कि कार्य मंत्रणा समिति की जिस समय बैठक हो रही थी उस समय विचारणीय विषय नहीं था, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वास्तव में तिवारी जी जैसे पुराने जानकार विरोधी दल के नेता को इस तरह से बिना जानकारी किये सदन में बात नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से यह जो संस्तुति है आज बहुत सामयिक है, महत्वपूर्ण भी है, इसलिए कि राजनैतिक जीवन कितना स्वच्छ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इसलिए वह जो संस्तुति है बिलकुल सामयिक है और जो संशोधन तिवारी जी की तरफ से आ रहा है, वह किसी तरह से भी विचारणीय नहीं है। इसलिए जो संस्तुति है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें एक प्रस्ताव और ले लीजिए कि यह सदन...

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

कोई प्रस्ताव नहीं है, मान्यवर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, मुझे अत्यन्त आश्चर्य है...

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आश्चर्य क्या ? यह अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं नहीं बैठता, आप खुद बैठिये ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

ये विरोधी दल के नेता लायक नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या आप कर रहे हैं, मान्यवर, मैं नहीं बैठता, आप बैठ जाइये ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

क्या तिवारी जी सदन की परम्परा भूल गये हैं ? बैठ जाइये ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, इस प्रस्ताव में कांति देसाई कांड और सुरेश कांड भी जोड़ा जाय ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष --

मैं पूछता हूं, आप थोड़ा नेता विरोधी दल होकर...

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सरासर आपके रहते हुए अन्याय हो रहा है । आप विरोधी दल की रक्षा के लिए हैं । बार-बार केन्द्रीय नेताओं की आलोचना हो रही है । कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है । मैं आपको दिखाऊंगा नजीर, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस की नजीर दिखाऊंगा, किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो सकता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है..

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

नियम १०६ में अध्यक्ष निश्चय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या कोई बात किन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं...

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप नेता सदन को बुलाइये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, जो आप कहना चाहते हैं, वह १०६ नियम को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया ।

माननीय नेता विरोधी दल को हर समय अधिकार है, मेरे कक्ष में आकर, यह प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है, कार्य मंत्रणा समिति ने इसको समय दिया है । आप जब चाहें मेरे कक्ष में आकर अपना पक्ष रख दीजिये । अगर मैं संतुष्ट हूंगा कि यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होना चाहिये था तो मैं पुनः इस पर विचार करूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपके कक्ष में कभी नहीं आऊंगा, अगर अब समय नहीं मिला । (शोर) आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप जबरदस्ती कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पहले मेरा प्रश्न है । मुझे विश्वास है कि आप मौका देंगे । (शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप मौका देंगे या नहीं? मैं कभी आपके कक्ष में नहीं आऊंगा, अगर मुझे समय नहीं देंगे । (शोर)

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं माननीय नेता विरोधी दल से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात भी सुनें। (शोर) मैंने नियम १०३ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। जिसको आपने ग्राह्यता के आधार पर स्वीकार किया और कार्य मंत्रणा समिति ने उसको स्वीकार करके कार्यक्रम निश्चित कर दिया। सदन के संज्ञान में आपके द्वारा ले आया गया। माननीय नेता विरोधी दल, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं क्योंकि वह संसदीय प्रणाली के काफी जानकार हैं। उन्होंने अपनी ओर एक संशोधन पेश कर दिया। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, आपका संशोधन अस्वीकार हो गया। मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैंने जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी लगायी जिस व्यक्ति ने बिना कारण बताये जेलों में रखा शाह आयोग ने जिसकी जांच की और उसको दन्ड देने की मांग मैंने एक प्रस्ताव के जरिए की, माननीय नेता विरोधी दल, मेरे पास सदन की कार्यवाही मौजूद है। १४ अक्तूबर, १९६२ को इसी सदन में माननीय चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पारित किया, जब चीन ने आक्रमण किया था तो उस सम्बन्ध में भारत सरकार से मांग की थी।

श्री एच० एन० बहुगुणा, जब मुख्य मंत्री थे, १९७४ में जब ओलम्पिक में टीम जीती थी उस समय प्रस्ताव पारित किया था। श्री नारायण दत्त तिवारी ने संजय गांधी के सम्बन्ध में इसी विधान सभा की कार्यवाही देख लें। उनके समर्थन में कई प्रस्ताव पारित किए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आधार है, जब नियम १०३ में स्पष्ट लिखा है कि :—

"संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।" मान्यवर, नियम १०३ में एक ही बात हो सकती है और वह यह संविधान और यदि संविधान की धारा के खिलाफ यहां प्रस्ताव आता है तो नियम १०३ के अन्तर्गत अग्राह्य हो सकता है। यदि सर्वसम्मत से प्रस्ताव आता है नियम १०३ में तो उत्तर प्रदेश की सीमा से वह सम्बन्धित हो गया और इसलिए यहां प्रस्ताव आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी जी से कि नियम १०३ के अन्तर्गत कहां पर ऐसी व्यवस्था है, कहां रोक है तो उसको वह बताने का प्रयास करें। तो जैसा नेता सदन ने कहा है वह सही बात है और उनको चोट लगना स्वाभाविक है। इसलिए मेरा इस नियम १०३ में प्रस्ताव रखना स्वाभाविक है। इसलिए मान्यवर, इसको आप स्वीकार करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी श्री शतरुद्ध प्रकाश ने नियम १०३ में प्रस्ताव दिया, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं और वह मामला तय हो गया। आपने नियम १०६ में उसको ग्राह्य कर दिया। यदि संविधान में नियम के विरुद्ध था, कार्य संचालन नियमावली के विरुद्ध था तो उसको आप अस्वीकृत कर सकते थे, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया। कार्य मंत्रणा समिति का मैं भी सदस्य हूं, सब ने बैठ कर उसके लिए समय आवंटित कर दिया और यहां प्रस्ताव आ गया। नेता सदन ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब आपके सम्मुख एक प्रश्न है कि आप प्रश्न उपस्थित करते कि कार्य मंत्रणा समिति ने जिस प्रश्न की सिफारिश की है उससे सदन सहमत है कि नहीं ? इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं उठ सकता है। जैसे तिवारी जी को दुख हो रहा है, इन्दिरा गांधी के खिलाफ सुनकर उसी प्रकार आपात-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

स्थिति के समय एक-एक आदमी दुखी था । जहां तक आदरणीय सदन के नियमों का सवाल है उसमें स्वाभाविक है कि यह सदन किसी भी केन्द्र से सम्बन्धित विषय में अपनी सिफारिश करने के लिए सक्षम है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि ग्राह्यता को आप स्वीकार कर रहे हैं ।

माननीय नेता विरोधी दल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मान्यवर, इस अध्यक्ष पीठ पर, आपके प्रति, आपके ऊपर दबाव डालने की चुनौती दिया है कि मैं आपके चैम्बर में नहीं आऊंगा, क्या यह संसदीय शब्द है ? क्या उनका यह कहना शोभा देता है । इस पर वह दूसरे दिन भी प्रस्ताव ला सकते थे, नियम ३०१ में गैर सरकारी प्रस्ताव द्वारा । हमारी नियमावली में नियम है यदि नियमों के अनुसार वह हमारे खिलाफ होगा तो हम सुनने के लिए तैयार हैं । इसलिए सदन में उनको (श्री तिवारी) आपको सुनने के लिए सहयोग करना चाहिए । लेकिन जो उन्होंने चेतावनी दी है, उन शब्दों को प्रोसीडिंग से आपका निकलवा देना चाहिए या उनको (श्री तिवारी) क्षमा याचना करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल, आप यह बताये कि यदि आपकी बात मान लें तो नियम १०३ में और कोई प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता या प्रस्ताव जब स्वीकार करना चाहिए जबकि पहले आपकी स्वीकृति मुझको मिल जाय । इस प्रकार से तो यह सदन नहीं चल सकता है । लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक तरफ विरोध पक्ष में कहते हैं कि आपकी रक्षा करूं, दूसरी ओर आप अल्पमत में होकर बहुमत पर बल प्रयोग करना चाहते हैं । नियम १०६ में अध्यक्ष को निश्चय करने का अधिकार है । मैंने निश्चय किया । यह प्रस्ताव ग्राह्य है और आपने स्वयं मान लिया कि मैं संशोधन पेश कर रहा हूं इस संशोधन को कि यह शाह कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही सम्बन्धी प्रस्ताव को लिया जाय या न लिया जाय इसे कार्य मंत्रणा समिति के विचारार्थ भेजा जाय । यह नियम के अनुसार है और मैंने आपसे अनुरोध किया । फिर नेता सदन से कहा लेकिन उन्होंने इस संशोधन को नहीं माना । तो मेरे सामने इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है जैसा राजेन्द्र कुमार जी ने कहा, पहले मैं संशोधन को पेश करूं और बाद में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को पेश करूं और अगर यह पास हो जाता है तो २८ तारीख को यह आयेगा । अब ग्राह्यता के बारे में इस प्रश्न को मैं पुनः नहीं रखूंगा । मैं संशोधन को मत के लिए पेश कर रहा हूं आप रिजेक्ट कर दीजिए ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

नियम १०६ और नियम १०७ को आप देखें...

श्री अध्यक्ष—

नियम १०६ में कोई नियम नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

१०३ का जो प्रस्ताव है ग्राह्यता के लिए उसका क्या नियम है ? १०७ भी पढ़िए ।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे निश्चय को चुनौती दे रहे हैं। अब मैं इस पर कोई बात नहीं सुनूंगा। आप कृपा कर बैठिए। आप इस तरह नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)।

मैंने नियम १०५ में जो ग्राह्यता की सातों शर्तें हैं उन पर विचार किया। आप यहां इस तरह से कहकर मेरी ग्राह्यता के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

(श्री देव बहादुर सिंह के बार-बार खड़े होने और व्यवधान डालने पर।)

श्री देव बहादुर सिंह जी बिना इजाजत के कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

अब मैं श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन को ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि श्री नारायण दत्त तिवारी का संशोधन कि शाह जांच आयोग की रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्य मंत्रणा समिति को पुनः विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है आपने आज जो निर्णय दिया ....

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठें। थोड़ी सी आप अपने पद की मर्यादा तो रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इतिहास लिखेगा कि कोई स्पीकर सत्तारूढ़ दल के साथ मिला हुआ था।

श्री अध्यक्ष -

यह आपकी हठवादिता है। (व्यवधान)।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल सहित सदन से उठकर चले गए।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत श्री श्यामधर मिश्र तथा श्यामदत्त पालीवाल जी के इस प्रश्न को स्वीकार किया है जो दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ को उत्तर प्रदेश भंडारण निगम, मेरठ के अधीक्षक श्री जी० डी० वाशनी की हत्या के सम्बन्ध में है। माननीय गृह मंत्री कब इस पर वक्तव्य देंगे ?

(गृह मंत्री) श्री राम सिंह--

२६ तारीख को सदन बैठेगा, तब दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

इन्सेफालाइटिस नामक महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देव बहादुर सिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घंटे की चर्चा है ।

श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक वक्तव्य आपने ५ बजे देने के लिए आदेश दिए थे ।

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह, आप थोड़ा रुक जाइए पहले वक्तव्य हो जाय ।

लखनऊ में शिया सुन्नी विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य

(इस समय ६ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, गत वर्ष शिया-सुन्नी विवाद से सम्बन्धित हिंसात्मक घटनाओं के बाद से लखनऊ में दोनों वर्गों में बराबर तनाव के फलस्वरूप शान्ति भंग होने की सम्भावनाओं के कारण शियाओं व सुन्नियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध है । शासन द्वारा इस विवाद को हल किए जाने के लिए समय-समय पर शिया व सुन्नी वर्ग के नेताओं से बातचीत करके दोनों वर्गों में समझौता कराने का यथा प्रयास किया गया किन्तु दोनों ही वर्ग किसी पारस्परिक समझौते पर नहीं पहुंच सके । दोनों वर्गों के नेताओं की बातचीत से यह आभास हुआ कि यदि प्रशासन बिना किसी पूर्व समझौते के किसी भी वर्ग के जुलूस को निकालने की अनुमति देता है तो झगड़े व जन व सम्पत्ति की क्षति की सम्भावना रहेगी । अतः प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जब तक कोई समझौता दोनों वर्गों में न हो जाय किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति न दी जाय ।

११-१२-७८ को मुहर्रम के अवसर पर ज्ञात हुआ कि एक वर्ग प्रशासन की निषेधाज्ञा भंग कर जुलूस इत्यादि निकालने की योजना बना चुके हैं और ऐसा होने पर दूसरे वर्ग द्वारा इसका सक्रिय विरोध होगा । दोनों वर्गों में टकराव की सम्भावना की सूचना मिलने पर रात्रि १·३० बजे ऐसे वर्गों से प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया । फिर भी शिया वर्ग के लोगों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके अलग जुलूस निकालने का प्रयास किया । इसमें पाटानाला, नक्खास, काश्मीरी मुहल्ला, विक्टोरिया स्ट्रीट, गोलागंज, वजीरगंज आदि स्थानों पर अधिक भीड़-भाड़ इकट्ठी हो गयी । भीड़ ने पत्थर फेंके, फायर किए तथा आग लगाने का भी प्रयास किया। उक्त सभी स्थानों से ७७० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिनमें ७६९ जेल भेजे गए और अस्पताल में है । गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ ने सड़क से गुजरने वाली बसों पर पथराव भी किया जिससे दो बसों के शीशे टूट गए । इन घटनाओं में १६ पी० ए० सी० जन व २८ नागरिक घायल हुए ।

स्थिति नियंत्रित रखने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है तथा मजिस्ट्रेट व पुलिस की गस्त जारी है । कर्फ्यू में समय-समय पर ढील भी दी गयी है ।

लखनऊ नगर में शिया-सुन्नी विवाद के सर्वमान्य हल निकालने के लिए शासन प्रयत्नशील है, ताकि पवित्र रीति-रिवाजों के अनुसार त्योहार शान्तिपूर्वक ढंग से और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) --

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने यह लिखा है कि गत वर्ष से यह तनाव चला आ रहा है और प्रशासन का प्रयत्न हो रहा है कि कोई सर्वमान्य हल निकल सके । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश या कोई सुझाव समझौता कराने के लिए दिया था ? यदि हां, तो वह क्या है ? यह समझौता कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राम सिंह -

इस सम्बन्ध में शिया और सुन्नी वर्ग के व्यक्तियों और उनके नेताओं से समय-समय पर मैंने और माननीय गृह मंत्री जी ने विचार विमर्श किया बात-चीत के दौरान ऐसा आभास मिला कि दोनों सम्प्रदाय आपस में कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं । इसलिए कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं । इसलिए शासन ने खुले जुलूस पर पाबन्दी लगा दी, शेष कार्यक्रम उनका चल रहा है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या प्रधान मंत्री ने कोई सुझाव दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष--

भारत सरकार का कोई सुझाव इस सिलसिले में आया था ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी का एक पत्र आया था लेकिन उसमें कोई निर्देश नहीं था कि किस आधार पर समझौता हो । उन्होंने कहा कोई अपील निकालिए जो दोनों सम्प्रदायों को स्वीकार हो ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं वह कब तक निकल जायेगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कई बार उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर बात चीत की और समझौते के प्रयास किए कि दोनों सम्प्रदाय कोई बात स्वीकार कर लें लेकिन कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

देव बहादुर जी ने कहा है कि यह झगड़ा पिछले साल से चल रहा है, किन्तु मेरा कहना है कि यह झगड़ा उस जमाने से चल रहा था जब आप यहां हुकूमत में थे और कांग्रेस की हमेशा यह पालिसी रही है कि मुख्तलिफ कौमों को एक दूसरे से लड़ाते रहकर अपना उल्लू सीधा किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है, यह आप न कहें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

वही बीज अब बहुत बड़ा दरख्त बन गया है तथा एक बड़ी खाई दोनों के बीच में आ चुकी है और उसी कारण कोई समझौता नहीं हो सका है और लखनऊ ऐसे शहर में जहां प्यार और मोहब्बत से रहने के लिए लोग मशहूर रहे हैं, वहां पूरी तरह से आम जनता का अमन-चयन खतरे में पड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि जनता सरकार इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि जब तक कोई आपस में कोई समझौता न हो जाए, किसी एक पक्ष के लोगों को जुलूस निकलने की इजाजत दे दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप निश्चित प्रश्न करें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

मैं तो यह केवल उनकी बात के उत्तर में कह रहा था।

(व्यवधान)

श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)--

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि सुन्नी फिरके के लोगों पर कुछ मोहल्लों में हमले किए गए? और शियओं की क्या मांग है तथा उस पर सुन्नियों को क्या आपत्ति हैं?

श्री राम सिंह--

जितनी सूचना की उक्त घटना के सम्बन्ध में आवश्यकता थी वह हमारे पास थी, मैंने दे दी। अब अतिरिक्त सूचना चाहते हैं तो उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। उसमें आपस में विवाद किसी भी बात पर हो, किन्तु यह बहुत विस्तृत विषय है। माननीय अशफाक साहब तो खुद इस्लाम के मानने वाले हैं, उनके सामने मैं इस पर क्या निवेदन करूं। झगड़ा किसी बात पर हो, वह स्वयं जानते है।

श्री अशफाक अहमद--

अखबारों में निकला है कि एक फिरके द्वारा सुन्नी फिरके पर हमला किया गया है, क्या इसकी उन्हें जानकारी है?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी भी उसमें बात हो।

एक सदस्य--

दफा १४४ तोड़ने के अपराध में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बच्चे और बूढ़े भी हैं, तो उनकी रिहाई अब कब तक कर दी जाएगी ?

श्री राम सिंह--

इस प्रश्न पर तो शान्ति स्थापित होने और कर्फ्यू समाप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है । इस समय कोई इस सम्बन्ध में आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें सुन्नी और शिया लोगों की अलग-अलग तादाद क्या है और क्या यह गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं या नहीं ?

श्री राम सिंह--

इसमें दोनों सम्प्रदायों के लोग हैं । यह बताना तो अभी जनहित में नहीं है कि कितने सुन्नी हैं और कितने शिया हैं ।

(श्री देव बहादुर की चर्चा आरम्भ करने के लिए पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है । ऐसे समय में सदन चलाना क्या उचित है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई ।)

श्री श्यामदेव--

कोरम नहीं है । हम लोगों को छुट्टी दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

पांच मिनट देख लीजिए । जिम्मेदारी सभी लोगों की है । दोनों पक्षों की है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री ने योजना बना दी है तो कोरम होने वाला नहीं है ।

(५ मिनट घंटी बजते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम नहीं है । इसलिए अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१३ दिसम्बर, १९७८

विधान भवन

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

श्री आर० जी० अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, सिविल अभियन्त्रण गोंडा के स्थानान्तरण के कारणों का विवरण

१--गोंडा से फैजाबाद--

राजकीय पालीटेक्निक, गोंडा के छात्रों द्वारा श्री अग्रवाल को तुरन्त स्थानान्तरण करने अथवा आमरण अनशन करने की धमकी दी गयी।

२--गोंडा से खुर्जा--

राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद के प्राधानाचार्य ने अपने यहां के अध्यक्ष सिविल अभियन्त्रण, श्री टी० पी० सिधवानी को कार्यमुक्त करने में आपत्ति की। इसके अलावा श्री सिधवानी ने यह प्रत्यवेदन दिया कि उनकी पत्नी की चिकित्सा, जिला महिला अस्पताल, फैजाबाद में हो रही है।

३--गोंडा से गोरखपुर--

सेठ गंगा सागर अग्रवाटिया पालीटे०, खुर्जा में अध्यक्ष, सिविल अभियन्त्रण के पद पर कार्यरत अधिकारी को संस्था के हित में कार्यमुक्त करना ठीक नहीं समझा गया।

परिशिष्ट 'ब'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

वर्ष १९७८-७९ में शासन द्वारा राजकीय नलकूपों का जनपद वार आबंटन

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नलकूपों की संख्या
१	२	३
	पहाड़ी क्षेत्र	
१	नैनीताल . .	२०
२	देहरादून . .	८
३	गढ़वाल . .	२
	. .	३०
	पश्चिमी क्षेत्र	
४	मुजफ्फरनगर . .	१५
५	मेरठ . .	१५
६	बुलन्दशहर . .	८
७	सहारनपुर . .	४०
८	अलीगढ़ . .	२०
९	मथुरा . .	५
१०	एटा . .	४५
११	आगरा . .	३०
१२	इटावा . .	४०
१३	फर्रुखाबाद . .	१०
१४	मैनपुरी . .	३०

१	२	३
१५	मुरादाबाद ..	२०
१६	बदायूं ..	१५
१७	रामपुर ..	१०
१८	बिजनौर ..	२५
१९	बरेली ..	१५
२०	शाहजहांपुर ..	२५
२१	पीलीभीत ..	१०
२२	गाजियाबाद ..	१०
		४१८
	मध्य क्षेत्र	
२३	उन्नाव ..	८
२४	कानपुर ..	२५
२५	खीरी ..	४०
२६	सीतापुर ..	४८
२७	हरदोई ..	३०
२८	लखनऊ ..	३०
२९	बाराबंकी ..	१०
३०	रायबरेली ..	२०
३१	फतेहपुर ..	३०
	..	२५१

१	२	३
	बुन्देलखंड	
३२	हमीरपुर ..	२५
३३	जालौन .	१५
३४	बांदा ..	२६
३५	झांसी .	५
		७१
	पूर्वी क्षेत्र	
३६	वाराणसी ..	५०
३७	मिर्जापुर .	१०
३८	जौनपुर .	१०
३९	गाजीपुर ..	२५
४०	बलिया ..	३०
४१	गोरखपुर .	५०
४२	देवरिया ..	३५
४३	आजमगढ़ .	३०
४४	बस्ती ..	२५
४५	गोण्डा ..	२०
४६	बहराइच ..	१५
४७	फैजाबाद ..	४०
४८	सुल्तानपुर ..	३०
४९	इलाहाबाद ..	५०
५०	प्रतापगढ़ ..	१५
		४३५
	कुल योग ..	१२०५

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ एवं २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

खण्ड सा० नि० विभाग, ललितपुर

कार्य का विवरण

कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि० मी०	कार्य स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति का लक्ष्य	वर्तमान स्थिति
१	२	३	४	५	६
	कि० मी०				
१—प्लान कार्य—					
(अ) सम्पर्क मार्ग					
१—बंगरिया डोंगरा कला मार्ग	१.५०	१३-१२-७७	२/७८	३/७९	ऊपरी सतह की कुटाई पूरी लम्बाई में हो चुकी है ।
२—बार लड़वारी	३.००	१५-१२-७७	२/७८	३/७९	सतह लेपन २.७५ कि० मी० लम्बाई में हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
३--बड़ेसरा कला-बागिरी	०.८०	४-७८	६/७८	३/७९	ऊपरी सतह की कुटाई पूर्ण लम्बाई में हो चुकी है ।
४--धानपुर-टीकमगढ़	०.५०	४-७८	६/७८	३/७९	सतह लेपन का कार्य हो चुका है ।
(ब) अयोजनागत कार्य--					
१--ललितपुर-राजघाट	२१.५०	२-१-६९	८/७०	३/७९	सतह लेपन का कार्य १८.५० कि० मी० लम्बाई में हो चुका है ।
२--ललितपुर-बेलगांव	४०.००	९-२-७१	३/७१	१२/७९	३० कि० मी० लम्बाई में सतह लेपन का कार्य हो चुका है ।
					३.० कि० मी० लम्बाई में ऊपरी सतह की कुटाई हो चुकी है ।
					३.० कि० मी० सीलिंग की कुटाई हो हो चुकी है ।
(स) त्वरित योजना--					
१--महरौनी-नागहट	२५.००	९-२-७०	४/७७	४/८०	६.० कि० मी० में मिट्टी कार्य हो चुका है ।
					६.० कि० मी० में सीलिंग कुटाई हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२--जखौरा राजघाट	१६.००	९-२-७७	५/७७	५/८०	३.० कि० मी० लम्बाई में सतह लेपन हो चुका है। १.० कि० मी० लम्बाई में सतह की कुटाई हो चुकी है। शेष लम्बाई में सीलिंग कुटाई हो चुकी है।
(द) लोकसभा-निर्वाचन--					
१--महरौनी-नाराहट	३.००	९-२-७७	५/७७	५/८०	३.० कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य हो चुका है।
२--जखौरा-राजघाट	३.००	९-२-७७	५/७७	५/८०	३.० कि० मी० लम्बाई में सीलिंग स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है।
(य) खाद्यान्न योजना--					
१--योजना नं० २--					
धौरा-सैपुरा	१०.००	२४-११-७७	२/७८	३/८०	५.५० कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य हो चुका है शेष भाग में वन विभाग एवं कुछ खेतिहर की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सीलिंग पूरी लम्बाई में एकत्र हो चुकी है।
२--योजना नं० ३--					
ललितपुर--जखौरा	१८.५०	९-२-७८	३/७८	६/७९	७.५ कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
नान प्लान--					
१--महरौना-योजना मार्ग	१८.६०	१-६-७०	८/७०	३/८०	ऊपरी सतह की कुटाई १५.० कि० मी० लम्बाई में हो चुकी है। सतह लेपन ५.० कि० मी० की लम्बाई में हो चुका है।
२--पडावरा-गिगर	१६.८०	८-२-७१	११/७१	३/८०	ऊपरी सतह की १३ कि० मी० लम्बाई में कुटाई हो चुकी है। सतह लेपन १० कि० मी० लम्बाई में हो चुका है।
३--जाखलौन-माली-बंगरिया मार्ग	२४.००	२२-९-७०	११/७१	३/८०	मिट्टी का कार्य २.०० कि० मी० लम्बाई में हो चुका है। सीलिंग कुटाई ७.० कि० मी० लम्बाई में हो चुका है। सतह लेपन १२.० कि० मी० लम्बाई में चुका है।
४--रूपा कानपुर मार्ग	२६.३२	७-१०-७०	६/७१	३/८०	२०.० कि० मी० लम्बाई में ऊपरी सतह की कुटाई हो चुकी है। २.० कि० मी० लम्बाई में सीलिंग कुटाई हो चुकी है। २.८० कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य हो चुका है।

३--सिनयोरिटी रोड्स (डाकूरा मार्ग)

१--माली-मीरघाट मार्ग	७८.००	४-९-७२	११/७२	३/८०	९.०० कि० मी० लम्बाई में सतह लेपन का कार्य हो चुका है । ५.०० कि०मी० लम्बाई में ऊपरी सतह की कुटाई हो चुकी है । ४.०० की० लम्बाई में हंटर कट चुका है। ३.०० कि० मी० में सोलिंग कुट चुका है ।
२--वानपुर-टीकमगढ़ मार्ग	४.००	४-९-७२	११/७२	३/७९	३.०० कि० मी० लम्बाई में हंटर काट तक कुटाई हो चुकी है ,
३--वानपुर-कैलगवां मार्ग	१२.६०	४-९-७२	११/७२	३/७९	११.०० कि० मी० में सतह लेपन कार्य हो चुका है । १.६० कि० मी० में लेपन शेष है ।
४--सौजना-जमारा मार्ग	८.००	४-९-७२	११/७२	६/७९	७.०० कि० मी० लम्बाई में हंटर सतह तक कुटाई हो चुकी है ।